Par. S. 17. II. 9. 53
280

अंक २

संख्या ९

मंगलवार

१४ अप्रैल १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st
लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २८८९—२९३४]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २९३४—२९५२]

(मूल्य ४ आने)

236 P.S.D.

लोक सभा

मंगलवार, १४ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सशस्त्र पुलिस बल, हैदराबाद

***१२७५. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद सरकार द्वारा उधार लिये गये सशस्त्र पुलिस बल की कितनी इकाइयों के स्थान पर स्थानीय भर्ती की गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): हैदराबाद सरकार द्वारा उधार ली गई सशस्त्र पुलिस की सारी इकाइयों के स्थान पर स्थानीय भर्ती कर ली गई है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन राज्यों से कुल कितनी इकाइयां हैदराबाद को उधार दी गई थीं ?

डा० काटजू : बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा केन्द्रीय रक्षित पुलिस से।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि जब वह वहां काम कर रहे थे तो उन पर जो खर्च आया उसका भार किसने लिया ?

डा० काटजू : हैदराबाद सरकार ने।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या केन्द्रीय सरकार ने वहां पर आये हुये खर्च के कुछ भाग का भार अपने ऊपर नहीं लिया ?

डा० काटजू : मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि बाहर से सशस्त्र पुलिस ले आने पर हैदराबाद सरकार को कुल कितना व्यय करना पड़ा ?

डा० काटजू : मुझे पूर्वसूचना चाहिये। प्रश्न केवल.....

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र में पदाधिकारियों को बिना मूल्य राशन

***१२७७. श्री लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र में युद्ध-विराम के पश्चात् भी भारतीय अन्य श्रेणियों तथा कनिष्ठ कमीशण्ड पदाधिकारियों को बिना मूल्य राशन देना किस कारण जारी रखा गया है ?

प्रतिरक्षा संघटन मंत्री (श्री त्यागी) : नियमों के अंतर्गत कनिष्ठ कमीशण्ड पदाधिकारियों तथा अन्य श्रेणियों को विहित मापमान के अनुकूल बिना मूल्य राशन लेने का हक़ है। युद्ध के क्षेत्रों में असा-

मान्य तथा कठिन परिस्थितियों का सहन करने के लिये उन्हें वर्धित मापमान का राशन लेने का हक़ है। इस प्रयोजन के लिये जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र युद्ध का क्षेत्र माना जाता है।

पदाधिकारियों को भी इसी कारण बिना मूल्य राशन देने का रियायत मिला है कि यह युद्ध क्षेत्र है।

जब तक इस क्षेत्र में युद्ध-कालीन परिस्थितियां हैं यह रियायतें बन्द नहीं की जा सकतीं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं यदि काश्मीर सरकार इस बारे में कुछ व्यय का भार अपने पर लेती है ?

श्री त्यागी : नहीं, श्रीमान्।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जम्मू तथा काश्मीर में सशस्त्र बल को दिये गये राशन की मात्रा जान सकता हूं ?

श्री त्यागी : श्रीमान्, यह एक बहुत ही लम्बी विस्तृत सूची है।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य प्रति व्यक्ति दी गई राशन की मात्रा जानना चाहते हैं ?

श्री पुन्नूस : हां, श्रीमान् प्रति व्यक्ति।

श्री त्यागी : भारत में सामान्य राशन की मात्रा २१ औंस आटा है और युद्ध-क्षेत्र में २४ औंस। सामान्यतः ३ औंस दाल दी जाती है और युद्ध-क्षेत्र में ४ १/२ औंस। इसी प्रकार एक लम्बी सूची है। यदि मेरे माननीय मित्र चाहें तो मैं उनको पूरी सूची दे सकता हूं।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को विदित है कि वहां हमारे सैनिकों, विशेषकर दक्षिण भारत के निवासियों, को चावल का संभरण न होने के कारण बड़ी कठिनाई होती है ?

श्री त्यागी : उनको तो चावल दिया जाता है। आटे के बदले चावल दिया जाता है—उन्हें १६ औंस चावल और ८ औंस आटा मिलता है।

निष्क्राम्य सम्पत्ति विवाद

*१२७८. **श्री बहादुर सिंह :** क्या पुनर्वास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को एक अनुस्मरण पत्र भेजा गया है जिस में निष्क्राम्य सम्पत्ति का निबटारा करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है ;

(ख) क्या प्राथमिक पत्र अथवा अनुस्मरण-पत्र में इस विवाद का निबटारा करने के विषय में कुछ ठोस सुझाव दिये गये हैं ; तथा

(ग) क्या कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (ग) . जी हां, एक अनुस्मरण-पत्र भेजा गया था और उत्तर भी प्राप्त हुआ है। श्री ए० एम० टामस द्वारा ५ नवम्बर, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२ के उत्तर में भारत द्वारा दिये गये सुझावों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

श्री बहादुर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर का पाठ क्या है ?

श्री जे० के० भोंसले : पाकिस्तान सरकार ने अपने उत्तर में—

(१) भारत सरकार द्वारा सुझाई गई निबटारे की रीति को स्वीकार करने से इनकार किया है ;

(२) यह बताया है कि वह इस शर्त पर निष्क्राम्य सम्पत्ति के प्रश्न का मध्यस्थ

निर्णय कराने को तैयार हैं कि दो देशों के बीच सारे अन्य बड़े वाद-पद इसी आधार पर एक साथ ही हल किये जायें;

(३) भारत सरकार की प्रस्थापना के बारे में कहा है कि यह जनवरी १९४९ के विद्यमान करार को भंग करती है और निष्क्राम्य सम्पत्ति का स्वामि-निष्कासन करने के बराबर है; तथा

(४) उन सुझावों को दोहराया है जिनका पहले भी कई बार परीक्षण किया गया है और जो भारत सरकार ने अस्वीकार किये हैं ।

श्री बहादुर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि विस्थापित लोगों को प्रतिकर देने के सम्बन्ध में निष्क्राम्य सम्पत्ति का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि अब तक जो भी सम्मेलन या अधिवेशन दो देशों के बीच हुए हैं वह निष्फल रहे और जो भी करार किये गये पाकिस्तान ने उनका परिपालन नहीं किया ?

श्री ए० पी० जैन : बहुत से सम्मेलन तथा कई बार बात चीत निष्फल रही है परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि सारे सम्मेलन अथवा हर बार की बातचीत निष्फल रही है ।

पाकिस्तानी प्रतिभूतियों का विनिमय

*१२७९. **श्री बहादुर सिंह :** (क) क्या वित्त मंत्री २० दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९४ के दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अब यह बता सकती है कि क्या विभाजन के उपरान्त पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी प्रतिभूतियों तथा अंशों का पाकिस्तान में पड़े भारतीय प्रतिभूतियों तथा अंशों के साथ विनिमय के प्रश्न पर कभी चर्चा हुई है ?

(ख) यदि हुई है तो उस का परिणाम क्या रहा है ?

(ग) क्या अब सरकार अलग इस प्रश्न पर पाकिस्तान से बातचीत करन का विचार रखती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अलग इसी प्रश्न पर बातचीत करना सरकार आवश्यक नहीं समझती । हां, पूंजी के स्थानान्तरण की सुविधाओं के बारे में यदि कोई चर्चा हो तो उसमें यह भी एक विषय हो सकता है ।

श्री बहादुर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार अब यह बता सकती है कि भारतीयों के पास कितनी राशि की पाकिस्तानी प्रतिभूतियां तथा अंश हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्री बहादुर सिंह : १५ अगस्त, १९४७ को प्रतिभूतियों और अंशों की क्या राशि थी ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं ठीक आंकड़े बताने में समर्थ नहीं । मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री बहादुर सिंह : इन पांच वर्षों में रक्षित बैंक द्वारा कितनी राशि के विनिमय अथवा परिसमापन की शासकीय मंजूरी दी गई ?

श्री ए० सी० गुहा: श्रीमान्, यह सारे अनुपूरक प्रश्न ठीक राशि से सम्बन्धित हैं और मुझे इस की जानकारी नहीं ।

श्री दामोदर मेनन: क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार ने प्रतिभूतियों के विनिमय के बारे में १७-९-४९ की तारीख निश्चित कर ली है ?

श्री ए० सी० गुहा : हां, श्रीमान्, तारीख यही है । स्थिति यह है कि भारतीय तथा पाकिस्तानी प्रतिभूतियों का विनिमय की कुछ शर्तों के अधीन अनुमति दी जा सकती है और एक शर्त यह है कि यह प्रतिभूतियां इस तारीख से पहले की होनी चाहियें । यह चलार्थ-मूल्य विलोपन की तारीख है और इस तारीख को भारतीय और पाकिस्तानी मुद्रा के बीच एक प्रकार की समानरूपता की स्थिति बनाई गई थी ।

श्री दामोदर मेनन: उन प्रतिभूतियों का क्या होगा जो १७-९-४९ के पश्चात् हस्तान्तरित हुई हैं ?

श्री ए० सी० गुहा: यदि १७-९-४९ से २७-२-५१ तक कोई प्रतिभूतियां प्राप्त की गई हों तो उन के बारे में इस बात का प्रमाण दिय जाना होगा कि इनके सौदे में सचाई है ।

श्री दामोदर मेनन: क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि इन प्रतिभूतियों का विनिमय सममूल्यता के आधार पर होगा और सरकारी विनिमय दर के आधार पर नहीं ?

श्री ए० सी० गुहा: स्थिति यही है । मूल्य का आधार चलार्थों की सममूल्यता ही होगी ।

योल केम्प में विस्थापित व्यक्ति

*१२८०. **श्री बहादुर सिंह :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योल केम्प, कांगड़ा, में अभी कितनी संख्या में विस्थापित व्यक्ति ठहरे **हैं ?**

(ख) उन को कहां फिर से बसाया जायेगा ?

(ग) क्या उन्हें कुछ भिक्षादान भी दिया जाता है ?

(घ) केम्प में ठहरे ऐसे कुटुम्बों की क्या संख्या है जिन का कोई कमाने वाला वयस्क पुरुष नहीं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) ३० मार्च, १९५३, को १,७५९ कुटुम्ब थे जिनमें कुल ५,६२५ व्यक्ति थे ।

(ख) पहली अप्रैल से १० अप्रैल तक ३९१ कुटुम्ब जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भेजे गये जहां उनको भूमि दी गई, ३०० पठानकोट भेजे गये और २० प्रेम नगर (डेहरादून) । इसके अतिरिक्त २३५ कुटुम्बों ने स्वेच्छा विभाजन योजना के अन्तर्गत योल केम्प छोड़ा । शेष कुटुम्बों के पुनर्वास का प्रबंध जम्मू तथा काश्मीर राज्य, पुराना कांगड़ा नगर अहमदाबाद, कोल्हापुर तथा स्वेच्छा विभाजन योजना के अन्तर्गत उनकी निजी इच्छा के अनुसार विभिन्न स्थानों में किया गया ।

(ग) जी हां ।

(घ) ३० मार्च, १९५३ को ५६२ ।

श्री बहादुर सिंह : क्या यह सच है कि इन लोगों को इधर उधर भेजने से

एक मास पहले भिक्षादान देना बन्द कर दिया गया था ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : केवल उनके विषय में बन्द कर दिया गया था जो पुनर्वास के लिये इधर उधर जाने से इनकार करते थे । परन्तु जब उन्होंने जाना स्वीकार किया तो यह दान पुनः दिये जाने लगे ।

श्री बहादुर सिंह : क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायतें पहुंची हैं कि विस्थापित लोगों को अपने निकट बान्धवों से पृथक् किया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : ऐसी कोई शिकायतें नहीं ।

श्री बहादुर सिंह : जिन कुटुम्बों का कोई कमाने वाला नहीं उन के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : जिन कुटुम्बों का कोई कमाने वाला नहीं उनको राजपुरा की स्थायी भार शाला में भेजा गया है ।

श्री गिडवानी : योल केम्प में अभी रहने वाले विस्थापित व्याक्तियों की क्या संख्या है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं नवीनतम आंकड़े नहीं दे सकता क्योंकि हाल ही में लगभग ८०० कुटुम्ब इधर उधर चले गये हैं । हां, ३० मार्च को व्यक्तियों की संख्या ५,६२५ थी ।

अभ्रक के कणों की निकासी

*१२८२. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गिरदिह (बिहार) के अभ्रक के कारखानों के संघ ने भारत सरकार से यह प्रार्थना की थी कि वह द्रव्य मंत्रालय (विभिन्न द्रव्य निवेशालय) लन्दन पर इस बात के लिये जोर डालें कि मेसर्स काक्स तथा किग्स (अभिकर्ता) सीमित, द्वारा बिहार में इंगलिस्तान की सरकार के नाम जमा संख्या ६, अभ्रक कण भांडार में से बहुत मात्रा की निकासी के लिये बुलाये गये टेंडर रद्द किये जायें, वापस लिये जायें या तब तक उठाये रखे जायें जब तक अभ्रक उद्योग की स्थिति सुधर जाये ?

(ख) यदि प्रार्थना की गई, तो क्या सरकार ने संघ की इच्छा को पूरा किया ?

(ग) टेंडरों के रद्द करने या वापस लेने के बारे में क्या हुआ ?

(घ) केन्द्रीय अभ्रक परामर्शदात्री समिति की क्या राय थी ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (घ) . अपेक्षित जानकारी एक विवरण में दी गई है जो सदन पटल पर रखा हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १]**

श्री एन० पी० सिन्हा : विवरण की चौथी कंडिका में बताया गया है कि स्कन्ध की निकासी का प्रबन्ध अभ्रक व्ययन करार के निबन्धनों के अनुकूल था । क्या मैं जान सकता हूं कि इस विषय में क्या करार में कोई ऐसी शर्त थी कि सारे स्कन्ध की एक ही बार या अंशतः निकासी की जाये ?

श्री के० डी० मालवीय : करार का सिद्धान्त यह था कि अभ्रक की आनुक्रमिक विपणि सुनिश्चित की जाये ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि इस छः लाख पौंड अभ्रक की निकासी एकदम क्यों की जा रही है ? क्या इससे हमारी अभ्रक के आयात की नीति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ? क्या इस से हमारा उद्योग अभिभावित नहीं होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : सारे प्रश्न की जांच अभ्रक व्यथन तालिका ने की परन्तु इस ने यह विचार किया कि यह इतनी अधिक मात्रा नहीं थी जिस में कि कटौती कि जाये ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं यदि भारत के अभ्रक उद्योग-पतियों ने यह शिकायत की कि इस निकासी से हमारे उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : हां श्रीमान्, इस प्रश्न पर विचार किया गया और इस एसोसिएशन की राय तालिका को बताई गई थी परन्तु इसका विचार यही था कि ऐसा करने में हम करार के निबन्धनों के अधीन चल रहे हैं और इस लिये सरकार को इस मामले में और कुछ नहीं करना चाहिये ।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि स्कन्धों की निकासी हुई है या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं इस के बारे में कुछ नहीं कह सकता, परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बता सकता हूं कि कुल स्कन्ध में से आधे से कम बाकी है ।

सोने का करापहरण

*१२८३. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ में भारत से भारत में विदेशी बस्तियों या पड़ोस के विदेशों को कितनी मात्रा में सोने का करापहार किया बताया गया है;

(ख) १९५२-५३ में भारत में सोने के करापहार के कितने मामलों का पता लगा; तथा

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). केवल इतना बताना ही सम्भव है कि करापहरण के समय कितना सोना पकड़ा गया है । १९५२-५३ में भारत से भारत में विदेशी बस्तियों अथवा पड़ोस के विदेशों को करापहार करते समय जो सोना पकड़ा गया उसकी मात्रा ८२९ तोले है और यह २२७ बार पकड़े गये कुल सोने की मात्रा है ।

१९५२-५३ में भारत में करापहार करते समय २५६ बार सोना पकड़ा गया । अतः इस वर्ष में भारत में कुल ४८३ मामलों का पता लगा है ।

(ग) अब तक जिन अपराधों का बहिःशुल्क समाहर्ताओं ने न्यायनिर्णयन किया है, उन के बारे में समुद्रीबहिः शुल्क अधिनियम की धारा १६७, खण्ड ८ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है । चोरी से लिया जाने वाला सोना ज़ब्त किया गया और स्वामियों को यह अधिकार दिया गया कि यदि वह चाहें वह इस के बदले भारी जुर्माना दे सकते हैं । साथ ही, जिस किसी मामले में आवश्यक समझा गया, अपराधियों को कुछ जुर्माना भी किया गया । इस विभागीय कार्यवाही के अतिरिक्त, किसी किसी मामले में अपराधियों पर न्यायालयों में मुकदमें चलाये गये और उनको कारावास दण्ड दिया गया और जुर्माने भी किय गये ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं उन विदेशी बस्तियों तथा विदेशों के नाम जान सकता हूं जहां चोरी से सोना ले जाने का प्रयत्न किया गया था ?

श्री ए० सी० गुहा : साधारणतः सोना भारत में ही चोरी से लाया जाता है, और भारत से बाहर नहीं लिया जाता। जो सोना विदेशों में लिया जाता है, वह भी पाकिस्तान जैसे पड़ोस के ही विदेशों में लिया जाता है। जहां तक भारत के भीतर चोरी से सोना ले आने का सम्बन्ध है, यह अधिकतर भारत में विदेशी बस्तियों या खलीज फ़ारस से लाया जाता है।

श्री एल० एन० मिश्र : १९५२-५३ में सोने के करापहरण के आंकड़े गत दो वर्षों के आंकड़ों से कम हैं या अधिक ? क्या करापहरण में कमी हो रही है या बढ़ौती ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं यह नहीं कर सकता कि करापहरण में कमी हुई है या वृद्धि। परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि पकड़े गये मामलों की संख्या गत वर्ष से प्रति कम है। मेरा विचार है कि पहले भी एक बार श्री त्यागी ने यही उत्तर दिया था।

श्री जयपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं यदि वायुयानों द्वारा सोने के करापहार के भी कुछ मामले हुए हैं ? यदि उत्तर 'हां' में हो, तो इस में अन्तर्ग्रस्त वायुयान समवायों के क्या नाम हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : प्रायः वायुयानों के द्वारा ही सोने का करापहरण होता है, विशेषकर बम्बई तथा कलकत्ता में। परन्तु मैं वायुयान समवायों के नाम बताने में असमर्थ हूं। मुझे इस विषय में जानकारी नहीं।

श्री वी० पी० नायर : कल के 'टाइम्स आफ इंडिया' में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि ६३ करोड़ रुपये के मूल्य वाले ६९००० तोले सोना भारत में चोरी से लाये गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे पास इस समय ऐसी कोई जानकारी नहीं।

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : ६३ करोड़ रुपये का आंकड़ा तो व्यावहारिक रूप में गलत है। ६९,००० तोले का मूल्य लगभग ६३ लाख रुपये बनता है।

रक्षित बैंक की शाखाओं की स्थापना

*१२८४. **श्री एल० एन० मिश्र :** (क) क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसी प्रस्थापना है कि रक्षित बैंक की शाखायें अधिक संख्या में स्थापित की जायें ?

(ख) यदि है, तो कितनी शाखायें किन किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) बैंक का तात्कालिक कार्यक्रम यह है कि बंगलौर, नागपुर तथा पटना में एक एक शाखा खोली जाये।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं पटना की शाखा कब से कार्य-सम्पादन करेगी ?

श्री ए० सी० गुहा : कठिनाई यह है कि नई शाखा खोलने की दशा में प्रायः बैंक को अपना मकान निर्माण करना पड़ता है। पटना में राज्य सरकार से परामर्श करने पर भूमि प्राप्त की जायेगी।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि इन शाखाओं को किस नीति के आधार पर खोल जा रहा है ?

श्री ए० सी० गुहा : देहाती महाजनी सम्बन्धी जांच समिति सिफारिश करती है कि देहाती व्यापार व्यवस्था के सुधार के लिय रक्षित बैंक की और शाखायें खोलनी चाहियें और रक्षित बैंक और शाखायें खोलने की योजना हाथ में लेता है । इस समय यह तीन और शाखायें खोलेगा ।

श्री टी० एस० ए० चेटियार : क्या रक्षित बैंक द्वारा राज्य सरकारों की राजधानियों से बाहर शाखायें खोलने पर कोई बैधानिक प्रतिबन्ध है ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे विचार में कोई एसा बैधानिक प्रतिबन्ध नहीं ।

श्री ए० एम० टामस : भारतीय महाजनी समवाय अधिनियम के कुछ उपबन्ध जैसे कि निक्षेपों का कुछ प्रतिशत नकदो के रूप में या रक्षित अथवा साम्राजिक बैंक की शाखाओं के पास रक्षित रखने की आवश्यकता, भाग (ख) राज्यों के बारे में भी लागू कर दिये गये हैं । क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार को विदित है कि रक्षित बैंक की शाखायें सारे देश में न होने के कारण इस बैंक में रुपया निक्षिप्त करने में उन छोटे बैंकों को क्या कठिनाइयां अनुभव करनी पड़ती हैं जिन की अर्धनागरिक क्षेत्रों में शाखायें हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मुझे कुछ जानकारी नहीं । मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एल० एन० मिश्र : यदि अभिप्राय यह है कि देहातों में उधार की सुविधाओं के लिये रक्षित बैंक के सम्पत्ति-स्रोतों का प्रयोग किया जाये, तो यह सुविधायें कैसे दी जायेंगी ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे विचार में ऐसा कोई तात्कालिक कार्यक्रम नहीं, परन्तु मैं केवल इतना कह सकता हूं कि देहाती महाजनी सम्बन्धी जांच समिति ने और शाखायें खोलने की सिफारिश की है ।

भारतीय चलार्थ

*१२८७. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश के किन भागों में भारतीय चलार्थ का परिचारण नहीं होता है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : भारतीय चलार्थ आज कल समस्त भारत संघ में परिचारित है ।

श्री पी० टी० चाको : क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार को इस बात का ज्ञान है कि तिरुवांकुर के सिक्के बन्द किये जाने के समय से उस क्षेत्र में भारतीय सिक्कों का बहुत अभाव है ?

श्री ए० सी० गुहा : हमें एसी कोई सूचना नहीं ।

पंजाब विश्वविद्यालय को अनुदान

*१२८८. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३ में भारत सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय को यदि कोई अनुदान दिया है तो कितनी राशि का ?

(ख) क्या सरकार को १९५३–५४ में अधिक निधि देने का विचार है ?

(ग) यदि है, तो उसकी राशि कितनी है?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५२-५३

म पंजाब विश्वविद्यालय को वैज्ञानिक तथा शिल्पिक शिक्षा के लिये कुल ३ लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। पंजाब सरकार को भी विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं के पुनः प्रतिष्ठान के लिये दो लाख रुपये दिये गये हैं, परन्तु इन के बारे में शर्त यह है कि विशिष्ट योजनाओं की अनुमति प्राप्त की जाये और राज्य सरकार भी व्यय के कुछ भाग का भार अपने ऊपर ले।

(ख) तथा (ग). यह मामला विचाराधीन है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं यदि पंजाब विश्वविद्यालय में भूतत्व विभाग खोलने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस बात का ज्ञान नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह विस्तृत बातें हैं जिनका सब से अधिक ज्ञान विश्वविद्यालय को है।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं यदि यह अनुदान किसी विशेष प्रयोजन के लिये दिया जा रहा है?

श्री के० डी० मालवीय : माननीय सदस्य किस अनुदान के विषय में पूछ रहे हैं? दो पृथक् अनुदान हैं।

श्री राधा रमण : पंजाब विश्वविद्यालय को जो अनुदान दिया गया है।

श्री के० डी० मालवीय : दो पृथक् अनुदान हैं। एक तीन लाख रुपये का अनुदान पंजाब विश्वविद्यालय को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वैज्ञानिक तथा शिल्पिक शिक्षा के लिये दिया गया है। दो लाख रुपये का दूसरा अनुदान साधारण प्रयोजनों के लिये है और यह पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा कुछ शर्तें पूरी करने पर ही दिया जायेगा।

श्री मात्तन : किस सिद्धान्त के आधार पर या किस की सिफारिश पर अनुदान दिये जाते हैं?

श्री के० डी० मालवीय : भारत सरकार ही इस बात का विनिश्चय करती है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : पंजाब विश्वविद्यालय एक विस्थापित विश्वविद्यालय है और इस के पास पर्याप्त सम्पत्ति-स्त्रोत नहीं क्या मैं जान सकता हूं यदि चन्दीगढ़ में भवन आदि बनाने के विषय में इस विश्वविद्यालय को कोई विशेष अनुदान दिया जायेगा?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : भारत सरकार कोई निश्चित वचन नहीं दे सकती, परन्तु पंजाब विश्वविद्यालय की जो कठिनाइयां हैं वह सरकार के दृष्टिगोचर हैं और उन पर सहानुभूति से विचार किया जा रहा है।

अमरेली को सौराष्ट्र के साथ मिला देना

***१२९०. सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या राज्य मंत्री १८ मार्च, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६११ के दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस में निर्दिष्ट शिष्ट-मंडल के दृष्टिकोण पर सरकार विचार करेगी?

(ख) क्या बम्बई सरकार ने सुझाव स्वीकार किया है और क्या उस ने अपनी राय भारत सरकार को बतला दी है?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ख) अमरेली को

सौराष्ट्र के साथ मिला देने के बारे में कोई शिष्ट-मंडल प्रधान मंत्री या राज्य मंत्री से नहीं मिला। प्रजा साम्यवादी दल द्वारा भेजे गये अभिवेदन पर सरकार ने उचित विचार किया। क्योंकि सात्करण के बारे में कोई विशेष सार्वजनिक मांग नहीं दीख पड़ती भारत सरकार इस मामले में सूत्रपात करना आवश्यक नहीं समझती। जनवरी, १९५० के बाद बम्बई सरकार ने इस विषय की ओर कोई निर्देश नहीं किया।

मनीपुर के साम्यवादियों से शस्त्रों की वसूली

*१२९१. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से फरवरी १९५३ तक मनीपुर के साम्यवादियों से वसूल किये गये विभिन्न प्रकार के शस्त्रों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं; तथा

(ख) क्या सरकार अब भी मनीपुर के साम्यवादियों से शस्त्र वसूल कर रही है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) १९४७ से फरवरी १९५३ तक मनीपुर के साम्यवादियों से यह शस्त्र वसूल किये गये हैं :

राइफलें	१०
जैप राइफल	१
स्टेनगन	७
हथबम	९
देसी बन्दूक	१
नेज़ा	१
नलियां	३
विस्फोटक	२ सेर
विभिन्न प्रकार के युद्धोपकरण	२८२५

(ख) अनुज्ञप्तिहीन शस्त्रों के गैर कानूनी स्वामियों से, जिनमें साम्यवादी भी सम्मिलित हैं, यह शस्त्र वसूल करने का सदा प्रयत्न किया जाता है।

श्री एल० जे० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं यदि बर्मा के साम्यवादी मनीपुर के साम्यवादियों को निरन्तर रूप से शस्त्र भेजते रहे हैं ?

डा० काटजू : साम्यवादी जहां भी हों, बर्मा में हों या मनीपुर में, वह साम्यवादी ही होते हैं। यदि वे मनीपुर में हों तो उन से शस्त्र वसूल किये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह बर्मा के साम्यवादियों द्वारा लगातार शस्त्र भेजे जाने की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

डा० काटजू : मैं इस प्रश्न के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता।

श्री एल० जे० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं यदि कुछ नवीनतम रूसी अथवा चीनी शस्त्र वसूल किये गये हैं ?

डा० काटजू : रूस द्वारा निर्मित ?

श्री एल० जे० सिंह : नवीनतम रूसी अथवा चीनी प्रकार के ?

डा० काटजू : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यदि आप चाहें तो मैं पूछ ताछ कर सकता हूं।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के पास क्या प्रमाण हैं कि यह शस्त्र साम्यवादियों से, साम्यवादी दल अथवा उस से सम्बन्धित किसी व्यक्ति से ही वसूल किये गये हैं ?

डा० काटजू : सरकार के पास यह जानकारी है कि कौन लोग साम्यवादी हैं और कौन नहीं हैं। यदि शस्त्र उन लोगों से वसूल किये जायें जिन को

सरकार साम्यवादी समझती है तो तदनुसार उत्तर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

श्री नम्बियार : मैं इस बात का स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं। यह एक गम्भीर प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : हम तर्क देने लगे हैं।

श्री नम्बियार : मैं केवल इस मामले के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न लीजिये।

श्री नम्बियार : यह एक बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति आप तर्क दे रहे हैं।

श्री नम्बियार : मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि....

अध्यक्ष महोदय : मुझे ज्ञात है कि वह क्या जानना चाहते हैं। यह एक तर्क है।

श्री नम्बियार : यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है।

स्थानीय निर्माण के लिये रखी गई धनराशि का व्यय करने का अभिकरण

*१२९४. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानीय निर्माण के लिये रखी गई ३ करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय किस अभिकरण द्वारा किया जायेगा; केवल राज्य सरकारों द्वारा या कि राज्य सरकारों तथा स्वतन्त्र गैरसरकारी सामाजिक संघटनों द्वारा; तथा

(ख) यदि दोनों अभिकरणों का प्रयोग किया जायेगा, तो दोनों के बीच धनराशि बांटने के विषय में क्या कोई अनुपात निश्चित कर लिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख). इस अभिप्राय से रखी गई तीन करोड़ रुपये की कुल धनराशि में से ढाई करोड़ रुपये जनसंख्या के आधार पर राज्यों में बांटी गई हैं और राज्य सरकारों द्वारा इस का व्यय किया जायेगा। शेष ५० लाख रुपये इस अभिप्राय से रक्षित रखे गये हैं कि यह राशि योजना आयोग की मन्त्रणा के अनुकूल वित्त मंत्रालय द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप में उपदानों के रूप में दी जाये। विचार यह है कि उन विद्यमान अथवा नये स्वयंसेवक संघटनों को, जो देहातों में विशेष विकासात्मक कार्यक्रम चलाने के बारे में प्रत्यक्ष प्रार्थना करें, अवसर देने के लिये इस राशि का प्रयोग किया जाये।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं यदि यह अनुदान देने के सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त अपनाये गये हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : उपदान दो सिद्धान्तों के आधार पर वितरित किये जायेंगे। पहला यह है कि पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखते हुए, उन क्षेत्रों को अधिमान दिया जाना चाहिये जिनको योजना के अन्तर्गत प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ है। दूसरा यह है कि सरकार द्वारा दी गई धननिधियों के साथ साथ नकदी या स्वयंसेवक श्रम के रूप में स्थानीय परिश्रम भी उपलब्ध होना चाहिये।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यदि कोई स्थानीय सार्वजनिक सेवा संस्था कुछ काम करना चाहे तो उसको कितनी धनराशि का अंशदान देना होगा, क्या इस विषय में कुछ अनुपात निश्चित किया गया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : : सामान्यतः अंशदान योजनाओं की कुल लागत का ५० प्रति शत होना चाहिये ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं यदि राज्य सरकारों को कहा गया है कि जिन बिषयों के लिये बंटन की जानी है उन की सूची भेजी जाये ?

श्री सी० डी० देशमुख : हां, श्रीमान्, यह सूचियां मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को भेजी जायेंगी ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं यदि भारत सेवक समाज द्वारा कुछ राशि का व्यय किया जा रहा है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जैसा कि मैं ने पहले कहा है, अधिकांश राशि राज्य सरकारों द्वारा व्यय होगी, पर इस का अभिप्राय यह नहीं कि राज्य सरकार ही इस का व्यय करेंगे । शेष इस लिये रक्षित रखा गया है कि वित्त मंत्रालय स्वयं इसको अनुदानों के रूप में देगी । विचार यह है कि इन राशियों का प्रयोग ऐसे किया जाये कि उन स्वयं-सेवक संघटनों को जिन के कर्तव्य अच्छे हों, अथवा देहातों में ऐसा काम करने के लिये ही विशेषकर जो संघटन स्थापित किये जायें उन्हें यह काम करने का अवसर मिले । इन में भारत सेवक समाज भी सम्मिलित है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं यदि इन राशियों के वितरण के लिये कोई समय अनुसूची निश्चित की गई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : अप्रैल, १९५३ के आरम्भ में राज्य सरकारों को एक पत्र भेजा गया है और उन से कहा गया है कि जून, १९५३ के अन्त तक अपनी सिफारिशें भेज दें ।

श्री बी० एस० मूर्ति : : क्या मैं जान सकता हूं यदि रायलसीमा को, वहां के पिछड़ेपन के दृष्टिगोचर, कोई अनुदान दिये जा रहे हैं या दिये जायेंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस मामले पर मद्रास की राज्य सरकार ही विचार कर सकती है ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या यह राशि राज्य वार वितरित की जायेगी ? मद्रास राज्य को कितनी राशि बांट में दी गई हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : हां, श्रीमान् । ४० लाख रुपये ।

त्रिपुरा में सक्रमण-शिविर

*१२९५. **श्री दशरथ देव** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में अभी कितने संक्रमण-शिविर हैं और उन में से प्रत्येक में कितने विस्थापित व्यक्ति रह रहे हैं ?

(ख) त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कितने उपनिवेश बनाये गये हैं और इन में से प्रत्येक में कितने विस्थापित व्यक्ति फिर से बसाये गये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) तथा (ख) . जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रखी जायेगी।

सिकन्दराबाद छावनी में पानी का अपर्याप्त संभरण

* १२९७. **श्री विट्टल राव :** क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिकन्दराबाद छावनी के इलाकों के निवासियों से सरकार के पास कोई ऐसी शिकायतें पहुंची हैं कि वहां पानी का संभरण अपर्याप्त है और सड़कों पर कोई रोशनी नहीं; तथा

(ख) यदि पहुंची हैं, तो क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

रक्षा उपमंत्री सरदार मजीठिया : (क) मंत्रालय के पास कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं पहुंची हैं। सरकार बोलारम के निवासियों की इस पुरानी मांग से भी सूचित है कि उन के मकानों में नल लगाये जायें और छावनी में पर्याप्त रोशनी का प्रबन्ध करने की कठिनाइयों से भी।

(ख) छावनी मंडली के सामने यह योजना है कि बोलारम में एक पृथक् जलनिधि स्थापित की जाये और हैदराबाद का लोक निर्माण विभाग बोलारम जाने वाले पानी के बड़े नलों की संख्या दुगनी करेगी। जब यह बड़े नल लगाये जायें तो बोलारम के निवासियों के मकानों में नल लगाये जायेंगे।

सड़कों की रोशनी का प्रश्न तो धन-निधियों की प्राप्यता का प्रश्न है। पर्याप्त धननिधियों के आधार पर छावनी मंडली जो कुछ हो सकता है करती रही है। और अवस्था क्रमशः सुधर रही है। इस प्रयोजन के लिये चालू वर्ष के बजट में ६०,००० रुपये रखे गये हैं और आगामी वर्ष के बजट में १०,००० रुपये। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बड़ी विस्तृत छावनी में पर्याप्त रोशनी पहुंचाने की कठिनाइयों को समझ लेंगे, क्योंकि केवल सिकन्दराबाद तथा बोलारम के बीच का अन्तर लगभग ९ मील है।

श्री विट्टल राव : क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार को यह विदित है कि बोलारम तथा उन इलाकों के अतिरिक्त जहां सैनिक कर्मचारिवृन्द निवास कर रहा है, अन्य इलाकों में पानी के संभरण का बिल्कुल कोई प्रबन्ध नहीं ?

सरदार मजीठिया : प्रश्न छावनी मंडली के विषय में था। यदि यह क्षेत्र छावनी मंडली के क्षेत्र से बाहर है तो स्वाभाविकतः यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है।

श्री विट्टल राव : मैं छावनी क्षेत्र के भीतर के इलाकों के विषय में बोल रहा हूं। इस क्षेत्र के साथ वाले इलाकों में सैनिक कर्मचारिवृन्द के लिये तो पानी का संभरण होता है, परन्तु इस क्षेत्र में बिल्कुल कोई पानी का संभरण नहीं।

सरदार मजीठिया : यह सच नहीं। मैं समझता हूं कि इस कारण कठिनाइयां हैं कि छावनी मंडली के क्षेत्र के साथ वाले बोलारम के क्षेत्र में भूमि का स्तर पम्पिंग स्टेशन से ऊंचा है और पानी का दबाव कम है। इसी बात का सुधार करने की दृष्टि से हमारे सामने एक जलनिधि का निर्माण करने तथा बड़े नलों की संख्या दुगनी करने की योजना है, जैसा कि मैं ने पहले कहा। इस के परिणामस्वरूप पानी के संभरण में निश्चित सुधार होगा।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेते हैं ।

पाकिस्तान में छोड़ी सम्पत्ति के लिये प्रतिकर

*१२९८. **श्री गिडवानी :** (क) क्या पुनर्वास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान उन संकल्पों की ओर दिलाया गया है जो दिल्ली राज्य की विधान-सभा तथा पंजाब के विधान-परिषद् में क्रमशः २५ तथा २६ मार्च १९५३ को बिना विरोध पारित किये गये और जिन में सरकार से यह प्रार्थना की गई कि पाकिस्तान में छोड़ी हुई सम्पत्ति के लिये विस्थापित लोगों को शीघ्र प्रतिकर दिया जाये ?

(ख) क्या पुनर्वास मंत्रालय द्वारा मंत्रि-मण्डल को प्रस्तुत की गई प्रतिकर योजना पर विचार किया गया है ?

(ग) यदि किया गया है, तो सरकार का विनिश्चय क्या है ?

(घ) सरकार को यह प्रतिकर कब देने का विचार है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) . प्रतिकर योजना पर क्रियाशील विचार किया जा रहा है । योजना के मंजूर होने पर देनगियां आरम्भ की जायेंगी ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि पुनर्वास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई योजना पर विचार करने के लिये सरकार ने एक मंत्रि-मण्डलीय समिति नियुक्त की है ?

श्री जे० के० भोंसले : हां, श्रीमान् ।

श्री गिडवानी : समिति की निर्देश्य शत क्या हैं और यह अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

श्री जे० के० भोंसले : इस के अतिरिक्त और कोई निर्देश्य शतें नहीं कि वह योजना का सविस्तार परीक्षण करे और अपना प्रतिवेदन भेज दे ।

श्री गिडवानी : प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्री जे० के० भोंसले : जब वह योजना का परीक्षण कर चुकेंगे ।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : इस के लिये कोई खास तारीख मुकर्रर नहीं की गई है । लेकिन जहां तक जल्द मुमकिन है, वह कमेटी काम करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेते हैं ।

टंगस्टेन

*१२९९. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे देश में कहां और कितनी मात्रा में टंगस्टेन पाया जाता है ?

(ख) यह कहां निर्यात किया जाता है ?

(ग) यदि निर्यात नहीं किया जाता तो इसकी कितनी मात्रा बिना क्रय किये पड़ी रहती है और उसका मूल्य क्या है ?

(घ) हमारी वर्तमान अपेक्षा कितनी है और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

(ङ) आज कल टंगस्टेन का प्रति टन मूल्य क्या है और दो वर्ष पूर्व क्या था ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ड़) . प्राप्य जानकारी एक विवरण में दी गई है जो सदन पटल पर रखा हुआ है।

(ख) से (घ) . जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रखी जायेगी।

विवरण

(क) भारतीय भूतत्व परिमाप के निदेशक ने यह प्रतिवेदन दिया है कि भारत में केवल एक ही स्थान है जहां अच्छी प्रकार की टंगस्टन की खानें मिलती हैं जिन में वोल्फ्राम (टंगस्टन अयस्क) का निक्षेप भी है। वह हैं जोधपुर, राजस्थान, में देगाना (२६°५०', ७४°२०') की खानें। देश में अन्य स्थानों पर जहां यह खनिज हैं उन के नाम निम्नलिखित हैं। परन्तु इन स्थानों पर इस खनिज का आर्थिक मूल्य कुछ नहीं है।

(१) चेन्दपाथर (२२° १५'; ८६° ४५), बंकुरा जिला, पश्चिमी बंगाल।

(२) कालीमाती (२२° ४६'; ८६° १७'), सिंघभूम जिला, बिहार।

(३) झेर (२२° ३५'; ७३° ४२') तथा पाल्ला (२२° ३४'; ७३° ४२'), बेरिया, बम्बई।

(४) अगरगांव (७९°२९'; २१° ६'), नागपुर जिला, मध्य प्रदेश।

(ङ) इंजीनियरिंग तथा माईनिंग जर्नल, न्यूयार्क, के १८ जनवरी, १९५१ के अंक में दी गई जानकारी से पता चलता है कि अच्छी प्रकार के टंगस्टन अयस्क उल्यो० ओ० ३ का मूल्य २१,५१७ रुपये प्रति शार्ट टन अथवा २४,००० रुपये प्रति लांग टन है।

बाजार के विद्यमान मूल्य दर विदित नहीं हैं।

श्री बलवन्त सिंह मेहता : क्या मैं जान सकता हूं कि राजस्थान की देगाना खानों के विषय में क्या कोई वैदेशिक शिल्पिक मंत्रणा प्राप्त कर ली गई है? यदि कर ली गई है, तो क्या सिफारिशें की गई हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार को ऐसी मन्त्रणा प्राप्त करने का विचार है?

श्री के० डी० मालवीय : मैं नहीं समझता कि इस मामले में वैदेशिक मंत्रणा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता है। आई० बी० एम० के हमारे विशेषज्ञों को इस का पूर्ण ज्ञान है।

श्री बलवन्त सिंह मेहता : क्या मैं जान सकता हूं यदि यह सच है कि राजस्थान में टंगस्टेन का निर्यात करने की अनुमति नहीं दी गई थी जब कि इस के अच्छे दाम मिलते थे और इस को यहां ही कम दामों पर बेचा जाना पड़ा?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस बात का ज्ञान नहीं परन्तु, यह सच है कि भारतीय खान ब्यूरो की सिफारिशों के अन्तर्गत जोधपुर में निकाले गये खनिजों के इधर उधर भेजने पर प्रतिबन्ध लगाने पड़े।

श्री वी० पी० नायर: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि मिश्रधातु के उपकरणों, बिजली के लेम्पों के अन्दर वाली तार तथा रेडियो के ट्यूबों के लिये देश में कितने टंगस्टेन की अपेक्षा होती है? इस देशी मांग को किस हद तक देश में प्राप्त टंगस्टेन से पूरा किया जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह प्रश्न तो वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : नहीं, श्रीमान्, प्रश्न है कि हमारे देश में टंगस्टेन कितनी मात्रा में मिलता है ?

श्री के० डी० मालवीय : देश में इस समय प्राप्य मात्रा का जहां तक सम्बन्ध है, राजस्थान में २० से ३० टन तक का स्कन्ध पड़ा है । टाटा लोहा तथा इस्पात समवाय आज कल इस का कुछ भी उपभोग नहीं करता । आशा की जाती है कि कुछ और मात्रा इकट्ठी हो जायेगी । परन्तु राजस्थान सरकार विदेशों को टंगस्टेन निर्यात करती है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न लीजिये ।

बेलारी तालुक के आन्ध्र राज्य में मिलाने के प्रति कन्नडिगों का विरोध

***१३००. श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है क्या कि कन्नडिगों ने बेलारी तालुक के नव-स्थापित आन्ध्र राज्य में मिलाने के प्रति कटु विरोध किये हैं ;

(ख) क्या इन विरोधों के दृष्टिगोचर सरकार बेलारी तालुक के मामले का पुनर्परीक्षण करने को तैयार है तथा

(ग) क्या सीमा आयोग को इस बात की अनुमति दी जायेगी कि इस प्रश्न की पूरी जांच करें और, यदि आवश्यक हो, तो परिवर्तन की सिफारिश करे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ; कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जैसा कि प्रधान मंत्री ने २५ मार्च, १९५३, को अपने वक्तव्य में व्याख्या किया, बेलारी तालुक का प्रश्न अभी विचाराधीन है और इस के विषय में शीघ्र ही विनिश्चय किया जायेगा।

(ग) सीमा आयोग के बारे में जो स्थिति है उस का भी प्रधान मंत्री के उक्त वक्तव्य में व्याख्या किया गया है और मुझे इस के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या इस मामले में ज़िले के लोगों से परामर्श किया जायेगा ?

श्री दातार : लोगों के अभिवेदन पहले ही सरकार के पास आये हैं ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् : क्या कुछ ऐसे पत्र आये हैं जिन में बेलारी तालुक की स्थिति के बारे में असंतोष प्रकट किया गया है ? यदि उत्तर 'हां' हो, तो कितने पत्र आये हैं ?

श्री दातार : बहुत संख्या में अभिवेदन आये हैं और वह सब से अधिक हैं ।

श्री रघुरामय्या : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बेलारी की म्यूनिसिपल परिषद् ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया जिस में इस बात पर आग्रह किया गया कि बेलारी को आन्ध्र राज्य में सम्मिलित किया जाये ? क्या बेलारी म्यूनिसिपेलिटी और रुपनगुडी तथा मोका नामक दो साथ के फिर्कों में, सब को मिलाकर, कन्नडिगों से आन्ध्रों की संख्या अधिक है ? क्या सरकार ने इस बात की ओर पूरा ध्यान दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानकारी प्राप्त करने के बदले जानकारी दे रहे हैं। शान्ति! शान्ति! श्री विद्यालंकार!

श्री ए० एन० विद्यालंकार : आन्ध्र के लोगों की इस विषय में क्या राय है?

श्री दातार : हम आन्ध्रों तथा कन्नडिगों की राय प्राप्त कर रहे हैं।

श्री ए० एन० विद्यालंकार: मैंने पूछा था कि आन्ध्रों की राय क्या है?

अध्यक्ष महोदय: यह एक विवाद का प्रश्न है। अगला प्रश्न लीजिये।

भारत में आने वाले पाकिस्तानी मुस्लमान

*१३०१. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ में प्रमति-पत्र या पारपत्र बिना कितने पाकिस्तानी मुसलमान भारत में आये?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : पूछी गई जानकारी इस ससय प्राप्य नहीं। इकट्ठी किये जाने पर सदन पटल पर रखी जायेगी।

जन संघ आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

*१३०३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली राज्य में अब तक जन संघ आन्दोलन के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, कितनों को क्षमा मांगे जाने पर छोड़ दिया गया तथा कितनों को दण्ड दिया गया?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जन संघ आन्दोलन के सम्बन्ध में ३ अप्रैल १९५३ तक दिल्ली राज्य में ५५१ व्यक्ति गिरफ्तार किये. जिन में से ९ व्यक्ति क्षमा मांगने पर छोड़ दिये गये और ३६० को दण्ड दिवा गया।

श्री रघुनाथ सिंह: क्या इस आन्दोलन में जम्मू और काश्मीर के लोगों ने भी भाग लिया था या नहीं?

श्री दातार: जम्मू और काश्मीर के लोगों की संख्या बहुत ही थोड़ी है।

श्री वी० पी० देशपांडे : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि निवारक निरोध अधिनियम के अधीन कितन लोग गिरफ्तार किय गये?

श्री दातार : प्रश्न निवारक निरोध अधिनियम का नहीं। यह तो मुकदमा चलाये जाने और दण्ड दिये जाने का प्रश्न है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय: एक एक करके बोलिये। **श्री देशपाडे**

श्री वी० जी० देशपांडे: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कारागारों तथा पुलिस के थानों में परीक्षण किये गये और क्या सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किये के पश्चात् पीटा गया, और कितने सत्याग्रहियों को हथकड़ी लगाई गई?

श्री दातार: किसी को पीटा नहीं गया।

श्री वी० जी० देशपांडे : हथकड़ियां डालने और कारागारों में परीक्षण करने के विषय में.... (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय: गर्मा-गर्मी की कोई बात नहीं। वह केवल जानकारी मांग रहे हैं।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं पूछ रहा था कि क्या बन्दियों को पीटने की कुछ शिकायतें हुई हैं और क्या बन्दियों को हथकड़ियां डाली गई और क्या परीक्षण पुलिस के थानों में या कारागारों में ही किया गया ?

श्री दातार : हमारे पास कोई शिकायतें नहीं पहुंची हैं। जो शिकायतें आई उनका बिल्कुल कुछ आधार न था।

श्री वी० जी० देशपांडे : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर दिया जा चुका है। कोई शिकायतें नहीं आई है।

डा० एस० पी० मुकर्जी : मैंने स्वयं एक शिकायत गृह मंत्री के पास भेजी और उन से मैंने इस विषय पर बात-चीत भी की।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानकारी देने के बहाने अब ....

डा० एस० पी० मुकर्जी : यदि उत्तर बिल्कुल ठीक हो ?

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न पूछ सकते हैं या इस प्रश्न पर विवाद की मांग कर सकते हैं।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन स्वयंसेवकों को गिरफ्तार किया गया वह किन राज्यों से आये थे ?

श्री दातार : इन स्वयंसेवकों में से अधिकांश उत्तर प्रदेश के थे।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार इस बात से सूचित है कि पुलिस द्वारा अपनायी गई अमानुष्यिक रीतियों को छपा कर नगर में परिचारित किया बताया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : इन विस्तृत बातों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री दातार : श्रीमान्, मैं अपने उत्तर में एक शुद्धि करना चाहता हूं। जम्मू तथा काश्मीर का कोई भी व्यक्ति नहीं था जिस को गिरफ्तार किया गया हो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो।

कुछ माननीय सदस्य खडे हुए—

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

कृत्रिम चावल

*१२७६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कृत्रिम चावल के निर्माण की प्रक्रिया में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस प्रक्रिया से यह सम्भावना दीख पड़ती है कि निकट भविष्य में उत्पादन में वृद्धि होने से हम देश में चावल की कमी को पूरा कर सकेंगे ;

(ग) क्या अब तक चावल की कुछ मात्रा का उत्पादन किया गया है

(घ) यदि किया गया है, तो कितनी मत्रा का ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने केन्द्रीय खाद्य सम्बन्धी शिल्प वैज्ञानिक गवेषणा संस्था, मैसर, के विदेशक को इस अभिप्राय से बिदेश भंजा है कि वह वहां बहुत मात्रा में कृत्रिम चावल के उत्पादन की सम्भावनाओं के विषय में विस्तारपूर्वक

अध्ययन करे और विशेषकर इस बात की जांच कर कि इसलिये किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता है और इस के लिये काम किस ढंग से हो रहा है। यह पदाधिकारी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिस पर भारत सरकार विचार करेगी।

(ग) तथा (घ). केन्द्रीय खाद्य सम्बन्धी शिल्प वैज्ञानिक गवेषणा संस्था, मैसूर, ने केवल प्रयोगात्मक मात्रा (३,००० पौंड) का उत्पादन किया है।

श्री एम० वल० द्विवेदी: क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना के सम्बन्ध में कितनी धन राशि निश्चित की गई है?

श्री के० डी० मालवीय: कोई राशि निश्चित नहीं करली गई हैं, क्यों कि सरकार ने अभी इस योजना के बारे में कोई विनिश्चय नहीं किया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: समाचारपत्रों में यह खबर छपी है कि एक विशेषज्ञ यन्त्र तथा अन्य उपकरण के विक्रय के विषय में, विदेशी व्यवसाय संघों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि यदि कोई धनराशि इस प्रयोजन के लिय निश्चित नहीं की गई है, तो वह किसी व्यवसाय संघ के साथ किसी प्रकार का संविदा कैसे कर सकते हैं?

श्री के० डी० मालवीय: यन्त्र आदि के विक्रय के लिये कोई रूपया नहीं रखा गया है। केवल इस पदाधिकारी के खर्च के लिये, जो कि वहां इन सब बातों का अनुसन्धान करने के लिये गया है, कुछ रूपया मंजूर कर लिया गया है।

श्री के० सी० सोंधिया: इस योजना की सफलता के दृष्टिगोचर, क्या सरकार "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन को जारी रखना आवश्यक समझती है?

श्री के० डी० मालवीय: हां, श्रीमान् "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन जारी रहेगा।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: क्या मैं जान सकता हूं कि इस पदाधिकारी के भारत लौटने की कब आशा है?

श्री के० डी० मालवीय: शीघ्र ही, श्रीमान्, कुछ सप्ताह में।

श्री सारंगधर दास: क्या भारत सरकार को विदित है कि अमरीका में एक भारतीय शिल्प-विज्ञानी ने एक और प्रक्रिया निकाली हैं और पाकिस्तान सरकार स प्रक्रिया को अपनायेगी परन्तु भारत सरकार ने इस को अस्वीकार किया है?

श्री के० डी० मालवीय: कृत्रिम चावल का उत्पादन करने के लिये हमारी अपनी अलग रीतियां हैं।

श्री सारंगधर दास: क्या मैं जान सकता हूं यदि भारत को यह प्रक्रिया बतलाई जा रही थी परन्तु भारत सरकार ने इसको अस्वीकार किया?

श्री के० डी० मालवीय: जी नहीं। परन्तु मैंने इस प्रक्रिया के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा है।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं जान सकता हूं क्या कृत्रिम चावल का निर्माण इस कारण करना चाहती है कि भारत में प्रति एकड़ उत्पादि घटती जाती हैं?

श्री के० डी० मालवीय: नहीं, श्रीमान्, यह कारण नहीं।

अल्पसूचना प्रश्न और उनके उत्तर

चीन के साथ व्यापार पर निर्बन्धन

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में आये इन संवादों की ओर दिलाया गया है कि भारत सरकार इंगलिस्तान की सरकार के साथ इस सरकार द्वारा चीन के साथ व्यापार पर लगाये गये निर्बन्धनों को दृढ़ करने के विनिश्चय पर परामर्श कर रही है;

(ख) इस लामले में सरकार की क्या धारणा है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां।

(ख) भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय संघ के १८ मई, १९५१ के उस संकल्प का पक्ष नहीं किया जिस के अन्तर्गत चीन को सामरिक सामग्री भेजने पर प्रतिबन्ध लगाया गया। भारत सरकार इसी नीति पर चल रही है और किसी विदेश के साथ व्यापार पर निर्बन्धन लगाने के विषय में हमने कोई वाग्बद्धता स्वीकार नहीं की है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि इंगलिस्तान की सरकार के साथ इस परामर्श और ११ अप्रैल के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार का, कि भारत ने लोहा तथा इस्पात तिब्बत निर्यात करना अकस्मात बन्द कर दिया है और ल्हासा जाने वाले सामान के कई सौ भार गंगटोक-यातुंग सड़क पर पन्द्रहवें मील की चौकी पर रोक लिये हैं, कोई सम्बन्ध है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : पहली बात यह है कि इंगलिस्तान की सरकार के साथ कोई परामर्श नहीं हो रहा है। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य किस बात की ओर निर्देश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैं पहिली बार सुन रहा हूं कि तिब्बत को किये जाने वाले निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। यदि ऐसी कोई बात हुई हो तो मुझे केवल आश्चर्य होगा। मुझे विदित नहीं कि यातायात की कुछ कठिनाइयां हों। परन्तु ऐसी कोई बात नहीं जो कि नीति के आधार पर की गई हो। नीति का तो इस में कोई प्रश्न नहीं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या इस समाचार के विषय में कि राष्ट्रमंडलीय सम्बन्ध के अवर सचिव, श्री जान जोश ने २३ मार्च को लन्दन में कहा था कि चीन के साथ सामुद्रिक व्यापार पर लगाये गये निर्बन्धनों को दृढ़ करने के लिये भारत पाकिस्तान, श्री लंका तथा अन्य देशों की सरकारों के साथ परामर्श हो रहा है, विश्लेषित नकारात्मक उत्तर दिया जा सकता है ? यह समाचार श्री ईडन द्वारा हाउस आफ़ कामन्स में १७ मार्च को दिये गये वक्तव्य से समनुरूप है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं पाकिस्तान, श्री लंका तथा अन्य देशों की सरकारों की ओर से तो कोई उत्तर नहीं दे सकता, जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, हमारे पास समय समय पर परिपत्र आते हैं जिन में कुछ जानकारी दी गई होती है। परन्तु कोई परामर्श नहीं हो रहा है। हमारे पास कुछ सूचना आई है जो कहीं किसी फाइल में पड़ी होगी। इस विषय पर परामर्श तो कुछ नहीं हो रहा है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच है कि कुछ समय पहले फोटोग्राफी

का सामान, पेट्रोल, बिजली का सामान तथा अन्य वस्तुओं के तिब्बत निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था ? यह समाचार ११ अप्रैल के हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशित हुआ था ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे इस बात का ज्ञान नहीं । मेरे विचार में फोटोग्राफी का सामान तिब्बत निर्यात करने के प्रश्न पर हमने कभी विचार नहीं किया । मुझ संशय ही है कि तिब्बत में केमरा भी हों ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमान्, क्या मैं पूछ सकता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : अब इस प्रश्न को रहने दें । यह सब विस्तृत बातें हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं एक प्रश्न के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं । ११ अप्रैल के हिन्दुस्तान टाईम्स में बताया गया था कि केलिम्पांग व्यापारमंडल ने एक तार भेजा था। मुझे इस की सच्चाई का ज्ञान नहीं.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । संसार भर में और किसी ने क्या कहा है, इन बातों में पड़ने का कोई लाभ नहीं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई तार आया है जिस के विषय में समाचार पत्रों में कहा गया है कि यह श्री नेहरू और अन्य मंत्रियों को भेजा गया है और इस में तिब्बत, सिक्किम तथा अन्य पड़ोस वाले देशों को दिये जाने वाले निर्यात को रोके जाने की ओर निर्देश किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं प्रत्येक मंत्रालय की ओर से उत्तर नहीं दे सकता । हो सकता है कि वाणिज्य मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना आई हो, मुझे कुछ ज्ञान नहीं । माननीय सदस्य द्वारा बताये गये विभिन्न तथ्यों के बारे में मुझे बिल्कुल कुछ ज्ञान नहीं, परन्तु पूछ ताछ करने के लिये तैयार हूं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी तथा **श्री जोशिम अलवा** खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेते हैं ।

हैदराबाद के चलार्थ का मूल्यापहार

श्री माधव रेड्डी : (क) क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हैदराबाद सरकार पहली अप्रैल में अपना सारा वित्तीय लेनदेन भारतीय चलार्थ में ही करेगा । यद्यपि हाली सिक्का चलार्थ और दो वर्ष के लिये वैध चलार्थ माना जायगा ?

(ख) क्या यह सच है कि हैदराबाद राज्य बैंक को, जो वहां रक्षित बक का अभिकर्ता हैं, कहा गया है कि भारतीय चलार्थ के विनिमय में जनता को हाली सिक्का चलार्थ न दिया जाये ?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि इस व्यवसाय के फलस्वरूप हाली सिक्का चलार्थ का विनिमय-मूल्य प्रति दिन बढ़ता जाता है और इस से कम आय वाले वर्गों में बहुत बेचैनी फैल रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) हां, श्रीमान् । हैदराबाद सरकार के लेनदेन भारतीय चलार्थ के रूप में ही होंगे और दोनों, भारतीय चलार्थ तथा हाली सिक्का, राज्य में वैध मुद्रा हैं ।

(ख) राज्य चलार्थ को अनुक्रमिक रूप से हटाने की योजना के अनुकूल हाली सिक्का चलार्थ के नोट और एक रुपये के नोट फिर जारी नहीं किये जायेंगे ।

(ग) विनिमय के दर में बढ़ौती होने की कुछ शिकायतें आई हैं, परन्तु भारतीय

मुद्रा के विनिमय में छोटे हाली सिक्के आसानी से प्राप्य होने के दृष्टिगोचर कम आय वाले वर्गों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

श्री माधव रेड्डी: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं कि हाली सिक्का चलार्थ के विनिमय का दर बहुत घट गया है और १०८ हाली सिक्का चलार्थ का मूल्य १०० भारतीय चलार्थ है, और दैनिक आवश्यकताओं के मूल्य बढ़ गये और इस परिवर्तन से लोगों में आतंक की भावना बढ़ गई ?

श्री सी० डी० देशमुख: मेरे विचार में साधारण दशा में यह बात सच नहीं, विनिमय के दर और में बढ़ौती की शिकायतें आई हैं, परन्तु इस का कारण सट्टाबाज़ी है ।

श्री माधव रेड्डी: क्या मैं जान सकता हूं कि वित्त उपमंत्री द्वारा कल दिलाये गये इस आश्वाशन के दृष्टिगोचर कि परिवर्तन शनैः शनैः तथा व्यवस्थात्मक रूप से होगा, इस आपात की स्थिति का सामना करने के लिए क्या उपाय किये जायेंगे और क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से कोई सहायता मांगी है ?

श्री सी० डी० देशमुख: श्रीमान् कल जब विधेयक पारित हुआ उस समय इस मामले पर चर्चा की गई और जैसा मैंने पहले कहा, हाली सिक्का चलार्थ और दो वर्ष के लिये वैध होगा । इस के अतिरिक्त स्थानीय चलार्थ का भारतीय चलार्थ में विनिमय करने के लिये, कोषागारों, उप-कोषागारों तथा हैदराबाद राज्य बैंक की शाखाओं में सुविधायें दी जा रही हैं मैं नहीं समझ सकता कि और क्या किया जा सकता है । हैदराबाद सरकार को उच्च संज्ञा के नोट जारी का विचार हैं । परन्तु यदि यह प्रक्रिया जारी रहे तो स्वाभाविक ही है कि मूल्यापहरण की तिथि उपगिस्थति करनी पड़ेगी और फिर इसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होंगी ।

अध्यक्ष महोदय: क्या श्री मुहीउद्दीन सदन में हैं ?

श्री मुहीउद्दीन: जी हां । क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या हैदराबाद के मुख्य मंत्री ने संवाददाताओं के साथ एक समागम में यह कहा था कि भारत सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी जिस में चलार्थ की चोर बाज़ारी को दण्डनीय अपराध घोषित किया जायेगा ? क्या कोई अधिसूचना जारी की गई है ?

श्री सी० डी० देशमुख: श्रीमान्, मुझे हैदराबाद के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गय कथित वक्तव्य का ज्ञान नहीं । परन्तु सरकारी दर को छोड़ और किसी दर पर चलार्थ के क्रय विक्रय को अपराध घोषित करने के प्रश्न पर पृथक् रूप से विचार किया जा रहा है । इसका अभिप्राय यह नहीं कि इस समय ऐसे सौदे अवैध नहीं माने जाते ।

श्री मुहीउद्दीन: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं यदि हाली सिक्का चलार्थ की प्राप्यता के लिये अधिक सुविधायें देने से वर्तमान संकट की स्थिति सुधारी जा सकती है ? हां शर्त यह रखा जाये कि प्रत्येक मास अथवा प्रति तीन मास की कालावधि के अन्त में परिचारित चलार्थ में से कुल निकाली गई राशि का विवरण दिया जाये ।

श्री सी० डी० देशमुख: श्रीमान्, जैसा मैं ने पहले कहा है, यह एक ऐसी बात

है जो हम करने को तैयार नहीं, अर्थात् इस चलार्थ का पुनः जारी करने के लिये, जिस का मूल्यापहरण किया गया हो, हम तैयार नहीं। मेरे विचार में उचित उपाय यही हैं कि (क) सट्टेबाज़ों के विरुद्ध, तथा (ख) हैदराबाद की जनता को आवश्यक वस्तुएँ सुलभ रूप से प्राप्य होने के लिये, कार्यवाही की जाये।

श्री माधव रेड्डी: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं यदि इस बात के दृष्टिगोचर कि राज्य के सारे मज़दूर संघों ने, जो ९०,००० मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, साधारण हड़ताल की सूचना दी है और वहां पर आतंक फैला हुआ ह, विनिमय के रूप में समान राशि का भारतीय चलार्थ देने की मांग पर सरकार विचार करेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख: नहीं श्रीमान्। हमें विदित है कि विभिन्न मज़दूर संघटनों ने हड़ताल की धमकी दी है। परन्तु ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर हमें इसको सुधारना होगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं यदि हाली सिक्का चलार्थ की चोर बाज़ारी को रोकने के लिये और दामों के बढ़ने के दृष्टिगोचर, सरकार को स्थानीय बैंकों को भारतीय चलार्थ के विनिमय में हाली सिक्का चलार्थ जारी करने के सम्बन्ध में कुछ सुविधायें देने का विचार है ?

श्री सी० डी० देशमुख: श्रीमान्, फिर वही प्रश्न है जिस के उत्तर में मैंने कहा कि अठन्नियों और उन से छोटे सिक्कों को बिना किसी निर्बन्धन के जारी किया जायेगा परन्तु इसके अतिरिक्त हम हाली सिक्का चलार्थ जारी करने को तैयार नहीं।

अध्यक्ष महोदय: अब हम मुख्य कार्यवाही को लेते हैं।

प्रश्नो के लिखित उत्तर

स्थावर निष्क्रामय सम्पति का मूल्यनिरुपण

* १२७२. **सरदार हुक्म सिंह:**
श्री अजीत सिंह:

(क) क्या **पुनर्वास** मंत्री बताने की कृपा करेंग कि क्या मुसलमानों द्वारा भारत में छोड़ी स्थावर निष्क्राम्य सम्पत्ति का मूल्यनिरुपण का कार्य समाप्त हुआ है ?

(ख) यदि नहीं, तो इस में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) तथा (ख). मूल्यनिरुपण किया जा रहा है। इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, यह बात भिन्न प्रकार की सम्पत्तियों के बारे में भिन्न प्रकार की व्ययन की रीतियों के विनिश्चय पर आधारित है।

डा० बख्शी टेक चन्द समिति

* १२७३. **सरदार हुक्म सिंह:**
श्री अजीत सिंह:

क्या **पुनर्वास** मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, भारत में मुसलमानों की निष्क्राम्य सम्पत्ति का उपयोग करने के प्रश्न पर मन्त्रणा देने के लिये, नियुक्त की गई डा० बख्शी टेक चन्द समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया है; तथा

(ख) यदि किया है, तो क्या इस मामले में कोई अन्तिम विनिश्चय किया गया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां।

(ख) अन्तिम विनिश्चय शीघ्र होने की सम्भावना है।

निष्काम्य समूह

*१२७४. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री अजीत सिंह

(क) क्या पुनर्वास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उस निष्काम्य समूह में दिये जाने वाले अंश-दान के बारे में कोई विनिश्चय किया है, जो पश्चिमी पंजाब से आये विस्थापित लोगों में उन द्वारा वहां छोड़ी गई सम्पत्ति के प्रतिकर के रूप में वितरित किया जायगा ?

(ख) यदि नहीं, तो विनिश्चय कब किये जाने की सम्भावना है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) तथा (ख) : इस मामले पर क्रियाशील विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही विनिश्चय किये जाने की आशा है।

हर्णी तथा वरासिया कैम्पों से निराश्रितों का स्थानान्तरण

*१२८१. **डा० अमीन** : (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि बड़ौदा के हर्णी तथा वरासिया कैम्पों से अनाश्रितों को अहमदाबाद तथा कांदला स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं ?

(ख) उन को इन केम्पों में कब बसाया गया था और अहमदाबाद तथा कांदला भेजे जाने से पूर्व वह कितनी कालावधि के लिय वहां रहे ?

(ग) क्या बड़ौदा में भी अहमदाबाद राजकोट तथा जोनागढ़ में खोले गये अनाथालयों जैसा एक अनाथालय खोलने का कोई विचार था ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) व्यवस्थित आलयो के अभाव के कारण बम्बई राज्य में निराश्रित विस्थापित व्यक्ति प्रारम्भ में राज्य भर की विभिन्न विस्थापित लोगों की बस्तियों में बिखरे हुए थे। स्थिति का पुनर्विलोकन किये जाने पर उचित यही समझा गया कि उन को राज्य में कुछ संघटित व्यवस्थित आलयों में रखा जाना चाहिये। इस के अनुकूल हर्णी तथा वरासिया केम्पों से निराश्रितों को अहमदाबाद तथा कांदला के नवस्थापित कैम्पों में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की गई।

(ख) यह लोग बड़ौदा के कम्पों में उस समय से रह रहे हैं जब यह कैम्प खोले गये — अर्थात् विभाजन के शीघ्र पश्चात्।

(ग) बड़ौदा राज्य भें वरासिया के स्थान पर एक आलय खोलने का विचार था, परन्तु यह विचार फिर छोड़ दिया गया क्योंकि और मकान बनाना आवश्यक समझा गया और उन पर बहुत लागत आजाती।

तथ्य शोधनन समिति

*१२८५. **श्री बीरेन दत्त** : क्या पुनर्वास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तथ्य शोधन समिति के कार्य-क्षेत्र में त्रिपुरा भी सम्मिलित है ?

(ख) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के मलाम्बर क्षत्र में सरकार ने विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिये बहत संख्या

में किसानों के ऐसे प्लाटों का अधिग्रहण किया है जिन पर उन्होंने कृषि की थी और इन प्लाटों पर बहुत सारी झोंपड़ियां बनाई गई हैं ; तथा

(ग) यदि सच है, तो इस प्रकार बेदखल किये गये किसानों के पुनर्वास के लिये सरकार को क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं :

(ग) उत्पन्न नही होता।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा की विकास योजनायें

*१२८६. **श्री बीरेन दत्त** : क्या राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या त्रिपुरा की सरकार को जनता को यह जानकारी देने का विचार है कि पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्ष में ३३ लाख रुपये का व्यय किस प्रकार किया गया; तथा

(ख) त्रिपुरा की सरकार उस चिकित्सालय के निर्माण का कार्य कब तक समाप्त करने की आशा रखती हैं जिस की नींव प्रधान मंत्री ने डाली थी ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) यह जानकारी एक श्वेतपत्र में दी जायेगी जो निकट भविष्य में त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त प्रकाशित करेंगे।

योजना के पहले दो वर्ष म लगभग १६ लाख रुपये का व्यय हुआ है।

(ख) जिस चिकित्सालय की नींव २५ अक्तूबर, १९५२, को डाली गई थी, आशा है कि इसी महीने में उस के निर्माण का कार्य पूरा होगा और उसे खोला जायेगा।

विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये राज्यों को अनुदान

*१२८९. **सेठ गोविन्द दास** : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ में किस राज्य को विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार से सर्वाधिक आर्थिक सहायता मिली ?

(ख) उच्चतम शिक्षा देने वाली संस्थाओं में कितनी (१) अंग्रेजी माध्यम प्रधान, प्रान्तीय माध्यम प्रधान तथा (३) राष्ट्र भाषा माध्यम प्रधान हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों को १९५२-५३ में दिये गय अनुदानों का विवरण सदन पटल पर रखा हुआ है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २**]

(ख) २२ विश्वविद्यालयों से एकत्रित की गई जानकारी सदन पटल पर रखी हुई है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३**]

अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी आने की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होने पर वह भी सदन पटल पर रखी जायेगी।

सशस्त्र बल निवृत्ति वेतन पुनरीक्षण समिति

*१२९२. **श्री वाई० एम० मुकणे** : (क) क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सशस्त्र बल निवृत्ति-वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा लगभग तीन वर्ष पूर्व सरकार को प्रस्तुत की गई

सिफारिशों का अब तक स्वीकरण तथा परिपालन नहीं किया गया है और सैनिक कर्मचारीवृन्द को अब भी १९१७ में मंजूर किय गये दर पर ही निवृत्ति वेतन दिया जा रहा है यद्यपि १९४७ में वेतनों का पुनरीक्षण किया गया ?

(ख) क्या यह सच है कि उक्त समिति ने निवृत्ति-वेतन की गणना करने के लिय एक ऐसे सूत्र की सिफारिश की थी जिसे जवानों, नौ-सेना के सैनिकों तथा वायु-सेना के सैनिकों में एकरूपता होती और २५ वर्ष की नौकरी के पश्चात् वह असैनिक कर्मचारियों के समतुल्य होते ?

(ग) यदि सच है, तो क्या सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार की है ?

(घ) क्या सरकार को यह विदित है कि गाडगिल समिति का प्रतिवेदन माने जाने की दशा में असैनिक कर्मचारियों का निवृत्ति वेतन और बढ़ जायेगा और इस से असैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों के निवृत्ति वेतन में जो असमानतुल्यता है वह अधिक बढ़ जायेगी ?

(ङ) क्या प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारि-वृन्द के बारे में सरकार को गाडगिल समिति की सिफारिशें लागू करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ङ). सशस्त्र बल निवृत्ति-वेतन निरीक्षण समिति का प्रतिवेदन पहली अगस्त, १९५० को सरकार को प्रस्तुत किया गया था। समिति की सिफारिशें सर्वसम्मत नहीं थी। निवृत्ति वेतन सम्बन्धी नियमों की संख्या बहुत है और वह जटिल है और उनका पुनरीक्षण करने में बहुत से वित्तीय मामले उत्पन्न होते हैं। समिति सिफारिशों का सविस्तार परीक्षण लगभग समाप्त हुआ है और आशा है कि पुनरीक्षण के विभिन्न पहलुओं के बारे में अन्तिम विनिश्चय आगामी तीन मास में हो जायेगा। इस समय १९४७ से प्रभावी निवृति वेतन का दर दिया जा रहा है और १०० रुपये या इस से कम राशि का निवृत्ति वेतन लेने वालों को निर्वाह की लागत में हुई बढ़ौती के दृष्टिगोचर अस्थायी रूप से मंजूर की गई अधिक धनराशियां दी जा रही हैं। सशस्त्र बल के कर्मचारिवृन्द के लिये निवृत्ति-वेतन सम्बन्धी नये नियम बनाते समय गाडगिल समिति के प्रतिवेदन पर सरकार का जो विनिश्चय हो उस को भी ध्यान में रखा जायेगा।

त्रिपुरा में किराया नियन्त्रण अधिनियम

*१२९३. **श्री बीरेन दत्त :** क्या राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य में कोई किराया नियन्त्रण अधिनियम है; तथा

(ख) यदि नहीं, तो मकानों के मालिकों द्वारा किरायेदारों को निकाले जाने से संरक्षित रखने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी नहीं।

(ख) पश्चिमी बंगाल किराया नियन्त्रण अधिनियम में उचित रूपान्तर कर के उस को त्रिपुरा में लागू करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

छात्रवृत्तियों का नवीकरण

*१२९६. **श्री बुच्चिकोटैय्या :** (क) क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के विद्यार्थियों के लिये १९५३-५४ के वर्ष के लिये छात्रवृत्तियां

के नवीकरण के विषय में कोई परिपत्र जारी किया गया है ?

(ख) यदि किया गया है, तो इस परिपत्र में क्या कुछ लिखा गया था ?

(ग) इसको कब जारी किया गया था ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां।

(ख) परिपत्र की एक प्रति सदन पटल पर रखी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४]**

(ग) अक्तूबर १९५२ से मार्च १९५३ तक जारी किये गये १९५२-५३ के लिये पहली छः महीने की किश्त की प्रत्येक देनगी के पत्र के साथ परिपत्र रखा गया था।

लक द्वीप माल द्वीप

*१३०२. **श्री एन० पी० दामोदरन :** (क) क्या रक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या देश की प्रतिरक्षा के प्रयोजनार्थ सरकार ने मालाबार तट से आगे अरब सागर में स्थित लक द्वीप माल द्वीप की महत्ता पर विचार किया है ?

(ख) यदि किया है, तो सरकार ने इन की प्रतिरक्षा के लिये क्या व्यवस्था की है ?

प्रतिरक्षा संघटन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). जैसा कि माननीय सदस्य आशा करते होंगे हमारी प्रतिरक्षा योजना में इन द्वीपों की ओर ध्यान रखा गया है। परन्तु यह बात स्वाभाविक ही है कि इस के बारें में विस्तृत वर्णन करना सार्वजनिक हित के विपरीत है।

रक्षा मंत्रालय द्वारा विक्रय की गई सामग्री

*१३०४. **श्री बंसल :** (क) क्या रक्षा मंत्री १९५०-५१, १९५१-५२, १९५२-५३ के वित्तीय वर्षों में मंत्रालय द्वारा विक्रय की गई सामग्री के ब्यौरे के बारे में सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या विदेशों से सामग्री विक्रय करने के समय देश में ही सम्भरण प्राप्त होने की सम्भावनाओं पर पूरा विचार किया गया ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा हुआ है जिस में प्रतिरक्षा की अपेक्षाओं के लिये विक्रय की गई सामग्री के मुख्य वर्ग तथा मूल्य दिया है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५]**

(ख) जी हां। सम्भरण तथा उत्सर्जन के मुख्य निर्देशक, जिन को विदेशों के अभिकरणों को भेजी गई सामग्री सम्बन्धी वस्तु सूचियों के बारे में सूचित रखा जाता है, देश में ही इस सामग्री को प्राप्त करने की प्रत्येक सम्भावना की जांच करते हैं। आयात की गई सामग्री सम्बन्धी निरीक्षण समिति भी इस समय आयात की जाने वाली सामग्री का देश में निर्माण करने की सम्भावनाओं की लगातार जांच करती रहती है।

अभ्रक का स्कन्ध

१०२३. **श्री एन० पी० सिन्हा :** (क) क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त अभ्रक मिशन द्वारा विक्रय किये गये अभ्रक के अतिरिक्त स्कन्ध में से

अभी भारत में (राज्यवार) इंगलिस्तान की सरकार के किस किस प्रकार के अभ्रक की कितनी कितनी मात्रा है ?

(ख) उनका अनुमानित मूल्य कितना होगा ;

(ग) भारत सरकार भारत में पड़े हुए इस अभ्रक की देख-भाल कितना वार्षिक व्यय करती है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (ग). सदन पटल पर एक विवरण रखा हुआ है जिस में मांगी हुई जानकारी दी गई है [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ६**]

भारतीय भूपरिमाप के चौथे वर्ग के कर्मचारी

१०२४. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ में भारतीय भूपरिमाप के कितने चौथे वर्ग के कर्मचारी विभागीय छुट्टी पर रखे गये थे ;

(ख) विभागीय छुट्टी पर होने के समय, इन कर्मचारियों को मजूरी देने के विषय में क्या व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या इन के छुट्टियों के पारिश्रमिक के बारे में वेनन आयोग की सिफ़ारिशों को प्रभावी किया गया है ; तथा

(घ) क्या यह सच है कि विभागीय छुट्टी पर निकाले गये भारतीय भूपरिमाप के कर्मचारियों को पुनः नौकरी में नहीं लिया जाता है ?

शिक्षा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) ३४० ।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा हुआ है जिस में मांगी गई जानकारी दी गई है [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ७**]

(ग) वेतन आयोग ने छुट्टी के परिश्रामिक के लिये किसी वेतन-वर्ग की सिफारिश नहीं की ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

भारतीय भूपरिमाप के भूचित्र प्रकाशन कार्यालय के चौथे वर्ग का कर्मचारीवृन्द

१०२५. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी आदेशों के अनुसार, देहरादुन में स्थित भारतीय भूपरिमाप के भूचित्र प्रकाशन कार्यालय का चौथे वर्ग का कर्मचारीवृन्द १५ वर्ष की निरन्तर तथा संतोशजनक नौकरी के पश्चात् स्थाई होने का पात्र है ;

(ख) क्या यह सच है कि मुख्य परिमापक ने १९४७ में वेतन आयोग के सामने यह कहा था कि उन्हें अस्थाई नौकरी की अधिकतम कालाविधि घटा कर दस वर्ष रखने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान वेतन आयोग की इस राय की ओर दिलाया गया है कि अस्थायी नौकरी की दस वर्ष की कालावधि अवांछनीय है ; तथा

(घ) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) हां, श्रीमान् । परन्तु स्थायी नौकरी से पूर्व निरन्तर अस्थायी नौकरी की पूरी कालावधि निवृत्ति वेतन के लिये गिनी जाती है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है ।

आदिमजाति-कल्याण

१०२९. श्री भीखा भाई : क्या गृह-कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भिन्न राज्यों में आदिमजाति-कल्याण सम्बन्धी योजना आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है ; तथा

(ख) योजना आयोग की सिफारिशों के परिपालनार्थ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) . आदिमजातियों के कल्याण का उत्तरदायित्व मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकारों पर है । इस लिये पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखती है । फ़िर भी, संविधान के अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत, अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण की योजनाओं के परिपालन तथा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने में सहायता देने के लिये विभिन्न भाग 'क' तथा भाग 'ख' के राज्यों की सरकारों को १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के वर्षों में क्रमशः १७५ लाख तथा १७९·६५ लाख रुपये के कुल अनुदान दिये गये । १९५२-५३ में भाग 'ग' राज्यों में आदिमजाति-कल्याण की योजनाओं के लिये १४·५५ लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई । १९५३-५४ के लिये भाग 'क' तथा भाग 'ख' राज्यों के लिये २२५ लाख रुपये और भाग (ग) राज्यों के लिये ३० लाख रुपये रखे गये हैं । अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत सहायक अनुदान के लिये जो वार्षिक योजनायें भारत सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं, राज्य सरकारें उन में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत की गई या अन्य कोई योजनायें भी सम्मिलित कर सकती हैं ।

केन्द्रीय अभिकरण विभाग

१०३०. सरदार हुक्म सिंह : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम-न्यायालय से पूर्व १९५२ में केन्द्रीय अभिकरण विभाग ने कितने मुकदमों को हाथ में लिया ; तथा

(ख) इस विभाग पर इस वर्ष में कितना व्यय हुआ और राज्यों ने इसकी ओर कितना अंशदान दिया ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) १९५२ में उच्चतम-न्यायालय से पूर्व केन्द्रीय अभिकरण विभाग ने ४०९ मुकदमों को हाथ में लिया ।

(ख) केन्द्रीय अभिकरण विभाग पर १-२-१९५२ से ३१-१२-१९५२ तक कुल ७९,१०७ रुपये नौ आने का व्यय हुआ और इस कालावधि में राज्यों की ओर से ५४,२५९ रुपये दो आने का अंशदान दिया गया । १९५२ में ११ महीने का लेखा तैयार किया गया था और इसी कालावधि के आंकड़े दिये गये हैं । १९५२ के एक और महीने का व्यय पूर्वगामी वर्ष के लेखे में डाला गया था ।

भारत में विदेशी धन का लगाना

१०३१. श्री दामोदर मेनन :
श्री केलप्पन :

क्या वित्त मंत्री १९ फरवरी, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७४ के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में प्रत्येक विदेश का, जिस ने भारत में धन लगाया है, कितना अंश था और किस किस व्यवसायसंघ में उस ने धन लगाया था ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : एक विवरण साथ रखा हुआ है जिस में यह बताया गया है कि १९५१-५२ तथा १९५२-५३ (केवल जनवरी १९५३ तक) में जिस जिस देश से भारत में लगाये जाने के लिये व्यक्तिगत रूप से धन भेजा गया उस का अंश कितना था। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ८**]

सरकार उन व्यवसाय-संघों का नाम बताना उचित नहीं समझती जिन में यह राशियां लगाई गई हैं, क्योंकि यह जानकारी गोपनीय समझी जाती है।

फीरोजे का उत्पादन

१०३२. डा० अमीन : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४९, १९५०, १९५१ तथा १९५२ में हमारे देश में कितनी मात्रा में फीरोजे का उत्पादन हुआ ?

(ख) क्या हमारे देश में फीरोजे की वार्षिक उत्पादि के आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) यह जानकारी देना लोक-हित की दृष्टि मे वांछनीय नहीं।

(ख) नहीं, श्रीमान।

(ग) सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से।

मूल वस्तु आदि के आयात पर किया गया व्यय

१०३३. डा० अमीन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राज्य अमरीका से अब तक प्राप्त हुई कुल सहायता तथा उधारों में से भारत सरकार ने मूल-वस्तुओं, उपयोग की वस्तुओं तथा शिल्पिक सहायता के आयात पर कुल कितनी राशि का व्यय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : लगभग ९७·५० करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

छान घास के विक्रय पर स्वामिस्व

१०३४. श्री बीरेन दत्त : (क) क्या **राज्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि त्रिपुरा सरकार के सदर डिवीजन के जंगलात के पदाधिकारी जोतदारों द्वारा निजि भूमि पर कृषि किये गये छान घास की विक्रय पर स्वामिस्व ले रहे हैं ?

(ख) यदि ले रहे हैं, तो किस कानून के अधीन ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). भारतीय जंगलात अधिनियम की धारा २ (४) (ख) (२) के अन्तर्गत छान घास एक जंगली उत्पाद माना जाता है और डिवीजन के जंगलात के पदाधिकारी से निःशुल्क अनुमति-पत्र न लिये जाने की दशा में इस पर स्वामिस्व लिया जाता है। भारतीय जंगलात अधिनियम, १९२७ की धारा ४१ के अधीन २९ अप्रैल १९५२ को जारी की गई त्रिपुरा जंगलात अधिसूचना संख्या १२ के नियम २ (२) के अन्तर्गत यह अपेक्षित है।

त्रिपुरा में धारा १४४ का प्रख्यापन

१०३५. श्री बीरेन दत्त : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में त्रिपुरा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ का प्रख्यापन कितनी बार किया गया ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : १९५२-५३ के वर्ष में कुल दो बार, पहली बार मई, १९५२ और दूसरी बार नवम्बर १९५२ में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ का प्रख्यापन किया गया।

विस्थापित लोगों के लिये त्रिपुरा में भूमि का अधिग्रहण

१०३६. **श्री बीरेन दत्त** : (क) क्या **राज्य** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा के बिलोरिया डिवीजन में विस्थापित लोगों के लिय निजी व्यक्तियों से कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई ?

(ख) उन को प्रति कौमी भूमि के लिय कितना प्रतिकर दिया गया ?

(ग) कितने लोगों को प्रतिकर नहीं मिला है ?

(घ) निकट भविष्य में प्रतिकर देने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) १२३८ एकड़।

(ख) तथा (ग). अभी शोधन नहीं हुआ है।

(घ) यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

युद्ध के दिनों में भूमि का अधिग्रहण

१०३६. **श्री बीरेन दत्त** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री उन व्यक्तियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन को युद्ध के दिनों में किये गये भूमि के अधिग्रहण के लिये अभी कोई प्रतिकर नहीं मिला है ?

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार के पास अभी कितनी याचिकायें पड़ी हैं ?

(ग) और बिना विलम्ब प्रतिकर देन के लिये सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

प्रतिरक्षा संघठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग). जानकारी इस समय प्राप्य नहीं और समस्त भारत से जानकारी इकट्ठी करने मे बहुत समय लगेगा।

शायद माननीय सदस्य को त्रिपुरा के बारे में जानने की अधिक रुचि हो। वहां के बारे में कुछ प्राप्य जानकारी यह है :

१,३३१ दावेदार हैं, जिन में से १,०८३ पाकिस्तानी नागरिक हैं और त्रिपुरा से बाहर रहते हैं। उनके बारे में निष्क्राम्य सम्पत्ति अधिनियम, १९४९ के अन्तर्गत, अनिश्चित समय के लिये शोधन रोका गया है। शेष २४८ दावेदारों को, जो भारतीय नागरिक हैं, शोधन किया जा रहा है और यथा शीघ्र ही पूरा होगा।

हिन्दी विभाग

१०३८. **श्री एम० एल० द्विवेदी**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी विभाग पर उसकी स्थापना के समय से ३१ मार्च १९५३ तक कुल कितना व्यय हुआ है ; तथा

(ख) उक्त विभाग द्वारा अब तक हिन्दी में कितना कार्य किया गया (पूर्ण विवरण सहित) ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) तथा (ख). सदन पटल पर विवरण रखा

हुआ है। [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ९]

भाग (ग) राज्यों में से प्राप्त किये गये कर

१०३९. **पंडित एम० बी० भार्गव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४८–४९, १९४९–५०, १९५०–५१, १९५१–५२, तथा १९५२–५३ में प्रत्येक भाग (ग) राज्य से आय-कर, अति-कर, अधिलाभ-कर, मूललाभ-कर आदि के रूप में कुल कितना आय प्राप्त हुआ और १९५३–५४ में कितने आय का प्राक्कलन है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): भाग 'ग' राज्यों से आय तथा अन्य करों के कुल संग्रहण के बारे में एक विवरण संलग्न है [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १०]

१९५२–५३ के संग्रहण के केवल फरवरी १९५३ तक के आंकड़े प्राप्य हैं।

Par. S. 18. III. .11 53
285.

अंक ३

संख्या ११

मंगलवार

१४ अप्रैल, १९५३

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय आबकारी अधिसूचना संख्या ८, दिनांक २१ फ़रवरी, १९५३ [पृष्ठ भाग ३२४५]

समिति का निर्वाचन—

राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति [पृष्ठ भाग ३२४५—३२४६]

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित [पृष्ठ भाग ३२४६]

वित्त विधेयक—विचाराथ प्रस्ताव पर चर्चा—अपूर्ण [पृष्ठ भाग ३२४६—३३१८]

केन्द्रीय आबकारी तथा नमक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित [पृष्ठ भाग ३३१९—३३२०]

286 PSD

(मूल्य ६ आने)

३२४५ ३२४६

लोक सभा

मंगलवार, १४ अप्रैल १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

२-म० पू०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय आबकारी अधिसूचना संख्या ८

वित्त उपमंत्री (श्री एस० सी० शाह): मैं केन्द्रीय आबकारी तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अनुसार २१ फरवरी १९५३ की केन्द्रीय आबकारी अधिसूचना संख्या ८ की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रख दी गई। देखिए नम्बर एस०—३०/५३**]

समिति का निर्वाचन

राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति

अध्यक्ष महोदय: मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि निम्नलिखित सदस्य राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति के सदस्य चुने गए हैं:

(१) श्री के० जनार्धन रेड्डी,

(२) प्रो० राम सरन,

(३) श्री टेक्कर सुब्रह्मण्यम्, और

(४) श्री चोयथराम परतावराय गिडवानी।

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन विधेयक)

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ में अग्रेतर संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ में अग्रेतर संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं।

वित्त विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं प्रस्ताव** करता हूं कि:

"वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को लागू करने के विधेयक पर विचार किया जाय।"

---

*राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से पुरःस्थापित।

** राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से प्रस्तावित।

[श्री सी० डी० देशमुख]

आयव्ययक पुरःस्थापित करते समय मैंने अपने भाषण में, आयव्ययक की प्रस्थापनाओं की चर्चा करते हुए विधेयक के विभिन्न उपबन्धों पर प्रकाश डाला था। इस विधेयक मे वर्त्तमान स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ना परन्तु श्रीमान्, मैं आप की अनुमति से विभिन्न उपबन्धों पर प्रकाश डालूंगा जिससे कि सदन को इस विधेयक को निपटाने में सहायता मिले।

पहले मैं आय-कर सम्बन्धी उपबन्धों की चर्चा करूंगा। हम इस कर की वर्त्तमान दरों में कोई परिवर्त्तन नहीं कर रहे हैं परन्तु निजी आय-कर के सम्बन्ध में जैसा कि सदन को पहले ही मालूम है, व्यक्तियों के लिए आय-कर की विमुक्ति सीमा ३६००) से बढ़ा कर ४२००) और संयुक्त हिन्दू परिवारों के सम्बन्ध में ७२००) से बढ़ा कर ८४००) कर दी गई है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

मुझे आशा है कि सदन इस रियायत का स्वागत करेगा। इससे आय-कर विभाग को भी कुछ आराम मिलेगा और करदाताओं को भी, जिन में से अधिकतर कम आय वाले लोग हैं। जैसा कि मैं सदन में पहले ही कह चुका हूं, इस परिवर्तन से करदाताओं की संख्या में ७०,००० की कमी हो जायगी और मुझे आशा है कि इस प्रकार जो समय मिलेगा, उस में आय-कर विभाग बड़े और अधिक महत्व वाले मामलों की ओर ध्यान दे सकेगा।

अगली रियायत, पूर्णतया सहायक भारतीय उद्योगों के लाभांशों पर देय अधि-कर के सम्बन्ध में है। पिछले एक दो साल में यह देखा गया है कि भारत में व्यापार करने वाली विदेशी कम्पनियां, शाखा या किसी विदेशी सहायक कम्पनी की मार्फत व्यापार करना अधिक अच्छा समझती हैं क्योंकि दोनों में से किसी भी अवस्था में जितना आय-कर देना पड़ता है वह सदा ही (भारतीय सहायक कम्पनी से प्राप्त लाभांश पर विदेशी मुख्य कम्पनी द्वारा देय अधिकर सहित) उस आय-कर से कम होता है जो कि पूर्णतया भारतीय सहायक कम्पनी की मार्फत व्यापार करने पर देना पड़ता है। इस लिए करारोपण ऐसा था कि उस से विदेशी कम्पनियों को भारतीय सहायक कम्पनियां बनाने का प्रोत्साहन नहीं मिलता था। हमारा बिचार है कि ऐसी भारतीय सहायक कम्पनियां देश के आर्थिक ढांचे के लिए अधिक लाभदायक हैं। वे हमारे नियंत्रण तथा विनियमों के अधिक अधीन हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिये हम ने यह आवश्यक समझा कि देय आय-कर का यह अन्तर दूर कर दिया जाय। यह उद्देश्य आंशिक रूप में इस बात से पूरा हो जाता है कि पूर्णतया सहायक कम्पनी से प्राप्त लाभांश से हुई आय को छोड़ कर भारत में हुई आय पर विदेशी कम्पनी को अधिकर में जो छूट दी जाती है वह १ आना प्रति रुपया से घटा कर ६ पाई प्रति रुपया कर दी गई है। यह कहा गया है कि पूर्णतया सहायक कम्पनी के लाभांशों पर छूट को एक आना तक सीमित रखने से, विदेशी कम्पनियां भारतीय हिस्सेदारों को सहायक कम्पनियों में हिस्से नहीं खरीदने देंगी, यह बात भी वांछनीय है कि भारतीय भी इन कम्पनियों के हिस्से खरीदें, इसलिए यह प्रस्ताव है कि "पूर्णतया सहायक" वाली शर्त ढीली कर दी जाय और सहायक कम्पनी से प्राप्त लाभांशों पर अधिकर में एक आना प्रति रुपया की छूट दी जाय। इससे विदेशी कम्पनियां, मुख्य कम्पनी को अधिकर में मिलने वाली छूट की मात्रा कम किए बिना, अपनी कुछ भारतीय सहायक

कम्पनियों के हिस्से भारतीयों को दे सकेंगी। परन्तु छूट को १ आने से घटा कर ६ पाई करने से यह अन्तर काफी कम नहीं होता है। इसलिए मेरा यह इरादा है कि विदेशी कम्पनी द्वारा अपनी भारतीय सहायक कम्पनी से प्राप्त लाभांश पर अधिकर पर मिलने वाली छूट को १ आना से बढ़ा कर डेढ़ आना कर दिया जाय। ऐसा करने से यह अन्तर आधा रह जायगा और फिर शायद आगे चल कर हम इस अन्तर को बिल्कुल ही दूर कर सकें।

इस विधेयक द्वारा आय-कर अधिनियम में कुछ परिवर्तन किए गए हैं जिन पर मैं अभी प्रकाश डालूंगा। पहला मामूली सा परिवर्त्तन है और इस सम्बन्ध में है कि ऐसे मकान पर जो मालिक ने अपने रहने के लिए रखा हुआ हो परन्तु जिस में वह किसी अन्य स्थान में नौकरी या रोजगार होन के कारण (जहां उसका अपना कोई मकान न हो और वह किराए के मकान में रहता हो) न रह सकता हो, आय-कर नहीं लगेगा। यदि उसे ऐसे मकान से कोई लाभ न होता हो, तो यह उचित ही है कि उसे उस मकान की काल्पनिक आय पर कोई कर न देना पड़े।

दूसरा प्रस्तावित संशोधन वह है जिस के अनुसार साहित्य तथा कला की कृतियों के उन कर्त्ताओं को कुछ अनुतोष मिलेगा जो यह बता सकते हों कि स्वामित्व या सर्वाधिकारों के शुल्कों से हुई आय, उपरोक्त कृतियों में लगे समय के अनुसार दो या तीन वर्ष में हुई है।

तीसरा संशोधन धर्मार्थ संस्थाओं को दान की आय-कर से विमुक्ति के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम की धारा १५ ख में है। यद्यपि कम्पनियों के अतिरिक्त व्यक्तियों के मामले में न्यूनतम हद आय के १० प्रतिशत से घटा कर ५ प्रतिशत और अधिकाधिक सीमा ढाई लाख रुपये से घटा कर १ लाख रुपये कर दी गई है, उन धर्मार्थ संस्थाओं की संख्या बढ़ा दी गई है जिन्हें दिए गए दान पर आय-कर नहीं लगेगा। वर्त्तमान कानून के अधीन दान को तभी आय-कर से विमुक्त किया जाता है जब कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थाओं को दिया जाय और राजस्व की हानि न हो——इस विचार से सरकार केवल बड़ी बड़ी संस्थाओं को ही स्वीकृत करती है। परन्तु अब किसी भी ऐसी संस्था को वह बड़ी हो या छोटी, जो कानून द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करती हो, दान दिया जा सकता है। जहां तक १ अप्रैल, १९५३ से पहले दिए गए दान का सम्बन्ध है, उस पर वर्तमान कानून ही लागू होगा परन्तु यदि आवश्यक हो तो किसी प्रकार के सन्देह को दूर करने के लिए एक संशोधन नियमित रूप से रखा जा सकता है।

चौथा परिवर्तन सट्टे के व्यापार के लाभ के बराबर हानि को समाप्त कर देने पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में है। इस संशोधन की आवश्यकता इस बात को रोकने के लिए पड़ी है कि "खरीदने में हुई हानि" को अन्य आय के बराबर दिखा दिया जाता है। यह "खरीदने में हुई हानि" शेयर बाजार की विशेष चीज है और सामान्य व्यक्तियों को यह स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती है। परन्तु इसका सीधा सादा मतलब यह है कि कोई सौदा हो चुकने के बाद ऐसे व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दिया जाता है जिसे लाभ हुआ हो और जिसे अतिरिक्त आय-कर या अधिकर देना पड़ता हो। वह इन "हानियों" को, विशेष मूल्य पर खरीद लेता है। यह ठीक है कि आय-कर अधिकारी ऐसे सौदे की जांच कर सकते हैं और सिद्धान्त रूप में यह भी कर सकते हैं कि ऐसी हानि के हिसाब किताब में दिखाए जाने की अनुमति न दें। परन्तु उनके पास कोई साक्ष्य होना चाहिए। दलालों के

[श्री सी० डी० देशमुख]

पास जो हिसाब किताब रहता है वह ऐसा होता है कि ऐसी हानि का सौदा खरीदने वालों के दावे के पक्ष में उस में लिखत मिल जाती है। इस प्रकार वास्तव में आय-कर अधिकारी की समस्या और भी कठिन हो जाती है और हमें आशा है कि इस प्रतिबन्ध से सट्टे के अतिरिक्त अन्य आय पर तो राजस्व की रक्षा की जा सकेगी।

मैंने इस प्रश्न पर दो मुख्य शेयर बाज़ारों के--कलकत्ते और बम्बई के--प्रतिनिधियों और ईस्ट इण्डिया काटन असोसियेशन के साथ बातचीत की है। उन्होंने इस बात पर विशेष ज़ोर दिया कि स्वीकृत शेयर बाज़ारों तथा वायदे बाज़ारों के दलालों को अपने सामान्य व्यापार में आढ़त या मध्यस्थता जैसी संविदाएं करनी पड़ती हैं और इसलिए ऐसे सौदों को सट्टे के सौदों में न गिना जाय जैसे कि निर्माण या व्यापार में लगे हुए किसी व्यक्ति द्वारा की गई द्वैधरक्षण संविदाओं को विमुक्ति दी जाती है। मैंने इस पर विचार किया है और इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि इस सम्बन्ध के प्रभाव को कम किए बिना उपरोक्त बात मानी जा सकती है। इसलिए मेरा विचार इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन रखने का है।

शेयर बाज़ारों के प्रतिनिधियों ने जो अन्य बातें कहीं हैं वे अधिकारियों को निदेश देकर पूरी की जा सकती हैं। यह मंशा सदा से रही है कि विभिन्न वस्तुओं तथा बाज़ारों में सट्टे के सौदों को एक व्यापार समझा जाय और इन सब सौदों को मिला कर ही हानि या लाभ का निर्णय किया जाय।

जहां तक द्वैधरक्षण का सम्बन्ध है, यदि विभाग को यह विश्वास हो जाय कि सौदे वास्तव में द्वैधरक्षण के लिए किए गए हैं तो वह इस बात की अधिक परवाह नहीं करेगा कि वे किस समय किए गए और किस मात्रा में किए गए।

व्यक्तिगत लिमिटिड कम्पनियों के सम्बन्ध में—उन पर धारा २३-क लागू हो या नहीं, इस बात का निर्णय करने के लिए--सट्टे में हुई वास्तविक हानि का ध्यान रखा जायगा जो अन्य प्रकार की आय के बराबर न दिखा दी गई हो।

पांचवें संशोधन द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार मिल जायगा कि वह, यदि आवश्यक हो, दोहरे करारोपण से बचने या उससे अनुतोष के सम्बन्ध में विदेशी सरकारों के साथ करार करे।

छठा संशोधन निर्दिष्ट मूल उद्योगों में लगी भारतीय कम्पनी से अन्य कम्पनी द्वारा प्राप्त लाभांश पर अधिकर से छूट के सम्बन्ध में है, यह छूट या विमुक्ति नई कम्पनियों में विनियोगों तथा इन मूल उद्योगों में लगी पुरानी कम्पनियों द्वारा जनता से ली गई पूंजी के विनियोगों--दोनों पर लागू होती है। नई कम्पनियों के सम्बन्ध में यह विचार है कि २८ फरवरी, १९५३ की बजाय ३१ मार्च १९५२ के बाद बनी नई कम्पनियों को यह रियायत दी जाय क्योंकि इन की स्थिति भी नई कम्पनियों जैसी ही है। इसका कारण यह है कि ऐसी आशा नहीं है कि उन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया होगा और उन्हें अपनी पूंजी प्राप्त करने में इस रियायत से सहायता मिलेगी।

अब मैं सीमाशुल्कों तथा केन्द्रीय आबकारी शुल्कों की चर्चा करूंगा। सीमा शुल्कों पर अतिरिक्त शुल्क या अधिकर एक वर्ष तक और रहेंगे। आशा है कि इससे लगभग १० करोड़ रुपये की आय होगी।

पहली अनुसूची द्वारा सीमा शुल्कों में भी कई परिवर्तन किये गए हैं जैसा कि खण्डों सम्बन्धी टिप्पणियों में संक्षेप में बताया गया है, २,००० रुपये से अधिक मूल्य के घोड़ों, कीमती पत्थरों तथा वैसी अन्य वस्तुओं पर नए शुल्क लगा दिए गए हैं। दूसरी ओर बच्चों

तथा अपाहिजों के लिये दूध के बने खाद्यों, पेनसिलिन एंटीबोयटिक्स तथा सल्फ़ा औषधियों जैसी आवश्यक वस्तुओं, वैज्ञानिक तथा डायटरी चीर फाड़ के औज़ारों, चित्रों तथा खुदे चित्रों आदि पर शुल्क घटाए जा रहे हैं। कई चीज़ों पर, अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए शुल्क बढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि साथ ही इन में कुछ वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में नीति और भी उदार कर दी गई है, यह आशा है कि आय अधिक होगी। आयात शुल्कों के अधीन मुख्य वृद्धि यह है कि सुपारी पर दो आने प्रति पौण्ड आयात शुल्क लगेगा। विदेशों से मंगाई गई सुपारी के मूल्य में बराबर कमी होते रहने के कारण देश में सुपारी उगाने वालों ने मांग की है कि सुपारी पर अधिक आयात शुल्क लगाया जाय जिससे कि उन के माल का उचित मूल्य मिल सके। आशा है कि इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साढ़े तीन करोड़ अधिक आय होगी।

केन्द्रीय आबकारी शुल्क के सम्बन्ध में मुख्य परिवर्तन यह है कि बढ़िया तथा बहुत बढ़िया कपड़े पर मूल्य के हिसाब से शुल्क लगाने के स्थान में विशिष्ट शुल्क लगा दिया गया है। पिछले वर्ष के प्रारम्भ में मूल्य गिर जाने के कारण अधिसूचना द्वारा मूल्य के आधार पर दरों के स्थान में कुछ विशिष्ट शुल्क निर्धारित किए गए थे। मूल्यों में और कमी हो जाने के कारण मूल्य के हिसाब से दर ही प्रभावी दर रहे क्योंकि उन से कम आय होती थी। ऐसे करारोपण के लिए बढ़िया तथा बहुत बढ़िया कपड़े के मूल्य निर्धारण में प्रशासनीय असुविधा से बचने के लिए मैंने यह निश्चय किया है कि, यदि सदन इस प्रस्थापना को स्वीकार करे, मूल्य के आधार पर शुल्क की दरें निश्चित करने के स्थान में खण्ड ६ में बताए गए विशिष्ट शुल्क रखे जायं। केन्द्रीय आबकारी शुल्कों, पर अधिभार भी एक वर्ष और चलेंगे।

इस विधेयक में देश के भीतर डाक की दरों में दो परिवर्त्तन किए गए हैं। किताबों और नमूने के पैकटों पर डाक के टिकट, पहले पांच तोले के लिए तीन पैसे और आगे के प्रत्येक पांच तोले के लिए १ पैसा की बजाय क्रमानुसार १ आना और दो पैसे के लगा करेंगे। पार्सलों के लिए प्रत्येक ४० तोले के लिए ६ आने की वर्तमान दर बढ़ा कर आठ आना की जा रही है। जैसा कि मैंने आय व्ययक के सम्बन्ध में अपने भाषण में कहा था, दरों में यह वृद्धि तथा कार्यपालिका आदेश द्वारा १ अप्रैल, १९५३ से रजिस्ट्री तथा बीमे के शुल्कों में की गई वृद्धि की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि डाक सेवाओं में घाटा रहा है। उपरोक्त वृद्धियों से यह घाटा आंशिक रूप में पूरा हो जायगा। इस वृद्धि का प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ने की सम्भावना नहीं है और मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि वर्तमान परिस्थिति में डाक सेवाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये उपरोक्त वृद्धि के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"वित्तीय वर्ष १९५३–५४ से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्य रूप देने के विधेयक पर विचार किया जाये।"

सदन को मालूम है कि वित्त विधेयक, १९५३ को पास करने के लिए चार दिन नियत किए गए हैं। १६ अप्रैल तक इस पर सामान्य चर्चा होगी। अन्तिम दिन अर्थात् १८ तारीख को इस पर खंडशः चर्चा होगी। उस दिन सवा नौ बजे से दोपहर के १२ बजे तक हम खंडों का निवारण करेंगे, १२ बजे मैं शेष सभी खंडों तथा संशोधनों के सम्बन्ध में मुखबन्ध प्रयोग में लाऊंगा, तथा तीसरा

[उपाध्यक्ष महोदय]

वाचन शुरू होगा, एक बजे से सवा बजे तक वित्त मंत्री जी उत्तर दे देंगे।

चूंकि बहुत से माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, इसलिए मैं प्रत्येक भाषण की समय-सीमा १५ मिनट निश्चित करता हूं। विभिन्न दलों के नेताओं के लिए यह २० मिनट होगी।

श्री एच० एन० शास्त्री (ज़िला कानपुर--मध्य) : श्रीमान्, वित्त मंत्री जी ने जिस दूरदर्शिता तथा सावधानी से देश की आर्थिक स्थिति को सम्भाला है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, कुछ वर्ष पहले स्थिति बड़ी डांवाडोल थी, परन्तु यह प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने हमारे आर्थिक स्थायित्व के सम्बन्ध में विश्वास पैदा किया है तथा जनता आज देश की समृद्धि के सम्बन्ध में आशावान है, किन्तु इसके साथ ही कुछ परेशान करने वाली बातें भी हैं जिन्हें यदि रोका न गया तो वह पंचवर्षीय परियोजना में बाधा डालेंगी।

श्रम अनुदानों पर बोलते समय मैं ने उद्योग के प्राइवेट क्षेत्र में श्रम की बिगड़ती हुई दशा पर चिन्ता प्रकट की थी। आज मैं यह कहने पर तत्पर हुआ हूं कि सरकारी क्षेत्र में भी यह कुछ अच्छी नहीं। झरिया की कोयला खानों में श्रमिकों की हालत शोचनीय है, गत ६ वर्षों में उनकी काम काज की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। हम ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार से एक समझौता बोर्ड नियुक्त करने की मांग की थी जो कि इन स्थितियों में सुधार करता, जहां श्रम मन्त्रालय इसके पक्ष में है वहां उत्पादन मंत्रालय इसके विरुद्ध बताया जाता है क्योंकि उनके मतानुसार कोयले की कीमतें बढ़ जायेंगी। मैं भी स्वयं यह चाहता हूं कि कीमतें बढ़ने न पायें, परन्तु यह एक अत्यन्त ही अदूरदर्शितापूर्ण नीति होगी कि हम एक तरफ प्रबन्ध कार्य से सम्बन्धित व्यय बढ़ने दें तथा दूसरी ओर श्रमिकों का मितव्ययिता के नाम पर शोषण करते रहें। नदी घाटी परियोजनाओं ने जहां देश में तथा देश से बाहर काफी उत्साह पैदा किया वहां इन में काम करने वाले श्रमिकों के हितों की देख भाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं। इनके सम्बन्ध में जब कोई शिकायत सरकार के सामने लाई जाती है तो हमें बताया जाता है कि यह श्रमिक ठेकेदारों के अधीन हैं, सरकार का इन से कोई वास्ता नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रमिकों का कल्याण सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिये, ठेकेदारों से पहले ही श्रमिकों की निम्नतम मजूरी तथा काम-काज की स्थिति के बारे में आश्वासन प्राप्त करना चाहिये।

जहां तक रक्षा अधिष्ठापनाओं का सम्बन्ध है, युद्धोत्तर काल में इन में कम करों की ४० प्रतिशत छांटी की गई है किन्तु इसके उलट उच्च-ग्रेड अधिकारियों की संख्या दुगनी हो गई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आयोजन कार्य में कोई न कोई खराबी ज़रूर है।

सदन को मालूम है कि हिंदुस्तान पोत निर्माण शाला में १००० कामकर बिना किसी पूर्व परामर्श अथवा बिना नोटिस के निकाल दिये गये हैं, कुछ महीने पहले मंत्री जी ने इन्हें न निकालने का हमें आश्वासन दिया था, इस बारे में जब अल्पसूचना का प्रश्न पूछा गया तो उत्पादन मंत्री जी ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि विधि मंत्रालय के मतानुसार यह छांटी वैध है। मुझे यह सुन कर अचम्भा हुआ। मुझे मालूम नहीं कि क्या राज्य का नीति का यही कुछ आधार है। इतना ही नहीं हमें आज ही सूचना मिली है कि जहां एक ओर इन १००० कामकरों को निकाल दिया गया है वहां दूसरी ओर एक और ठेके के सिलसिले में नये मजदूर भर्ती किये जा रहे हैं, मैं निवेदन

करना चाहता हूं कि यह अनुचित प्रथा है तथा इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं, यदि औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में सरकार न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करके मजदूरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहती है तो ईश्वर ही इस देश को बचा सकता है।

देश के अधिकांश मजदूर संघ गत छै वर्षों से सरकार को अपना निरन्तर सहयोग देते चले आ रहे हैं, आज भी वह पंचवर्षीय योजना में अपना सहयोग देने के लिये वचन-बद्ध है, परन्तु गत कुछ समय में जो घटनायें हुई हैं उनसे उन में असन्तोष फैल रहा है, यदि सरकार इस सम्बन्ध में आत्मतुष्टि की की भावना नहीं छोड़ेगी। तो सारे देश को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। देश की औद्योगिक शान्ति तथा आर्थिक समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि मजदूरों की समस्याओं को समझा जाये तथा उन से हम-दर्दी रखी जाये। मुझे खेद है कि यह बात न ही प्राइवेट क्षेत्र में समझी जाती है और न ही सरकारी क्षेत्र में।

जहां तक श्रम मन्त्रालय का सम्बन्ध है इसकी कोई आवाज़ ही नहीं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : श्रीमान्, वित्त विधेयक पर वाद विवाद के दौरान में सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों की गतिविधियों पर चर्चा की जाती है, वित्त मंत्री जी को छोड़ कर यहां कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि वित्त विधेयक के इस अन्तिम प्रक्रम पर प्रत्येक माननीय मंत्री यहां उपस्थित होगा, केवल माननीय वित्त मंत्री का यहां होना काफी नहीं है, प्रत्येक माननीय मंत्री को जानना चाहिये कि उसके मंत्रालय के सम्बन्ध में क्या कुछ कहा जा रहा है।

श्री एच० एन० शास्त्री : राज्य सरकारें श्रम के सम्बन्ध में जो नीतियां अपना रही हैं उनमें भी हमारे श्रम मन्त्रालय की कोई आवाज़ नहीं, भारत सरकार का प्रत्येक मन्त्रालय अपने को श्रम मन्त्रालय से बचा के के रखना चाहता है, मैं श्रम मन्त्रालय की कोई वकालत नहीं कर रहा हूं। परन्तु मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि भारत सरकार की एक स्पष्ट तथा संघठित श्रम नीति होनी चाहिये जो कि श्रम मन्त्री के कंट्रोल में हो, ऐसी दशा में जबकि इस मंत्रालय की कोई आवाज़ नहीं है इसे तोड़ देना ही अच्छा होगा।

प्रस्थापित श्रम विधान अभी भी संसद् के सामने नहीं आया है। बताया जाता है कि प्रत्येक मन्त्रालय इसकी ज़द से बच कर रहना चाहता है ऐसा सोचना एक खतरनाक बात होगी।

मैं प्रधान मंत्री जी से अपील करता हूं कि वह स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकें। वह हमारे देशवासियों की आवश्यकताओं को तथा आकांक्षाओं को समझते हैं तथा केवल वह ही इन्हें पूर्ण करने का सामर्थ्य तथा निश्चय रखते हैं।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : श्री हरिहर नाथ शास्त्री देश में काम करों को सन्तुष्ट रखने के बारे में अभी बोले हैं। मैं भी इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूं। परन्तु इससे पहले मैं वित्त विधेयक पर कुछ शब्द कहूंगा।

कर व्यवस्था में जैसे कि मंत्री जी ने स्वयं कहा, कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया गया है, करनिर्धारण की सीमा बढ़ा दी गई है जो कि एक अच्छी बात है, किन्तु इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन आदि का खर्चा बढ़ा दिया गया है। सभी बातों को देखते हुए मेरा विचार है कि यह पंचवर्षीय योजना की प्रगति में एक ठहराव है, हम ने आशा की थी कि युद्ध समाप्ति के आठ वर्ष बाद करों में कुछ कमी करने की कोशिश की जायगी,

[डा० लंका सुन्दरम्]

माननीय वित्त मंत्री यह कहेंगे कि हमें योजना को कार्यरूप देने के लिये धन चाहिये, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं बशर्ते कि इसका सदुपयोग किया जाय।

श्री शास्त्री न हिन्दुस्तान पोतनिर्माणशाला का उल्लेख किया, हम नें इस के अर्जन के लिये गत वर्ष के बजट में ३,२३,७९,००० रुपये का उपबन्ध रखा; बाद में इस सम्बन्ध में ६९,८६,००० रुपये का अनुपूरक अनुदान भी मंजूर किया गया। योजना आयोग ने इसके विकास तथा विस्तार के लिये १४ करोड़ रुपये की धनराशि निश्चित की है।

गत वर्ष लगभग चार करोड़ रुपये की जो धन राशि आवंटित की गई उस में से एक करोड़ दस लाख रुपया पोत निर्माण के लिए अर्थ सहायता है। फ्रांसीसी फर्म जो कि यार्ड को इस समय चला रही है, को बनाये गये पोतों पर चार प्रतिशत कमीशन दिया जाता है, यदि दो पोत बनाये जायें तो उन्हें साढ़े पांच लाख रुपया कमीशन मिलेगा। इसके अलावा इस फर्म के विशेषज्ञों के वेतनों, भत्तों आदि के लिए तीन लाख रुपया प्रतिवर्ष दिया जाता है, अतिरिक्त कर्मचारियों पर एक लाख रुपये से अधिक धन खर्च किया गया है, अधिकारियों के वेतन बढ़ा दिये गए हैं।

दो पोत एक ही समय बनाने के आधार पर अतिरिक्त लागत आठ लाख रुपये से अधिक आती है, यदि चार पोत एक ही समय बनाने की व्यवस्था की जाये जैसे कि फ्रांसीसी फर्म ने सिफारिश की है तो अतिरिक्त व्यय प्रतिवर्ष १५ लाख रुपये से भी अधिक आ जायगा।

सिन्ध्या कम्पनी के दिनों में इस यार्ड में सामान्यतः ४६०० कमकर काम करते थे। इसमें से ८०० कम कर पहले ही निकाल दिये गए हैं, -१५० व्यक्ति छोड़ के चले गए हैं,। अब और ८१३ कमकरों को बिना किसी नोटिस आदि के निकाला जा रहा है। इसके उलट यह हो रहा है कि प्रबन्ध संचालक को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिये २८,००० रुपये खर्च किया गया है, एक आई० सी० एस० अधिकारी के लिये जिसे कि इस काम की कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं यह सब कुछ किया गया। ९० प्रतिशत काम बिना प्राक्कलन के किया जाता है, अकुशल देख-भाल तथा लापरवाही के कारण सामग्री बर्बाद की गई है, मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी इस बात की ओर ध्यान देंगे कि जनता के पैसे का सदुपयोग किया जाता है, इस सदन की प्राक्कलन समिति को भी इस मामले की जांच करनी चाहिये।

इस यार्ड के कमकरों ने छांटी के विरुद्ध २२ तारीख से हड़ताल करने का निश्चय किया है, उन्होंने ८ तारीख को इस सम्बन्ध में नोटिस दिया है, १० तारीख को प्रबन्धकों की ओर से उन्हें उत्तर मिला है कि वह इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि ८१३ कमकर फालतू हैं मज़दूर संघ के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, यह इनकी दिलेरी है। १० तारीख को कमकरों ने अपना वेतन लेने से इंकार किया तथा उन्होंने 'काम रोको' हड़ताल भी की। प्रबन्धकों ने उसी दिन श्री बालचन्द हीराचन्द की स्मृति में यार्ड को बन्द किया, किन्तु कमकर अपने प्रदर्शन से पीछे नहीं हटे, सारांश यह कि आज चारों तरफ इस पोत निर्माणशाला में असन्तोष की भावना फैली हुई है तथा सरकार को इस के परिणामों से सचेत रहना चाहिये।

तीन वर्ष हुए जबकि कमकरों ने छांटी का निवारण करने के लिये अपने महंगाई भत्ते में १५ रुपये प्रतिशीर्ष कटौती स्वीकार की थी। गत वर्ष उत्पादन मंत्री ने आश्वासन

दिया था कि कोई छांटी नहीं की जायगी। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह एक न्यायाधिकरण स्थापित करे जो कि इन ८१३ कमकरों की छांटी के औचित्य पर अपना निर्णय दे। मैं न केवल मज़दूरों के हित को दृष्टि में रख कर ऐसा कह रहा हूं अपितु इस यार्ड के हित को भी दृष्टि में रख कर ऐसा कह रहा हूं। यह हमारे देश के लिए एक अत्यन्त ही आवश्यक संस्था है जिसे नष्ट भ्रष्ट होने से रोका जाना चाहिये।

१० म० पू०

पंडित ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे इस वक्त हाउस के सामने बोलने का मौक़ा अता फ़रमाया। हम पिछले दिनों में जब यहां पर बजट के सिलसिले में डिस्कशन हो रहा था तो बहुत सारी बातें गवर्नमेंट की तरफ़ से सुनते रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सिमत में तरक्की की है। मैं आज इस वक्त आपकी ख़िदमत में उन चन्द अमूर का ज़िक्र करना चाहता हूं कि जिनके अन्दर गवर्नमेंट मसरूफ़ियत की वजह से तवज्जह नहीं दे सकी। यही आज एक मौक़ा है फ़ाइनेंस बिल पर जब कि इस बिल को छोड़ कर दूसरी बातों का भी बड़ी मुनासबत से तज़किरा किया जा सकता है।

अव्वल बात यह है कि इस देश के अन्दर आज परमात्मा की कृपा से और गवर्नमेंट की इमदाद से ऐसी शक्ल बन गयी है कि हमारे फूड मिनिस्टर साहब कहते हैं कि देश ने फूड के मामले में कारनर टर्न कर लिया है और यह चीज़ उम्मीद दिलाती है कि अब गल्ले के ऊपर से रिस्ट्रक्शन्स और कंट्रोल्स हट जायेंगे। लेकिन प्लानिंग में हम देखते हैं कि कंट्रोल को जरूरी समझा गया है इसलिए गल्ले की कमी पूरी हो जाने पर भी कंट्रोल का उठना मुश्किल मालूम होता है। मिनिस्टर साहब ने हमें बतलाया कि अब यहां देश में काफ़ी गल्ला पैदा होने लगा है, क़रीब चार लाख टन चावल पैदा हो चुका है अकेले उड़ीसा में, तक़रीबन दो लाख टन चना जिले हिसार व रोहतक में पैदा हो चुका है और ज़रूरत से ज्यादा इन दो, तीन अज़ला में ग़ल्ला पैदा हो सकता है और जो थोड़ी बहुत गल्ले की कमी रह भी जावेगी, वह नई नहर के आने से भाखरा डाम के द्वारा पूरी हो जायगी और तब हमें बाहर से गल्ला ज्यादा नहीं मंगाना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ़ से यह कहा गया कि २·४ मिलियन टन फूड-ग्रेन्स की कमी न होते हुए भी सिर्फ़ इसलिए देश में मंगाया जायगा, क्योंकि लोग क्लैमर करने लगेंगे अगर हम बाहर से गल्ला नहीं मंगायेंगे, ऐसा किदवाई साहब ने फरमाया। आज गल्ले की कमी दूर हो चुकी है और केयर के डर से गल्ले का मंगाना महज़ हिमाकत है। गल्ले से हट कर मैं एक और ज़रूरत की चीज़ की तरफ़ हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह दूध की हमारे देश में कमी है। इस देश के अन्दर दूध की बहुत भारी कमी वाक़ई हो गयी है और आज के दिन हम सब तरफ़ से यही सुनते हैं कि दूध की हमारे यहां एक्यूट शार्टेज है और यह बहुत ही अफसोसनाक बात है कि गवर्नमेंट ने पिछले चन्द सालों में इस कमी को दूर करने के लिये कैटिल प्रीज़र्वेशन के वास्ते और नस्ल बढ़ाने के वास्ते जो रक़म खर्च करनी चाहिए थी वह ख़र्च नहीं की। गवर्नमेंट ने तक़रीबन ८·५ करोड़ रुपया ग्रो मोर फूड के वास्ते प्रोवाइड किया, लेकिन कैटिल के वास्ते केवल ६ लाख रुपया ख़र्च किया और हम बराबर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहे हैं और गवर्नमेंट का ध्यान इधर दिलाते रहे हैं लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी, इसलिए वक्त का तक़ाज़ा यह है कि आप इस तरफ़ तवज्जह दें और देश के अन्दर दूध बढ़ाने की कोशिश करें। आज

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

दूध की कमी महसूस की जा रही है और दूध की कमी इससे ज़ाहिर हो सकती है कि हरियाना की नस्ल की गायों के नीचे सोलह सेर के बजाय उन गायों के नीचे आज कुल आठ सेर दूध होता है। इससे बड़ा नेशनल डिज़ास्टर मैं दूसरा नहीं समझता। यहां पर गायों का दूध पहले के मुक़ाबले में कम हो गया है और वह ग़रीब आदमी जो छाछ पर अपना गुज़ारा कर लिया करते थे आज आप गांवों में जाकर देखें कि उन को छाछ तक मयसर नहीं हो पा रहा है। आप फाइव इयर प्लान बनाते हैं और हेल्थ सर्विसेज़ बनाते हैं लेकिन जब तक यह दूध की कमी दूर नहीं की जाती और लोगों को छाछ मयस्सर नहीं हो पाता, तब तक आपकी यह सारी स्कीमें बेकार हैं और आप कामयाब नहीं हो सकते। इससे बढ़ कर और कोई ख़राबी इस देश के अन्दर पैदा नहीं हो सकती। उन ग़रीब आदमियों की दशा सुधारने की तरफ़ आप तवज्जह नहीं देते। सोलह फ़ी सदी कुनबों को दूध देखने को भी नसीब नहीं होता, यह गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस ओर अधिक तवज्जह दे। आज काऊ प्रोटेक्शन के लिए और काऊ स्लाटर बन्द करने के लिए तो तवज्जह दी जाती है और उपाय सोचे जाते हैं कि इसको कैसे किया जाय, लेकिन काऊ की यील्डिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ायी जाय और गाय की नस्ल को क्यों कर बेहतर किया जाय, इसकी तरफ़ जितनी तवज्जह दी जानी चाहिए, उतनी नहीं दी जाती है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि काऊ स्लाटर का मसला जिसके ऊपर बहुत सी सोसाइटी और लोग ज़ोर देते थे कि यहां काऊ प्रोटेक्शन हो, तो वह मसला तो हल हो चुका है और खत्म हो चुका है। हम अपने कांस्टीट्यूशन में तय कर चुके हैं कि इस देश में जहां तक गाय का सवाल है, काऊ का स्लाटर कतई बन्द होगा, और यह गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की पालिसी है और गवर्नमेंट की जो इस सम्बन्ध में पालिसी है वह मिस्टर क़िदवई साहब ने बतलाई है कि किसी भी ख़राब जानवर को अगर कोई देना चाहेगा तो गवर्नमेंट उसको ले लेगी और उनके बचाव के वास्ते गवर्नमेंट कोशिश करेगी। इसके लिए पचास गौसदन बनाने की इस साल के लिए गवर्नमेंट की तजवीज़ है जो कि देश की ज़रूरत का लिहाज़ रखते हुए काफ़ी होंगे। इस वास्ते मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में कोशिश शुरू की है और उसने चार करोड़ रुपया इस काम के वास्ते रक्खा है और ज़रूरत है कि बिज़नेसमेन और दूसरे लोगों की इस काम में मदद ली जाय और इस रक़म को बढ़ा कर बीस करोड़ तक कर लिया जाय और मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों इस काम में हाथ बंटायें और काम करना शुरू करें तो दो चार सालों में हम बीस करोड़ रुपये से इस सवाल को बखूबी हाथ में ले सकते हैं और हल कर सकते हैं।

थोड़ा ही अर्सा हुआ गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के एक एक्सपर्ट राइट साहब ने कहा था कि इस देश के अन्दर जब तक दूध का इस्तैमाल तक़रीबन दुगना नहीं होगा, तब तक इस देश के लोगों की बैलेंस्ड डाइट नहीं होगी आज आसाम के अन्दर हम देखते हैं कि वहां पर लोगों की ऐवेरेज डाइट में रोज़ाना दूध वगैरा का हिस्सा डेढ़ छटांक से ज्यादा नहीं है, सिर्फ़ एक पंजाब का प्रान्त है जहां पर कि ऐवेरेज अच्छा खासा है, लेकिन वहां भी अक्सर इलाकों में दूध की बहुत कमी है और मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि आप अनाज चाहे कितना भी खिलायें, लेकिन दूध की बैलेंस्ड डाइट में अपनी खास इम्पार्टेन्स है और जब तक इस देश में दूध की जो मुकम्मल

डाइट है कमी पूरी नहीं होगी तब तक डाइट बैलंस्ड न होगी और नतीजा यह होगा कि उस वक्त तक यहां के लोगों की हैल्थ ठीक न हो सकेगी ।

इस वास्ते मैं गवर्नमेंट की ख़िदमत में अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जह दे और इसके लिए तकरीबन बीस करोड़ रुपया खर्च करे । क्योंकि इस तरफ खर्च किए हुए रुपये से देश में बहुत जल्द सम्पत्ति बढ़ेगी ।

दूसरी चीज़ जिसकी तरफ मैं गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह यह है कि अब वक्त आ गया है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की पालिसी को बदला जाय । अभी तक कम्युनिटी प्राजेक्ट्स उन जगहों पर कायम किये गये हैं जहां पर बहुत अच्छा पानी मौजूद है और लोग खुशहाल हैं, और यह पालिसी सही थी क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा फूड का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़े । लेकिन अब हमारा फूड फ्रंट डिसऐपीयर हो गया है और अब वक्त आ गया है कि हम अपनी कम्युनिटी प्राजेक्टस को ऐसी जगहों पर कायम करें जहां पर अकाल पड़ता है । रोज़ हम रायलसीमा में अकाल की खबर सुनते हैं, महाराष्ट्र में अकाल पड़ा हुआ है, राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है । मेरे अपने इलाके में अकाल पड़ा हुआ है और वहां का हालत नागुफ्ताबे है । वहां की मुश्किलात को वही जान सकता है जो कि वहां रहता है । तो वक्त आ गया है कि जब मैं दो तजवीज़ें गवर्नमेंट के सामने पेश करना चाहता हूं । एक तो यह है कि एक नया फैमीन फंड कायम किया जाय जिसमें आधी रकम गवर्नमेंट आफ इंडिया दे और आधी स्टेट गवर्नमेंट्स से वसूल की जाय और जहां भी फैमीन हो वहां पर इससे काम लिया जाय और पुराने फैमीन कोड के मुताबिक यह न कहा जाय कि फैमीन नहीं है । पुराना फैमीन कोड लागू करने से एक तो मज़दूरों को काफी वेजेज़ नहीं मिलतीं और दूसरे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है । इसलिए अब हम को पुरानी फैमीन पालिसी को खैरबाद कहना चाहिए । इस वैलफेयर स्टेट में इस गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वह एक एक आदमी की तरफ़ तवज्जह दे और कोई भी शख्स कहत की वजह से तकलीफ न उठाये । इस लिये यह जरूरी है कि अब पुरानी फैमीन पालिसी को बदला जाय और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स को ऐसी जगह बनाया जाय जहां पर कि फैमीन कंडीशन्स हों । जिन इलाकों में कहत की हालत रहती है अभी तक उनका हाइड्रोलोजिकल सरवे नहीं हुआ है और हम को नहीं मालूम कि वहां पर सबसाइल वाटर की क्या हालत है । अगर इस सबसाइल वाटर का पता लग जाय तो थोड़े पम्पिंग से उन इलाकों का कहत दूर हो सकता है । मैं इस हालत के लिए इस गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहराता । जो दो सौ वर्ष के फारन डामिनेशन के खराब असर हैं वह पांच बरस में दूर नहीं हो सकते । लेकिन अब वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जह दे । जिस कांस्टीट्यूएंसी से मैं आता हूं वहां एक एकड़ ज़मीन में ८० मन जौ पैदा हुआ । जब मैंने यह बात ग्रो मोर फूड एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में लिखी तो यहां से अफसरान यह देखने के लिये भेजे गये और यह साबित हुआ कि ८० मन जौ एक एकड़ ज़मीन में पैदा हुआ । तो इस सारे इलाके में जो दिल्ली के नज़दीक है उसमें सबसाइल वाटर बहुत है लेकिन अभी तक इस एरिया का किसी ने सरवे नहीं किया है और न यह देखा है कि इससे क्या फायदा हो सकता है । एक एक ज़िला ऐसा है जो कि सारे देश की गल्ले की कमी को पूरा कर सकता है लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इस तरफ तवज्जह ही नहीं दी है । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हूं कि अब कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स ऐसी जगह रखी जायं जहां पर कहत पड़ता है न कि ऐसी जगहों पर जहां कि पानी बहुत है और लोग खुशहाल हैं। ऐसी जगहों में जहां पर कि लोग फूड के मामले में हमेशा से तकलीफ में रहे हैं वहां इन प्रोजेक्ट्स को कायम करना और उन को फायदा पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे कांस्टीट्यूशन की दफा १४ का असूल बे मानी हो जायगी। मैं चाहता हूं कि ऐसे इलाक़ों पर अब गवर्नमेंट ज्यादा तवज्जह दे जहां पर कि अब तक तवज्जह नहीं दी गयी है।

तीसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे मुल्क में बहुत अर्सा हुआ जब कि आल इंडिया जेल ऐन्क्वायरी कमेटी बनी थी। उसी की सिफारिशों पर हमारा सारा जेल का निज़ाम बना था। लेकिन इस चीज़ को बहुत अर्सा हुआ। उस वक्त से अब पीनालोजी व साईकोलोजी के उसूल बदल गये हैं। इसलिए अब हम को अपने जेल निज़ाम को बदलने की सख्त ज़रूरत है। मैंने अभी पिछले दिनों पंजाब की सभी जलों को देखा है और उनके मसलों पर गौर किया है। मैंने देखा कि जेलों की हालत निहायत खराब है। बहुत से जेलों में एक शख्स से जो कि वहां रहता है साल भर में तीन चार रुपये की आमदनी होती है और उस पर खर्च होता है कई सौ रुपया। यह हालत ठीक नहीं है। हमारा यह फर्ज़ है कि हम जेलों के अन्दर ऐसे हालात पैदा करें कि जो आदमी जेल से निकले वह एक रिफार्म्ड आदमी हो कर निकले। आज वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट एक आल इंडिया जेल ऐन्क्वायरी कमेटी मुकर्रर करे जो सारे हिन्दुस्तान के हालात का जायज़ा लेकर अपनी तजवीज़ें पेश करे और उनके मुताबिक यहां पर जेल रिफार्म किया जाय।

चौथी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह इनकम टैक्स के उसूल के बारे में है जिसके बारे में पहले बहुत बार अर्ज कर चुका हूं। आज जब कि ऐस्टेट ड्यूटी बिल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है मैं बहुत अदब से फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि उस कमेटी के पीछे जो असूल की सिफारिश है उस को मंजूर किया जाय और उसको इनकमटैक्स में इनक्ल्यूड कर दिया जाय। उसकी सिफारिश है कि अगर जाइंट हिन्दू फैमिली का कोई आदमी मर जाय तो उसकी उसी जायदाद पर टैक्स लगना चाहिए जो उसकी मौत पर उसके पास होती हो यानी जैसे कि खानदान जुदा हो। अब वह उसूल जो पहले गवर्नमेंट नहीं मानती थी हिन्दू जाइंट फैमिली के मुताल्लिक, अब गवर्नमेंट ने उस पर उबूर हासल कर लिया है। आज जब कि आपने हिन्दू जाइंट फैमिली को खत्म कर दिया है फिर भी एक हिन्दू पर नाजायज तौर से टैक्स लिया जाता है। मैं नहीं समझता कि एक हिन्दू फैमिली और एक नान हिन्दू फैमिली में क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। यह डिस्क्रिमिनेशन अब बन्द होना चाहिए और इन्सान पर टैक्स लगाना चाहिए न कि उसके रिलीजन पर। इसके अलावा आपने फाइनेन्स बिल में १५०० रुपये की लिमिट रखी है इंडीवीजुअल के लिए। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत कम फैमिलीज दो आदमियों के होते हैं और जो फैमिली दो आदमियों का है वह इंडीवीजुअल ही सा है। इसलिये मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर किसी फैमिली में दो या तीन से ज्यादा आदमी हों तो इस लिमिट को १५०० से बढ़ा कर ३००० कर देना चाहिए। इन्वेस्टीगेशन कमीशन ने पहिले सुझाव दिया था अगर खानदान में

तीन या तीन से ज्यादा मेम्बर हों तो एक्सेम्पशन की लिमिट तिगुनी कर दी जाये। जहां तीन या तीन से ज्यादा आदमी हों वहां यह लिमिट बढ़ा दी जानी चाहिए। लेकिन इनकम टैक्स वाले तो रुपये के पीछे पड़े रहते हैं। उनको नो न लाजिक से मतलब है और न इन्साफ से। और आज भी बावजूद इन रिकमेंडेशनन्स के जाइंट हिन्दू फैमिली को इसी तरह से टैक्स किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की तवज्जह इस तरफ गयी है। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर एक के बाद दीगरे, सर जान शूस्टर से लेकर अब तक यह कहते रहे हैं कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी बिठायी जानी चाहिए। मुझे खुशी है कि अब हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि फाइनेन्स टैक्सेशन कमेटी इस सवाल का निर्णय करे। लेकिन जब तक वह कमेटी इस का निर्णय करे मैं अदब से गुज़ारिश करना चाहता हूं कि इस १५०० की लिमिट को बढ़ा कर ३००० कर दिया जाय। यही इन्साफ का तकाज़ा है।

अब जो इस के अलावा फाइनेन्स बिल में और सवालात आये हैं उन पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जनरल तौर पर जो ऐक्सप्लेनेशन्स हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने दिये हैं वे वाजिबी हैं और उन से मुझे कोई शिकायत नहीं है।

अगली चीज़ जो मैं इस जिम्न में अर्ज करना चाहता हूं वह एक ऐसी चीज़ है जिसका ज़िक्र मैं जब भी मुझे फाइनेन्स बिल पर बोलने का मौका मिलता है हमेशा करता हूं। मेरे नज़दीक इस देश की तरक्की का एक नाप हरिजन हैं। अगर उसकी हालत बेहतर होती है तो मैं समझता हूं कि हम को स्वराज्य मिला है और हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अगर उसकी हालत में कोई तरक्की नहीं होती है तो मैं नहीं समझता कि हम स्वराज्य से फायदा उठा रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। इस वास्ते मैं अदब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम को यह देखना चाहिए कि हरिजनों की तरक्की के वास्ते हम काफी रुपया खर्च कर रहे हैं या नहीं। आया हमने अपना फर्ज अदा किया है या नहीं। हम ने दस बरस में हरिजनों को और लोगों के बराबर लाने का दावा किया है। हम को देखना है कि हम उन को काफी तालीम दे रहे हैं या और तरह से उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं या नहीं कि उनको यह महसूस हो कि हम अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम अपने गरेबां में मुंह डाल कर देखें कि इन तीन चार बरसों में हमने अपना वह वायदा पूरा किया है या नहीं। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे काम की पेश बहुत कमजोर रही है। मैं मानता हूं कि कई मामलों में उन की तरक्की हुई है और मैं समझता हूं कि हमने किसी हद तक अपना फर्ज अदा किया है लेकिन काफी तौर पर हम ने यह फर्ज अदा नहीं किया है। अब भी मैं कई नौजवान क्वालीफाइड हरिजनों को देखता हूं कि जिन को नौकरी नहीं मिल रही है। अभी भी जैसा गवर्नमेंट चाहती है वैसा सलूक हरिजनों के साथ नहीं होता। आज भी अनटचेबिलिटी हमारे यहां किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं अगर हम अपने वायदों को पूरा करना चाहते हैं तो हम को काम के टैम्पो को बढ़ा देना चाहिए। और हम को यह देखना चाहिए कि हम दस बरस बाद अपने हरिजन भाइयों से कह सकें कि तुम्हारा किस्सा अब खत्म हुआ और तुम जनरल बिरादरी में मिल गये और जो स्पेशल रिप्रेज़ेंटेशन उन को मिला हुआ है वह उस वक्त खत्म किया जा सके। लेकिन यह तभी मुमकिन हो

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सकता है जब कि सरकार इससे कई गुना ज्यादा रुपया खर्च करे।

जनाब वाला, चूं कि अब घंटी बज चुकी है इस लिए मैं इस मज़मून को छोड़ता हूं और आपकी इजाज़त से एक छोटे से मज़मून का ज़िक्र करता हूं जिसका मैं सबसे अव्वल ज़िक्र करना चाहता था।

जनाब वाला, यह पुरानी सरकार २०० वर्ष तक हिन्दुस्तान पर राज्य कर गयी और इस ने ज्युडीशियल सिस्टम कायम किया, एक शहादत बनाया। यह ज्युडीशियल सिस्टम जो हिन्दुस्तान के वास्ते ऐसा अच्छा नहीं था, क्योंकि यहां की जीनियस के मुताबिक न था वह सब का सब उस ने हमारे इस मुल्क में रायज किया। कई बातें उन्होंने अच्छी भी की हैं और हम अंग्रेज़ों के बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने बहुत से ऐसे उसूल हमारे मुल्क में क़ायम किए कि जिन पर हम आज भी चल रहे हैं और जो कि यूनीवर्सल ऐप्लिकेशन वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ, जनाब वाला, जहां तक इन्साफ़ का ताल्लुक़ है हम देखते हैं कि आज दिन दहाड़े लोग क़त्ल करते हैं और वे सब के सब अदालतों से छूट जाते हैं। हमारे देश में कितने ही ऐसे बेगुनाह लोग हैं जिन को आज पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उन पर जब्र करती है। आज मैं देखता हूं कि एक बड़ी भारी क्लास सारे हिन्दुस्तान में बार रूम में बैठी बैठी मक्खियां मारती है। आज हज़ारों वकील अदालतों में ऐसे मौजूद हैं जिनकी आमदनी सिफ़र के बराबर है और जिनका गुजारा नहीं हो सकता और वह वहां अदालतों में बैठे हुए सुबह से शाम तक गवर्नमेंट को गालियां देते हैं।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारी बाग पश्चिम) : अच्छा काम करते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इतना हमारी इंटैलिजेंशिया का वेस्ट होता है। अदालत में एक मुक़द्दमा है, आधे घंटे का काम है लेकिन छः घंटे तक बार एसोसियेशन में बैठे हुए हैं और गप्पे मारते हैं। इस के लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं गवर्नमेंट का कोई क़सूर नहीं देखता, लेकिन इस चीज़ का इलाज गवर्नमेंट करे क्योंकि देश की बहुत बड़ी इन्टैलिजेंस की दौलत इस तरीक़े से ज़ाया जा रही है। आज की दुनिया में हमारी अदालतों में क्या हालत है। इनकम टैक्स आफिसेज़ के लिए फोर्जरी इस क़दर ज़्यादा बढ़ गयी है कि जिसका कोई अन्दाज़ा आप नहीं लगा सकते। पर्जरी इस क़दर ज्यादा बढ़ गयी है कि जिसका आप को इल्म नहीं हो सकता। मैं आप को बताना चाहता हूं कि यह पुरानी २०० वर्ष की उस गुलामी की वजह से ऐसी खराबियां हो गई हैं, हमारे अन्दर ऐसी खराब आदात आ गई हैं कि जिनकी दुरुस्ती करना ज़रूरी है। मैं जानता हूं कि इन बातों को एक दम से हल करना मुश्किल है। मैं जानता हूं कि गुनाह गवर्नमेंट के ज़िम्मे नहीं थोपा जा सकता कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। लेकिन यह चीज़ मेरी समझ में आती है कि अब वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट एक ज्युडीशियल रिफार्म कमेटी बनाए जिसमें यह सवाल, इंडियन एवीडेंस ऐक्ट के उसूल का सवाल वकीलों का जितना काम है, उन को जो काम मिलता है, उस का सवाल, उन की ज़हनियत को तबदील करने का सवाल, मुक़द्दमें करने वालों की ज़हनियत को तबदील करने का सवाल, पुलिस का पब्लिक के साथ रवैये का सवाल पब्लिक का पुलिस के साथ डील करने का सवाल, उस कमेटी के सामने ये सारे सवाल, पेश हों। आज हालत क्या है। आप इन्कम टैक्स आफिस में जाइये। एक इन्कम टैक्स आफिसर असैसी को अपना दुश्मन मालूम होता है कि यह मेरी जान मारेगा। इन्कम

टैक्स आफिसर असैसी को देखता है तो समझता है कि मेरे सामने एक दग़ाबाज़ आदमी आया है। यह अपनी सारी इनकम मुझे नहीं बतलाएगा। मुझे मालूम है कि हमारे फायनेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ अरसा हुआ चन्द अफ़सरान असैसीज को सहूलियत देने के लिए मुक़र्रर किए थे। लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस सारी चीज़ को देखते हुए हमें इस पर अच्छी तरह से ग़ौर करने की ज़रूरत है। हमारे मुलक में ऐसी हालत पैदा करनी चाहिए कि इनकम टैक्स आफिस में कोई असैसी जाय तो वह समझे कि जो इनकम टैक्स आफिसर बैठा हुआ है वह मेरा दोस्त बैठा हुआ है। वह मुझ को तकलीफ़ नहीं होने देगा। वह असैसी भी समझे कि मुझे अपनी इनकम ठीक बतानी चाहिए और मुझे बेईमानी नहीं करनी है। इसी तरह से कोई आदमी अदालत में जाय, जो कि एक टैम्पल आफ जस्टिस है, तो उस को सच बोलना चाहिये। आज हालत यह है कि यह समझा जाता है कि जो अदालत में सच बोले वह बेईमान है। मैं निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इन सब चीज़ों की जांच हो। अदालत हो या पंचायत, उस में कोई जाये तो सच बोले। इसलिये इस सब में किस तरह की तबदीली करनी चाहिये, इस के लिये सरकार को खास तवज्जह देनी चाहिये।

सरकार अब तक और कामों में और और तरह की मुश्किलात में फंसी हुई थी। लेकिन अब वक्त आ गया है। अब हमारे देश में अमनो अमान का वक्त है। हमारी माली हालत भी ऐसी खराब नहीं है और हमारे फायनेंस मिनिस्टर साहब का भी रुख कुछ बदला हुआ है। वह जो उन की कौशन की आदत थी, ओवरकाशसनेस की, उस में अब उन्होंने ज़रा सी तबदीली की है और डेफिसिट फायनेंसिंग की तरफ़ क़दम उठाया है। मैं इस को देश के वास्ते एक नेक फेल समझता हूं कि हमारे काशस फायनेंस मिनिस्टर साहब भी थोड़ा सा क़दम अब आगे उठाने लगे हैं।

मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह अरबों रुपये का ग़ल्ला जो हम लोग तमाम मुल्कों से मंगाते हैं, अब वक्त आ गया है कि हमारे फ़ायनेंस मिनिस्टर ज़रा हिम्मत अपने हाथ में लें और इस सारी चीज़ को स्टाप कर दिया जाय। इस ग़ल्ले के आने से गवर्नमेंट या फायनेंस का तो कुछ नहीं बिगड़ता, आपके फायनैन्सेज तो ठीक रहते हैं, क्योंकि आप तो स्टेट्स से रुपये वसूल कर लेते हैं, लेकिन मेरी अदब से गुज़ारिश है कि इस देश की बड़ी हानि होती है। अब बाहिर से गल्ले मंगवाने की पालिसी को फौरन बन्द किया जाये।

मैं आप का मशकूर हूं कि आप ने मुझे इतना वक्त दिया। अब मेरे पास वक्त नहीं है कि और बातों की तरफ़ आप की तवज्जह दिला सकूं। इसलिए इतना ही कह कर मैं खत्म करता हूं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (पटना पूर्व): माननीय वित्त मंत्री जी को मैं इस बात पर बधाई देती हूं कि उन्होंने इतनी कठिन परिस्थिति को इस खूबी के साथ व्यवहृत किया है। पलक मारते उन्होंने देश में एक प्रसन्नता-युक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण भर दिया है। उन्होंने अपनी विशेष युक्ति से, अपने आयव्ययक द्वारा समाज के सभी वर्गों के मस्तिष्कों को प्रभावित किया है।

इस विधेयक में उन्होंने छूट की सीमा व्यक्तियों के लिए ४,२०० रु० और हिन्दू संयुक्त परिवारों के लिये ८,४०० रु० कर दी है। इससे सरकार को केवल ८२ लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई है जो उसके लिए अधिक नहीं है, किन्तु अपेक्षाकृत गरीब वर्ग में जो उत्साह इससे भर गया है

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

वह उस राशि से कई गुना मूल्यवान है। और यह हानि भी लम्बे अरसे में, कर वसूली में सुधार कर के पूरी कर ली जायगी।

दूसरे, वित्त अधिनियम १९५१ के खंड २ में थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया है। यह व्यापारी दुनिया के लिये एक अच्छा परिवर्त्तन है और यह भारतीय सहायक कम्पनियों के जरिए काम करने वाली विदेशी कम्पनियों तथा सीधे अपनी शाखाओं के ज़रिए काम करने वाली विदेशी कम्पनियों के मध्य की असमानता को कम करता है।

अब मैं भारतीय आय कर, १९२२ की धारा ३ (घ) पर आती हूं जो कि सट्टे में हुई हानि को सट्टे के लाभ से ही पूरी करने की अपेक्षा करती है, किसी अन्य आय से नहीं। इससे व्यापारियों में कुछ आशंका उत्पन्न हो गई है। शायद उन्हें डर है कि बाज़ार में पहले से ही जो सीमित पूंजी आ रही है वह इससे और भी कम हो जायेगी। उनका कहना है कि यदि सट्टे बाजार में हुई हानि को अन्य आय से पूरा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो उनके पूंजी साधन समाप्त हो जायेंगे और वे सट्टे बाज़ार में आने को प्रवृत्त नहीं होंगे। किन्तु मैं समझती हूं कि कर अपवंचकों द्वारा सट्टे के नुकसानों को खरीदने वाली कुप्रथा इससे समाप्त हो जाएगी। परन्तु मेरा ख्याल है कि विधेयक में मसविदे की कुछ अनियमितताएं रह गई हैं। उदाहरणार्थ, इसमें उपबन्धित है कि सट्टे की हानि को आगे की तारीख में डाला जा सकता है किन्तु उसमें इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह हानि उसी व्यापार से पूरी की जा सकती है अथवा अन्य व्यापार से भी फिर मैं यह जानना चाहूंगी कि पृष्ठ ३ पर स्पष्टीकरण २ के परन्तुक में वास्तव में समस्त निर्व्याज द्वैधकरण संविदे आ जाते हैं या नहीं। विधेयक में दूसरा महत्वपूर्ण उपबन्ध मोटर कारों, सौन्दर्य प्रसाधनों, चीनी मिट्टी के सामान इत्यादि पर आयात शुल्क बढ़ा देना है। इससे देश को दो लाभ होंगे। एक तो राज-कोष में रुपया अधिक आएगा, दूसरे इन वस्तुओं के उपभोग की सीमा में कमी आयेगी।

सुपारियों पर जो आयात शुल्क बढ़ाया गया है उससे हमारे सुपारी उत्पादकों को अपने माल के लिए लाभदायक बाज़ार प्राप्त करने में निश्चय ही लाभ होगा।

किन्तु सरकार की आयात नीति में सब से अच्छी चीज़ यह है कि उसने पेनिसिलिन, एन्टी बायोटिक्स, सल्फा ड्रग्स, दुग्ध पदार्थ, वैज्ञानिक औज़ार इत्यादि वस्तुओं पर आयात शुल्क कम कर दिया है। वास्तव में, इन्हीं छोटी-छोटी युक्तियों से वित्त मंत्री जी देश में उत्साह वर्द्धन कर सके हैं।

फिर, खंड ३ के भाग (च) में महत्वपूर्ण चीजें निर्मित करने वाली अनेक कम्पनियों को कर के मामले में राहत दी गई है। उन कम्पनियों द्वारा कुछ कठिनाई अनुभव की जाती थी जो अपनी अतिरिक्त राशि को दूसरी कम्पनी में विनियोजित करती थीं क्योंकि उन्हें निगम-कर देना पड़ता था अब यह निगम-कर उन्हें नहीं देना पड़ेगा।

इन सब करों की कमी से ४·९५ करोड़ रुपए की हानि होगी। किन्तु ३·५० करोड़ रुपए आयात शुल्क में वृद्धि कर देने से भी प्राप्त होंगे। इस प्रकार कुल १·४५ करोड़ रुपए का घाटा आता है। इस घाटे को वित्त मंत्री जी ने डाक की दरों में वृद्धि कर के पूरा किया है जिससे १·९० करोड़ की प्राप्ति होगी और इस प्रकार आय-व्ययक में ४५ लाख रुपए अधिकाई होगी। डाक दरों को बढ़ाने पर ज़ोरदार आलोचना की गई है क्योंकि यह सामान्य जनता पर कर होगा। इसका सामान्य

जन पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा, किन्तु मैं यह नहीं कह सकती कि ऐसा करके वित्त मंत्री ने पूर्णतया अनुचित कार्य किया है। सामान्य जन का भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य है और इसलिए उसे इन छोटे मोटे त्यागों पर आपत्ति नहीं उठानी चाहिए।

किन्तु मैं समझती हूं कि यह वृद्धि सार भूत चीजों, जैसे पुस्तकों इत्यादि के सम्बन्ध में नहीं की जानी चाहिये थी जो देश के जीवन के लिए आवश्यक हैं। पुस्तकों का मामला लीजिए। इसका प्रभाव गरीब विद्यार्थियों पर पड़ेगा। प्रकाशक तो अपना खर्चा पुस्तकों के दाम बढ़ा कर वसूल कर लेगा। इन कठिनाई के दिनों में विद्यार्थियों पर यह भार अनुचित होगा। इस लिये माननीय वित्त मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इस विधेयक से खंड ९ को, जो कि पुस्तकों से सम्बन्धित है निरसित कर दें और पुस्तकों पर से कर हटा दें। इस से विद्यार्थियों में एक नवीन उत्साह का सृजन होगा और उन की यह भावना दूर हो जाएगी कि सरकार का रुख उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं है।

किन्तु मैं समझती हूं कि वित्त मंत्री जी के आय व्ययक में एक बहुत बड़ा दोष है। वह यह है कि उन्होंने पाकिस्तान से प्राप्त किए जाने वाले संशययुक्त ऋण भी अतिरिक्त राजस्व लेखे में सम्मिलित कर लिए हैं। यह उन्होंने शायद लोगों को यह जतलाने के लिए किया है कि आय व्ययक में भारी घाटा नहीं है। किन्तु आज कल जनता को इस प्रकार बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वित्त मंत्री जी का कहना है कि दो किश्तों में उन्हें पाकिस्तान से १८ करोड़ रुपया भारत के विभाजन पूर्व के ऋण के सम्बन्ध में प्राप्त होने की आशा है। किन्तु यह अत्यन्त शंकास्पद बात है कि पाकिस्तान का यह रुपया देने का इरादा भी है अथवा नहीं या वह इसे दे भी सकता है या नहीं। यदि वित्त मंत्री इस राशि को पूंजी लेखे में सम्मिलित कर लेते, तो भी कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता और आयव्ययक का यह दोष भी दूर हो जाता।

जहां तक वित्त आयोग के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, इसके सदस्यों ने अत्यन्त प्रशंसा-पूर्ण कार्य किया है। उनकी सिफारिशों से निश्चय ही उन राज्यों की दशा सुधरी है जिनको रुपये की अत्यन्त आवश्यकता थी और दूसरे उन्होंने प्रादेशिक असमानता को बहुत हद तक दूर किया है। उन्हें आय कर प्राप्ति का अब ५० प्रतिशत के बजाए ५५ प्रतिशत मिलने लगा है। बम्बई के अतिरिक्त प्रत्येक अन्य राज्य को थोड़ा बहुत लाभ हुआ है।

मैं सदन का और समय न लेकर माननीय वित्त मंत्री जी को इतना अच्छा आयव्ययक प्रस्तुत करने पर बधाई देती हूं।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम) : मेरे मित्र श्री हरीहर शास्त्री ने बढ़ती हुई बेकारी के सम्बन्ध में कहा और डा० लंका सुन्दरम् ने सरकारी उपक्रमों के कुप्रबन्ध के विषय में। मैं समझता हूं कि ये दोनों बुराइयां एक ही नीति का परिणाम हैं। बढ़ती हुई बेकारी सरकार द्वारा सृजनात्मक कार्य की व्यवस्था करने में असफल होना है और जब भी उसने कोई सरकारी उपक्रम प्रारम्भ किया, उसका वित्तीय रूप से अथवा टेकनीकल रूप से कुप्रबन्ध हुआ है।

आज देश भर में सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में यह हो रहा है कि जो भी किसी मंत्री का कृपापात्र बन गया उसी को ऊपर कर दिया जाता है, चाहे वह उस कार्य के अयोग्य ही क्यों न हो।

पंच वर्षीय योजना के अनुसार सरकार सृजनात्मक कार्य पर ४०० करोड़ रुपए प्रति वर्ष व्यय करेगी। आशा की गई है कि ७३८ करोड़ रुपया केन्द्रीय तथा राजीय आय-

[श्री मेघनाद साहा]

व्ययकों से प्राप्त होगा, ५२० करोड़ रुपया सब प्रकार की बचतों से और ८०० करोड़ रुपया विदेशी ऋण से। अखबारों में अनेक विख्यात अर्थशास्त्रियों के मत प्रकाशित हुए हैं कि प्रत्याशित बचत का आयव्ययक सम्भव नहीं होगा। अनेक लोगों का इस ओर यह भी विचार है कि विदेशी ऋण का मामला समास्यायुक्त है और इसकी स्वीकृति के सम्बन्ध में विवादग्रस्तता है। किन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूंजी विनियोजन की जो राशि अपेक्षित की गई है वह बहुत न्यून है। इससे औद्योगीकरण की गति में अधिक अन्तर नहीं पड़ेगा और लोगों की बेकारी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। यह राशि हमारी राष्ट्रीय आय का महज ४·५ प्रतिशत है। जो भी देश आयोजन करने के लिए मजबूर हुआ है उसने इस प्रतिशत को बहुत न्यून पाया है।

इंग्लैण्ड को ही लीजिये। वहां का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था। किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध म वहां की अर्थ-व्यवस्था तहस-नहस हो गई और इधर भारत भी उसके हाथ से निकल गया। वहां का जीवन स्तर एक दम गिर गया। किन्तु 'लेबर' सरकार सत्तारूढ़ हुई और उसने रुपया लगाया। यह राशि वहां की राष्ट्रीय आय की बीस प्रतिशत थी और ६ वर्ष के अन्दर उसने अपनी राष्ट्रीय आय में ३० प्रतिशत वृद्धि कर ली है। इतनी वृद्धि आपकी योजना के अनुसार कहीं २७ वर्ष में जाकर होगी। इससे मालूम होता है कि हमारे उत्पादन में वृद्धि करने के लिये वित्त मंत्री को ४·५ प्रतिशत से अधिक पूंजी का प्रबन्ध करना पड़ेगा।

फ्रांस की अर्थ-व्यवस्था भी द्वितीय युद्ध में अस्तव्यस्त हो गई थी और उसे आयोजन का सहारा लेना पड़ा। फ्रांस ने अपना आयोजन छः उद्योगों तक सीमित रक्खा जो कि उत्पादन के मुख्य साधन थे—लोहा और स्पात, कोयला, बिजली, यातायात और भारी रसायनिक। गत ६ वर्षों में फ्रांस इन पर अपनी राष्ट्रीय आय का २० से २५ प्रतिशत तक खर्च करता रहा है जिसका अर्थ है लगभग २००० करोड़ रुपए प्रति वर्ष। किन्तु हमारे यहां यह केवल ४०० करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। योजना आयोग इस से अवगत है किन्तु उसका कहना है कि भारत की गरीबी के कारण अपनी राष्ट्रीय आय का इससे अधिक भाग उत्पादन कार्य में लगाना सम्भव नहीं है। यदि हम अधिक रुपया व्यय नहीं कर सकते और यदि लाभ-युक्त उपक्रमों में नहीं खर्च कर सकते—तब तक हम बेकारी, गरीबी, कुपोषण और रक्षा इत्यादि की समस्याओं को हल नहीं कर सकते। इसलिए इस दृष्टिकोण में कि वित्त किस प्रकार उगाहा जाए मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। इस तुलना को हम चाहे जितना नापसन्द करें, किन्तु हमारी आर्थिक स्थिति सन् १९२७—२८ के रूस की भांति है जबकि उसने पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की थी। यह योजना उन्होंने कोई रातों रात तैयार नहीं की थी। इसके तैयार करने में ११ वर्ष लगे थे सन् १९१७ से १९२७, किन्तु हमारी योजना बड़ी जल्दी में तैयार हुई है। आरम्भ में रूसी सरकार ने विदेशी ऋण उगाहने का प्रयत्न किया। किन्तु जब इसमें भी असफलता मिली और प्राइवेट उपक्रम से भी सहारा नहीं मिला तो उसे अपने ही साधनों का सहारा लेना पड़ा। यह जानना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ५०,००० करोड़ रुपए की वृहत् राशि १२ वर्ष के दौरान में अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये किस प्रकार

उगाही, वे योजनायें जिन्होंने रूस को स मन्त-शाही कृषक देश से एक अत्यन्त ऊंचे उठे हुए औद्योगिक देश में परिवर्त्तित कर दिया । उनका जीवन स्तर जो भारत के समान था बढ़ कर फ्रांस के समतल पर हो क्या और यदि बीच में युद्ध न आ जाता तो वह इंग्लैण्ड के स्तर पर पहुंच जाता । और इस सब के अतिरिक्त वे अपनी रक्षा के लि ए सैनिक मशीनें तैयार कर सके और अपने को बचा सके ।

हमें योजना की आवश्यकता न केवल अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिये है वरन्, जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा, अपनी रक्षा की समस्याओं के लिये भी है । रक्षा समस्यायें अपेक्षा करती हैं कि तेजी से औद्यो-गीकरण हो । किन्तु योजना में हम क्या देखते हैं ? हमारे औद्योगीकरण में उत्पादन वृद्धि का रेट बहुत कम है । इसलिए हमें अधिक पूंजी उगाहने के तरीके निकालने होंगे ।

तो रूस में उन्होंने किस प्रकार अधिक रुपया प्राप्त किया ? हम अपने यहां अधिकतर पूंजी करारोपण द्वारा और कुछ विदेशी ऋणों के ज़रिए उगाहना चाहते हैं । किन्तु रूस में करारोपण द्वारा कुल पूंजी का केवल १० प्रतिशत के लगभग उगाहा गया था । उन्होंने विनियोजन की अधिकतर राशि अन्य साधनों से उगाही थी । एक साधन था राष्ट्रीय पैमाने पर बचत । हमारे यहां भी पोस्ट आफिस और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र आदि बचत की योजनायें हैं । किन्तु इन साधनों से हमारी प्राप्ति बहुत थोड़ी है । रूस में भी पहले ऐसा ही था । किन्तु उन्होंने राष्ट्रीय पैमाने पर जोरों के साथ बचत आन्दोलन प्रारम्भ किया और इस बचत से वे लगभग १० प्रतिशत विनियोजन-राशि उगाह सके ।

रूसी योजना में एक बड़ी राशि राजाओं तथा ज़ार आदि के सोने जवाहरातों से प्राप्त हुई थी । बम्बई योजना में भी कहा गया था कि हम इन छुपे हुए साधनों से युद्ध-पूर्वी ३०० करोड़ रुपये की राशि प्राप्त कर सकते हैं । किन्तु इन छिपे हुए साधनों का उपयोग करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है । देशी राजाओं के सोने जवाहरातों के रूप में अपार राशि उनके पास पड़ी हुई है । किन्तु इस साधन को विनियोजन पूंजी में परिणत करने का कोई कदम नहीं उठाया गया है । होगा अन्त में यह कि किसी दिन ये राजे-महाराजे यहां से भी इसी प्रकार उड़ जायेंगे जिस प्रकार कि लायक अली उड़ गया था ।

रूस में विनियोजित ६० या ७० प्रतिशत पूंजी एक नए प्रकार के कर 'टर्नओवर टैक्स' से प्राप्त की गई थी । किन्तु हमारे यहां योजना आयोग ने एक छोटे से वाक्य में यह कह कर इस कर को समाप्त कर दिया है कि यह इस देश के लिये उपयुक्त नहीं है । मेरा विचार है कि यह 'टर्नओवर टैक्स' एक महत्व-पूर्ण साधन है जिसकी ओर कि वित्त मंत्री को ध्यान देना चाहिये ।

यद्यपि मेरे प्रस्ताव से सब वर्ग सहमत हों तथापि मेरे विचार से हमें नमक-कर पुनः लागू करना चाहिए । इससे हमें ९ या १० करोड़ प्रतिवर्ष की आय होगी और यह राशि हमें सामान्य राजस्व में सम्मिलित न करके देश में भारी रसायनिक उद्योगों की स्थापना के लिये निर्धारित कर देनी चाहिए । आज हमें इन चीज़ों की बहुत अधिक आव-श्यकता है । हमारे कुछ उद्योग, जैसे शीशा तथा साबुन उद्योग समाप्त होने की स्थिति में हैं क्योंकि हमें उत्पादन, नामतः सोडा ऐश, विदेशी कम्पनियों से खरीदने पड़ते हैं । यदि हम नमक कर मे प्राप्त राशि उस उद्योग की स्थापना म लगाएं तो ये उद्योग अपनी सुध आप ले सकते हैं ।

[श्री मेघनाद साहा]

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर पीठासीन]

मैंने योजना आयोग के घोषणा पत्र को अद्योपांत ध्यानपूर्वक पढ़ा है । मैं देखता हूं कि बहुत सी बातों में इसने श्री विंटसन चर्चिल का अनुकरण किया है । सन् १९४४ में श्री चर्चिल ने अपने पार्टी घोषणा पत्र में समस्त प्रकार से सरकारी विनियोजन को निरुत्साहित किया था और कहा था कि समस्त औद्योगीकरण प्राइवेट क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए । यही हमारे यहां किया गया है । लगभग पूर्ण रूप से ही उद्योगों को प्राइवेट क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया है । मैं मानता हूं कि हमारी सरकार रूस के मार्ग पर नहीं चलेगी । परन्तु कम से कम यह आशा तो नहीं करता हूं कि वह अपना मार्ग साथी श्री चर्चिल को चुनेगी । कम से कम उसे एटली या बेवन के साथ तो चलना चाहिए ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार(तिरुपुर): अभी मुझ से पहले बोलने वाले सदस्य का भाषण मैं सुन चुका हूं । यद्यपि हम कई एक बातों में एक दूसरे से सहमत हैं, फिर भी मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि रूस को योजना बनाने में १७ वर्ष लगे और हमें भी इतना ही समय लगाना चाहिये । मेरा विश्वास है कि हम ने पहली बार योजना नहीं देखी । विरोधी दल में होते हुए भी हमारी कोई नीति थी, उन दिनों हमारा कोई आदर्शवाद था, और अब हमें उस आदर्शवाद को क्रियान्वित करना चाहिये

मुझे यह निश्चय भी है कि वित्त के अभाव से ही योजना असफल होगी, क्योंकि योजना में २०६९ करोड़ रुपये व्यय करने की बात बताई गई है, और इस में से भारत सरकार ने केवल १४०० करोड़ रुपये देने का उत्तरदायित्व लिया है और शेष धन-राशि राज्य सरकारों से ही प्राप्त होनी चाहिये । मुझे इस बात का आश्चर्य है कि क्या वित्त मंत्री को इस बात का निश्चय है कि वह धन प्राप्त भी होगा या नहीं । मैं आशा करता हूं कि उन्होंने राज्यों के वित्त मंत्रियों के आयव्ययक-भाषण पढ़े हैं । मेरे प्रान्त मद्रास के वित्त मंत्री ने बतलाया है कि पंचवर्षीय राष्ट्रीय योजना में हमारे राज्य पर १४१ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे । और यह भी कहा है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था की स्थिति में केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त होगी । और अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी इसी प्रकार की बातें कही होंगी । अतः मैं वित्त मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इन बातों पर विचार कर के यह देखने का प्रयत्न करें कि इन राज्यों को किस तरह सहायता दी जा सकती है । हम वहां १४० करोड़ रुपये की घाटे की वित्त-व्यवस्था की योजना बना रहे हैं, और यदि इस से कोई निराशाजनक प्रभाव नहीं पड़े तो हमें इस की सीमा का निर्धारण करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वर्ष का आयकर से प्राप्त आय इतनी आशाजनक रहीं होगी जितना कि आयव्ययक में बताया गया है । बिजली में ६६ २/३ प्रतिशत कटौती से दक्षिण भारत में उत्पादन में दो तिहाई कमी हुई है । इस से वस्त्र उद्योग, आदि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिस के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र से कम आयकर प्राप्त होगा । इस का उपचार करने के लिये मैं ने पहले भी यह सुझाव दिया था कि श्रम कर लगना चाहिये । भारत जैसे निर्धन देश में, जहां लोगों की आय कम है, और आयकर देने की सामर्थ्य शून्य के बराबर है, श्रम ही एकमात्र धन है । और इस मजदूर जगत् में बेकारी बढ़ती जा रही है । श्रमिक धन तो नहीं दे सकते, हां श्रम कर सकते हैं । स्कूल, सड़कें आदि बनाने की योजना के लिये

श्रम-कर से काम लिया जा सकता है, और इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है । वर्ष में एक-दो सप्ताह के लिये प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक काम करना चाहिये । स्नातकों को उपाधि दिये जाने से पहले, शारीरिक श्रम करने को कहना चाहिये, और श्रम के रूप में ही लोगों से कर प्राप्त होगा । भले ही शारीरिक श्रम से पैसा न मिले, किन्तु उद्देश्य तो पूरा होगा ही । यह कोई नया सुझाव नहीं है । दक्षिण भारत में बड़े बड़े मन्दिर श्रम-कर से बनाये गये हैं । आजकल भी वहां नहरों को श्रम-कर द्वारा ठीक रखा जाता है, और इस श्रम को कुदिमरम्मत कहते हैं । भले ही प्राचीनता-वादी अर्थशास्त्री इस को स्वीकार न करें, लेकिन यह एक सुकार्य सुझाव है । मैं यह नहीं जानता कि अन्य देशों में इस प्रकार की बातें चलती हैं या नहीं, किन्तु भारत की परिस्थितियों के लिये यही एक सुकार्य उपचार होगा ।

लोक लेखा समिति ने जो भी टिप्पणी की है उस से बहुतों को दुःख होगा । हम प्रायः देखते रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और ऐसे ही भ्रष्टाचारियों को दिन प्रति दिन बढ़ावा मिलता है, किन्तु देश में दृढ़ सदाचार की स्थापना के लिये लोगों का इस प्रकार का आचरण ठीक नहीं है । कोई ज़माना था जब सिविल सर्विस में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं दीखता था, किन्तु अब जगह-जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है । मैं अपने देश के सिविल सर्विस के पदाधिकारियों पर गौरवा-न्वित अनुभव करता था, और अब समाचार-पत्रों से कई बातें पढ़ कर मैं शर्मिन्दा हो रहा हूं । भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये सभी एकमत हैं किन्तु प्रश्न यह है कि कैसे इसको दूर किया जाय । मेरी राय में ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायिक परीक्षायें जचती रही हैं । हम चाहते हैं कि तत्काल कार्यवाही होनी चाहिये और बहुत कड़ी सज़ा दी जानी चाहिये ; यही एकमात्र उपाय हो सकता है । न्यायिक न्यायाधिकारी तो अपने में किसी हद तक ठीक हैं; किन्तु साक्ष्य अधिनियम द्वारा प्रस्तुत होने वाली विस्तृत प्रक्रिया से अपराधी को सहायता मिल जाती है । मैं चाहता हूं कि एकदम कार्यवाही होनी चाहिये, और इस दिशा में भारत सरकार को मेरे प्रान्त की पद्धति पर ही चलना पड़ेगा ताकि तुरन्त एवं तत्काल कार्यवाही की जा सके । ब्रिटिश राज्य में लोगों पर भय छाया हुआ था, और लोग भयभीत हो कर काम करते थे, किन्तु आज-कल वह सब भय दूर हो गया है, किन्तु काम के प्रवेग को रखने के लिये जिस श्रद्धा की आवश्यकता है, वह अभी लोगों में नहीं आई है । हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि हमारे लोक-सेवक प्रेम और श्रद्धा से ही देश के कामों में लग जायें, किन्तु जनसाधारण में तभी यह देशभक्ति आ सकती है जब ऊपरी स्तर से उसे प्रेरणा मिलती रहेगी । यह प्रेरणा कहीं स्वर्ग से प्राप्त नहीं होगी बल्कि आप और हम से ही मिलेगी । मेरे प्रान्त में अकाल की स्थिति इतनी भयंकर है कि लोगों को जीना दूभर हो रहा है । बहुत समय से निरन्तर रूप से अनावृष्टि हो रही है और लोगों की स्थिति भी बहुत ही बुरी है । हमें अनावृष्टि के कारण ज्ञात नहीं, किन्तु इस में कोई सन्देह नहीं कि जंगल उड़ाने और वृक्ष काटने से वर्षा कम हो गई है । हम ने ऐसी योजनायें बनाई हैं जो फलीभूत नहीं होतीं, और हम उन बातों पर पैसा व्यय नहीं कर सकते जिसका परिणाम अगली पीढ़ी को प्राप्त होगा । जिन क्षेत्रों में पुनः जंगल लगाने की बात हो, वहां अभी पचास वर्ष लगेंगे, किन्तु जब तक हम इस प्रकार का उपाय नहीं करते, तो मुझे इस बात का भय लग रहा है कि अनावृष्टि बढ़ते बढ़ते किसी दिन इन सारे क्षेत्रों को राज-

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

पूताना मरुभूमि की तरह चटेल रेतीले मैदानों में बदल देगी। वृक्ष लगा कर जंगल बढ़ाने के साथ साथ कृत्रिम वर्षा के साधन भी जोड़े जाने चाहियें। मैं अन्त में, शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। शिक्षा-अनुदानों के उत्तर में हमें बतलाया गया कि भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद ४५ पर गंभीरतापूर्वक कार्य नहीं किया है जिस के परिणामस्वरूप देश भर के बच्चों की अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि हम उत्पादन में लोगों की कार्यक्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो हमें शिक्षा पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिये। मैं यह भी आशा करता हूं कि प्रान्तीय सरकारों के साथ परामर्श किये जाने के बाद श्रम-करों, तथा अनिवार्य श्रम-दान की व्यवस्था की जायेगी, ताकि संविधान का यह अनुच्छेद ४५ सत्य सिद्ध हो। और यदि ऐसा हुआ तो हम विजयी होंगे।

पंडित लिंगराज मिश्र (खुर्दा) : मैं सदन के समक्ष इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि हिराकुड़ बिजली स्टेशन के पास ही उस लोहा तथा इस्पात कारखाने को स्थापित किया जाना चाहिये, जिसका निर्माण प्रस्थापित किया जा चुका है। भारतीय भूतत्त्वीय परिमाप के विशेषज्ञों का कहना है, मैं यह बात तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, कि लोहा तथा इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिये उड़ीसा राज्य का पश्चिमी भाग ही सर्वाधिक उपयुक्त स्थान होगा। चुनांचि "भारतीय भूतत्त्वीय परिमाप अभिलेख, अंक ७६, संख्या १—भारत की खनिज समृद्धि" में जो १९४८ में प्रकाशित हुई है, श्री फाक्स लिखते हैं कि भारत में लोहे के संसाधन इतने ही अच्छे हैं जितने कि अमरीका में, और यहां का लोहा परिमाण तथा प्रकार में अमरीकी लोहे के समान है। सिंहभूम, बोनाई, क्योंझर तथा मयूरभंज से प्राप्त कच्चे लोहे में ६० प्रतिशत लोहे का अंश है, और एक और अर्थशास्त्री का कहना है कि इस क्षेत्र से ३,०००,०००,००० टन लोहा प्राप्त होगा। और यदि बिजली भी सस्ते दामों मिले तो भारत में इस्पात-निर्माण का एक बड़ा युग आयेगा। इस में कोई भी कारण नहीं दीखता कि क्यों भारत फेरो मैंगनीज़ और कच्चे लोहे का एक बड़ा उत्पादक नहीं बन सकता। सकरगढ़ ज़िले के भूतपूर्व बोनाई राज्य स्थित बोरांकोट से १६ से ८५ मील की दूरी तक के क्षेत्र में मैंगनीज़ धातु, कंकडीली चटान (लाइमस्टोन), चूर्णभ्राजाश्म (डोलोमाइट), कोमाइट (वर्णित), फायरक्ले (अग्निमृत्तिका) स्फटाश्म (क्वार्ट्जाइट) और कोयला अतुल परिमाण में मिल सकता है। जापानी विशेषज्ञों ने, जो अभी हाल में भारत का दौरा करने आये थे, इस क्षेत्र को इस लोहा तथा इस्पात संयंत्र के लिये उपयुक्त क्षेत्र माना था। इन जापानी विशेषज्ञों नें इस क्षेत्र को इतना पसन्द किया कि वे उड़ीसा तट पर एक बन्दर और पत्तन बनाने को भी तैयार हो गये, ताकि रेलवे लाइन से इस जगह को मिला कर इस प्रस्थापित कारखाने के उत्पादनों को सीधे पत्तन पर पहुंचाया जा सकता। किन्तु मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश के इस भाग में घटिया कोयला मिलता है जो धातु संशोधन के काम नहीं आ सकता। हमें इस विषय में निराश नहीं होना चाहिये क्योंकि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् घटिया दर्जे के कोयले को लोहा-इस्पात उद्योग में काम लाने के लिये नये साधनों की खोज कर रही है। इस घटिया कोयले को ठोस कोयला (न्यंगार) बनाने के लिये १५ लाख रुपये की एक परि-

योजना प्रारम्भ भी की गई है । जमशेदपुर में कोयला-सम्मिश्रण सम्बन्धी अनुसंधानों से यह पता चला है कि अम्लांगार सम्मिश्रण से भारत के कोयले को ठोस बनाया जा सकता है जिस से हमारे हां इस की कमी दूर की जा सकती है । चुनांचि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् ने इस तरह की सिफारिश की है कि परियोजनाबद्ध लोहा तथा इस्पात निर्माणशालाओं में सम्मिश्रण की सुविधायें दी जानी चाहियें । इन तथ्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि उड़ीसा राज्य के सुकरगढ़ जिले में स्थित बोराकोट इस कारखाने के लिये उपयुक्त स्थान रहेगा ।

आशा की जाती है कि हिराकुड़ बिजली स्टेशन से ३००,००० किलोवाट बिजली मिलेगी, जिस से बिजली काफ़ी सस्ती हो जायेगी । चुनांचि उड़ीसा राज्य के सामने यही बात एक समस्या बन रही है कि इतनी विद्युत् शक्ति का क्या किया जाय और जब तक इस बिजली को बड़े बड़े उद्योगों में जोड़ा नहीं जाता, तब तक हिराकुड़ परियोजना से लाभ नहीं होगा, और इस प्रकार उड़ीसा राज्य चक्रवृद्धि व्याज सहित वह मूलधन जो उसने ऋण के रूप में लिया है, वापिस नहीं कर सकेगा । अतः साहुकार यानी भारत सरकार के हित में यह बतलाना चाहता हूं कि लोहा तथा इस्पात कारखाना जैसी बड़ी परियोजना हिराकुड में या इसी के निकट संस्थापित किया जाना चाहिये ।

यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारे राज्य को खनिज पदार्थों से बहुत बड़ी समृद्धि प्राप्त होती है । किन्तु देखिये कि मैंगनीज़ १२० रुपये प्रति टन बिकती है—यानी इतनी ऊंची दरों पर हमारी खनिज धातुओं को बेचा जाता है । इस से मध्यस्थ को ही लाभ होता है । उड़ीसा राज्य को इस बात का अधिकार नहीं कि बिक्री-कर लगाये या स्वामित्व की दर को बढ़ा दे क्योंकि केन्द्र ने इनको निर्धारित किया है, और हर एक स्थिति में उड़ीसा राज्य को १ रुपये से २ रुपये तक ही स्वामित्व मिलता है । तो क्या हमारा राज्य सारे देश की शान्ति एवं विकास के लिये ही सदा आपत्तियां भुगतता रहेगा ।

माननीय वित्त मंत्री जी इस समय सदन में नहीं हैं, दुर्भाग्यवश इस बात के अपराधी ठहराये जाते हैं कि वह किसी विशेष निर्वाचन-क्षेत्र से चुने जाने के बाद से इन विविध राज्यों के साथ निष्पक्षता एवं तटस्थता से काम नहीं लेते । वह बड़ी बड़ी परियोजनाओं से पैसा बचा कर उन राज्यों में की परियोजनाओं पर व्यय करना चाहते हैं, जिन में उन्हें रुचि बढ़ने लगी है । उड़ीसा के लोग कम से कम यह बात कहने को तैयार हैं कि हिराकुड़ बांध परियोजना के सुस्त पड़ने में वित्त मंत्री जी का ही हाथ है ।

हां, पान खाने वालों को वित्त मंत्री से इस बात की शिकायत है कि सुपारी के दाम और भी बढ़ा दिये गये हैं । यह ठीक नहीं, नीति यही है कि पुष्पों को चुना जाय, मूल को नहीं काटा जाय ।

श्री देवगम (चैबस्सा—रक्षित—अनुसूचित जनजातियां) : मैं जनजाति क्षेत्र का हूं । जितनी ही पिछड़ी जगह हो, उतनी ही इस बात की आवश्यकता रहती है कि उसे सुधारा जाय । हमारे इस अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता है, और वह भी वहां की मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिये । अन्यथा, थोड़े समय में वह शिक्षा बेकार हो जाती है । यदि इन जनजातियों की भाषाओं में साहित्य होता, पुस्तकें होतीं तो इन की शिक्षा जारी रखी जा सकती थी । राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा योजना आयोग ने इसी बात पर ज़ोर दिया है कि मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिये । किन्तु हमारे क्षेत्र में इस

[श्री देवगम]

प्रकार के साहित्य की कमी है। मुझे गलत नहीं समझा जाय, मैं हिन्दी का विरोध नहीं करता। आप को चाहिये कि इन क्षेत्रों में अधिक अध्यापक नियुक्त करें, अधिक होस्टल बनायें, और इन की ही मातृभाषाओं में इन की शिक्षा का प्रबन्ध करें।

शिक्षा में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। हमें ऐसी शिक्षा नहीं चाहिये जो लिपिक ही पैदा करती रहे। हमारे स्कूलों के पाठ्य-क्रम में कला, शिल्प, व्यसक शिक्षा, बढ़ईगीरी कृषि, प्रकृति-अध्ययन, आदि रखा जाना चाहिये। इस के साथ साथ अध्यापकों की दशा में सुधार किया जाना चाहिये। अध्यापक राष्ट्र के निर्माता हैं अतः इन्हें अधिक सुविधायें दी जानी चाहियें। हमारे स्कूलों और अध्यापकों की दशा बुरी है, इन के पास रहने को अच्छे मकान नहीं; और न स्वस्थ रहने की परिस्थितियां हैं। राष्ट्र तभी समृद्ध हो सकता है जब उसके बच्चे स्वस्थ हों। अतः हमें बच्चों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। हमारी स्वतंत्रता और हमारा सम्मान इन ही पर निर्भर है। इन क्षेत्रों में औषधि चिकित्सा, आदि की सुविधा दी जानी चाहिये। और साक्षरता के साथ साथ सभ्यता की अन्य बातें भी सिखाई जानी चाहियें।

हमारे देश की आर्थिक स्थिति को देख कर होम्यपैथिक चिकित्सा प्रणाली सब से कम खर्चीली कही जा सकती है। अतः होम्यो-पैथी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये, और देश में इस का प्रचार किया जाना चाहिये।

अन्न पर ही हमारा वास्थ्य निर्भर करता है। कितनी लज्जास्पद बात है कि भारत जैसा देश इस समय अपने लोगों का पालन-पोषण नहीं कर सकता। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन दफ्तरों और दफ्तरी कार्यवाही में नहीं अपितु खेतों में किया जाना चाहिये। और देश की धरती का एक एक इंच खेती में लाया जाना चाहिये। सभी बेकार और जंगली काश्त को हटा कर हितकर फसलें बोई जानी चाहियें और फल देने वाले वृक्ष और इमारती लकड़ी के पेड़ लगाये जाने चाहियें। यदि हम यहां की जनता को शिक्षित बना सकें और उनका सहयोग प्राप्त कर सकें, और ज़ोरों पर काश्त करने लगें तो हमें पौष्टिक अन्न मिल सकेगा और हमारा राष्ट्र बहुत ही स्वस्थ और बलवान होगा। काश्त करने के साथ साथ पशुपालन, गव्यशाला, आदि मधुमक्षिका-पालन, मुर्गी-पालन, आदि-आदि किया जाना चाहिये। फसलें बढ़ने के साथ साथ यहां का पशुधन और गोधन बढ़ेगा और देश में समृद्धि बढ़ जायेगी। सरकारी निवृत्ति-वेतन पाने वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त भत्ता दिया जाना चाहिये और गांवों में भेजा जाना चाहिये ताकि वे गांवों में सुधार कर सकें, और वहां साक्षरता फैलाने के साथ साथ उत्पादन के बढ़ाने में सहायता दे सकें।

मैं पुनः यह बताना चाहता हूं कि मेरा स्थान पहाड़ी बस्तियों से भरा पड़ा है। हम सिंचाई सुविधाओं के बिना अधिक अन्न का उत्पादन नहीं कर सकते। हमारे इस प्रान्त में प्राकृतिक समृद्धि की कमी नहीं। हम ने जंगल साफ़ किये और बाहर के लोगों ने वहां से लोहा, ताम्बा, मैंगनीज़, कोयला, सेलखड़ी, चूर्णप्रस्तर, स्फोदिज (बोक्साइट) प्राप्त किये। हमारे हां एथिया की सब से बड़ी लोहा-इस्पात की फैक्टरी है। केवल हमारे हां ताम्बे की खान है, और चूर्णप्रस्तर वाले क्षेत्र के बिल्कुल बीच में एक बड़ा सीमेंट का कारखाना है।

एक माननीय सदस्य : आप किस धर्म के हैं ?

श्री देवगम : सिंगभूम में । किन्तु हम धरती के लाल, वास्तविक खोजी और अग्रणी, समृद्धि भरे देश में भी निनर्ध रहे हैं । कितनी ही विडम्बना है ? कितना बड़ा गोरखधन्धा है । हम तो मात्र श्रमिक और भूमि के निर्धन कृषक हैं । हम अपने खून-पसीने से पूंजीपतियों और बाह्य संगठित दलों की तिजौरियां भर देते हैं । हम अपनी भूमि से हाथ धो रहे हैं, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारी भूमि के गर्भ में खज़ाने छिपे हैं । हमें भूमिहीन कृषक बनाया जा रहा है, और ठसाठस झोंपड़ों में रहने पर मजबूर किया जा रहे है और ये झोंपड़े गन्दे और हवा के वग़ैर हैं । अभी मैं ने चेरिया दुइया का दौरा किया था और मैं ने देखा कि भूमि के कृषकों और श्रमिकों की कोई भी देखभाल नहीं होती । वास्तव में उद्योग की वास्तविक पूजी क्या है ? धन नहीं, अपितु जनबल पूजी कही जा सकती है; अतः पूंजीपतियों को इन श्रमिकों की दशा सुधारनी चाहिये और इन की अधिक चिन्ता करनी चाहिये । हो सकता है कि दामोदर घाटी परियोजना इंजीनियरिंग का एक बड़ा कौशल हो, हिराकुड बांध क्षेत्र भारत का आन्टेरियो बन जाय और छोटा नागपुर भारत का स्विज़रलैंड बन जाय, किन्तु इन बड़े बड़े उद्योगों और बड़ी बड़ी योजनाओं ने आदिवासियों को भूमि, मकान और घर से वंचित रखा है । आप एक बार भी आदिवासियों को बेघर कर दें, तो आप देख लेंगे कि कभी भी उन की दशा नहीं सुधर सकती । इस संदर्भ में मैं आलिवर गोल्डस्मिथ की ये पंक्तियां उद्धृत करूंगा जिन में उसने हमें बताया है कि शूरवीर किसान-वर्ग को एक बार बेघर कर के पुनः कभी भी नहीं बसाया जा सकता । आप इन्हें भूमि से वंचित कर के, उस के बदले में धन देने का प्रलोभन नहीं दीजिये । मैं इसी बात पर ज़ोर दूंगा कि भारत के विस्थापित व्यक्तियों को भूमि के बदले भूमि और मकान के बदले मकान मिलना चाहिये । बड़ी योजनाओं के पूरा होने पर इन निर्धनों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : दूसरी बार घंटी बज चुकी है । माननीय सदस्य कृपया भाषण समाप्त करें ।

श्री देवगम : अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के बहुमुखी विकास, विशेषतः इन की मातृभाषा के माध्यम से इन्हें शिक्षा दिलाने आदि बातों पर ध्यान दें । सरकार इस ओर भी ध्यान दे कि इन बेचारों के हाथ से ज़मीनें न छीनी जायें, और इन्हें औद्योगिक तथा वन संसाधनों का प्रयोग करने का अवसर दिया जाय, तथा इन्हें महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाय ।

श्री एस० सी० देव (कचार-लुशाई पहाड़ियां) : श्रीमान्, आप ने मुझे ११ महीने बाद बोलने का अवसर दिया है, अतः मैं आप का धन्यवाद करता हूं । अधिक ऊंचे स्तर पर खाद्य-उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उत्पादन, देश के पक्ष में व्यापार-संतुलन, औद्योगिक नीति तथा उपभोक्ताओं को उचित दामों पर तैयार की गई वस्तुओं का मुहैय्या करना, और चाय उद्योग की ओर विशेष ध्यान, आदि बातों के लिये सरकार की नीति का मैं स्वागत करता हूं । हमारी वित्तीय प्रस्थापनायें सुगठित योजनाओं पर आधारित हैं और सुयोजित अर्थनीति के लिये हैं । कल्याणपूर्ण राज्य के लिये यह आवश्यक होता है कि बड़े स्तर के उद्योगों को छोटे पैमाने के उद्योगों, एवं कुटीर उद्योगों के साथ समन्वित किया जाय; और इस सिलसिले में सरकार को कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों का पर्यालोकन प्रारम्भ करना चाहिये ताकि जनता का जीवन-स्तर ऊंचा उठाया जा सके ।

[श्री एस० सी० देव]

मैं श्री शास्त्री एवं अन्य माननीय सदस्यों से इस बात में सहमत हूं कि बेकार नौजवानों को काम दिलाया जाय, और नौकरी आदि दिलाने की एक निश्चित योजना बनाई जाय। हम बड़े बड़े उद्योगों की ओर ध्यान तो दे रहे हैं किन्तु देश के आर्थिक जीवन में छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों का समन्वय होना चाहिये।

प्रधान मंत्री जी ने बतलाया है कि हमारे देश में बहुत छोटी मात्रा से योजना का कार्य प्रारम्भ हुआ है, हमें चाहिये कि काम को ज़ोरों से प्रारम्भ करें, और लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठायें। इस कार्य के लिये सुयोजित अर्थनीति बहुत ही आवश्यक है।

मैं भारत सेवक समाज बनाने की सरकारी योजना का स्वागत करता हूं, और सरकार से इस बात की ज़ोरदार प्रार्थना करता हूं कि देश के हर भाग में यह योजना चलाई जाय। युद्धोत्तर योजना में, आसाम में बारक जल-विद्युत योजना बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, ताकि बाढ़ों को काबू में करने के अतिरिक्त छोटे पैमाने तथा बड़े पैमाने के उद्योगों को चलाया जा सके, किन्तु अभी तक इस पर कोई भी काम नहीं किया गया। विगत वर्ष दो बार बाढ़ें आईं और आसाम को बरबाद कर डाला। अतः जब तक बांध नहीं बनता तब तक किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं की जा सकती। मैं पुनः उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर जोर देते हुए यह कहूंगा कि बांध की योजना बनाई जाये और बेकारों को इस में काम दिया जाय। अब मैं चाय उद्योग के श्रमिकों के संबंध में दो एक शब्द कहना चाहता हूं। आसाम के इन चाय बगीचों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश से मज़दूर काम करने के लिये आते हैं। लगभग ३ पीढ़ियों से ये लोग वहां आते रहे हैं, और अब वहां बसना चाहते हैं। अब वहां जो भी अतिरिक्त श्रमिक बैठ जाते हैं, वे अपने अपने स्थानों को वापिस नहीं जाना चाहते। अतः इस तरह एक संकटस्थिति पैदा हो जाती है और हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। कृपया और दो मिनट तक बोलने की आज्ञा दी जाये।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य और दो मिनट तक बोल सकते हैं।

श्री एस० सी० देव : किन्तु माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का कहना है कि अतिउत्पादन एवं लन्दन में होने वाली नीलामों के कारण वह संकटस्थिति प्रस्तुत हुई थी। यदि हमारी सरकार ने दूरदर्शिता से काम लिया होता तो कभी भी ऐसी स्थिति सम्मुख नहीं आती। किन्तु, फिर भी मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उसने इस उद्योग को बचाने का प्रयास किया है। यह ठीक है कि सरकार ने इस उद्योग को कुछ श्रेय दिया है, किन्तु मैं ४०,००० बेकार श्रमिकों एवं बन्द किये गये कई चाय-बागों के लिये चिन्तित हूं। यदि चाय का बाज़ार बढ़ता जा रहा है तो इन चाय-बागों को क्यों बन्द किया जा रहा है ? मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर अधिक ध्यान देगी, क्योंकि विदेशों से धन कमाने के लिये चाय का सौदा, जूट के विनिमय के समय बहुत ही सहायक सिध हुआ है। अभी शीघ्र ही सदन के समक्ष चाय विधेयक प्रस्तुत हो रहा है, किन्तु इस विधेयक में चाय उद्योग को पर्याप्त संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। इस में कई त्रुटियां अवश्य हैं, जिन के कारण चाय उद्योग बगीचों के मालिकों की दया पर निर्भर करता है।

एक और भी बात बतलाना चाहता हूं कि अपने देश में दृढ़ आधार पर चाय का बाज़ार होना चाहिये । चाय के बचे-खुचे रद्दी चूरे का प्रयोग बिल्कुल बन्द किया जाना चाहिये, क्योंकि इस से देश भर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है । यदि विशेषज्ञ समिति इन सभी समस्याओं पर विचार कर के उचित विधान बनायेगी तो यह उद्योग बचाया जा सकेगा ।

१२ बजे मध्यान्ह

श्री सिद्धनंजप्पा (हासन-चिकमगालूर) : मैं सर्वप्रथम वित्त मंत्री को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही कुशलता से प्रथम दो वर्षों में देश के वित्त की नाव आगे बढ़ा दी है । अभी हाल में ही इस पंच-वर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया गया है, और अब देश को इस योजना पर गौरव है । किन्तु हमारी और अन्य देशों की योजनाओं में यह अन्तर है कि यहां की योजना को प्रजातंत्रात्मक ढंग से पूरा करना पड़ता है, और यह कोई आसान काम नहीं है ।

मैं वित्त विधेयक का स्वागत करता हूं, और उन अनेक प्रस्थापनाओं का भी जो इस में रखे गये हैं । मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जैसे कर्णधार के हाथ में हमारी नैया इसी अवधि में पार लग जायेगी ।

स्वदेशी उद्योग के विकास के हित में यदि सुपारी के आयात-शुल्क को बढ़ा भी दिया जाय, तो ठीक है, और स्वयं मैं इस शुल्क-वृद्धि का स्वागत करता हूं ।

पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को ही प्राथमिकता दी गई है । किन्तु हम कृषि-सुधार की बात करते-करते बेचारे कृषक के सुधार को भूल जाते हैं । हमारी जनसंख्या का लगभग ७० प्रतिशत कृषि में लगा है और वह भी देहातों में । कहावत प्रसिद्ध है कि भारतीय कृषक इतनी समृद्धि के बीच भी निर्धन रहा है । और भारत सरकार इस की दशा सुधारने के लिये क्या कर रही है ? हम कहते रहते हैं कि भारत कृषि में आत्म-निर्भर होना चाहिये और इसके लिये हम बेचारे कृषक को ही उत्तरदायी ठहराते हैं । और जब खाद्य-समाहार की बात आ जाती है तो दामों पर नियंत्रण बिठाया जाता है । खेद है कि इस में भी उपभोक्ता की ओर ही ध्यान दिया जाता है, कृषक की ओर नहीं । हमारे पास कृषि-उत्पादन के आंकड़े नहीं हैं अतः यह भी नहीं बतला सकते कि कौन से दाम उचित हो सकते हैं । अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि अनाज के लिये उचित दाम क्या होगा ।

प्रायः यह शिकायत पाई जाती है कि केन्द्रीय सरकार दक्षिण भारत की ओर बहुत कम ध्यान देती है । इस संदर्भ में मैं मैसूर राज्य का उल्लेख करूंगा जिसे एक आदर्श राज्य माना जाता है और जहां के शासकों को सुप्रकाशित, जाग्रत और प्रजातंत्रवादी प्रवृत्तियों का समझा जाता है । किन्तु जब से केन्द्र के साथ इसका वित्तीय एकीकरण हुआ तब से इस के राजस्व के सभी साधन बन्द हुए और यही कारण है कि यह राज्य वित्ता-भाव से कई काम नहीं कर सकता ।

पंचवर्षीय योजना में इस राज्य के लिये भद्र जलाशय परियोजना प्रस्थापित हुई थी । चुनांचि यह परियोजना इस राज्य के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है । यह एक बहु-प्रयोजन परियोजना है जिस से २,२४,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और १३,५०० किलोवाट (सहस्रौज) बिजली पैदा होगी । यह बिजली इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्योंकि यह भद्रावती लोहा निर्माणशाला के समीप है ।

इस के अतिरिक्त मलनाद नाम के कई पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बद्ध एक और समस्या भी

[श्री सिद्धनंजप्पा]

है। कुछ वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार ने इस का महत्व जान कर एक कमेटी स्थापित की थी। इस कमेटी ने कुछ देर काम किया और एक अस्थायी रिपोर्ट भी दी। और कुछ दिनों बाद यह योजना खड्डे में पड़ गई। यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है किन्तु वन तथा खनिज पदार्थों में बहुत ही समृद्ध है। मैं सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न को फिर से उठाया जाय और इन भागों का सुधार किया जाय।

श्रीमान्, अब मैं राज्यों के पुनःसंगठन पर आऊंगा। हम आंध्र राज्य बनाने के विचार का स्वागत तो करते हैं। इससे कई इच्छुकों की अभिलाषा पूरी होगी, और हमें इस बात का हर्ष है कि सरकार ने आंध्र राज्य की सत्ता की घोषणा भी की है। किन्तु इस राज्य के बनने के बाद से अन्य प्रान्त वाले भी अपने अपने राज्यों को सत्ता दिलाने के लिये अशान्त हो रहे हैं। और इस सिलसिले में बेलारी तालुक के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि वहां अधिक कन्नड़ रहते हैं, अतः इस को अन्य छः तालुकों के साथ मैसूर राज्य में मिलाया जाना चाहिये।

श्री वेंलायुधन : (क्विलोन व मावेलिक्करा —रक्षित---अनुसूचित जातियां) : इन दोनों के बीच क्या अन्तर है ?

श्री सिद्धनजप्पा : मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही सरकार की ओर से यह वक्तव्य सुनने को मिलेगा कि अन्य छः तालुकों के साथ बेलारी तालुक को मैसूर में मिलाया गया।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मुझे खेद है कि मैं माननीय वित्त मंत्री को इस बात की बधाई नहीं दे सकता क्योंकि घाटे की वित्त-व्यवस्था से परेशानी फैलती जा रही है। मैं धारा ५ ख के संशोधन की ओर, जिस में आरोपण की छूट दी गई है, सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और हमारे वित्त मंत्री ने यह कहते हुए अपना संशोधन पुनः संशोधित किया है कि जिसे किसी विशेष धर्मसम्प्रदाय के लाभ के लिये प्रगट नहीं किया गया है। मुझे मालूम नहीं था कि हमारे वित्त मंत्री अपने अन्य सहयोगियों की तरह धर्मनिरपेक्ष राज्य पर इतना ज़ोर देना चाहते हैं। इस संदर्भ में मुझे इस बात का संदेह हो रहा है कि सरकार कहीं 'कम्युनिटी' (सामुदायिक) परियोजनायें छोड़ कर संप्रदाय-हीन परियोजनाओं पर उतर न आये। धर्म-निरपेक्ष राज्य की स्थापना कर के हम कभी भी धार्मिक गतिविधियों या दानकार्यों को हतोत्साह नहीं करना चाहते थे। धर्मनिरपेक्षता से हमारा यही अभिप्राय था कि हम किसी संप्रदाय के साथ विशेष वर्त्ताव नहीं करेंगे। किन्तु हमारे देश में, दान के सम्बन्ध में भी सरकार ने धर्मभेद करने की बात को हतोत्साह किया है। इस बात को सुन कर मुझे बड़ा शोक हुआ क्योंकि अनन्तकाल से हम अपने धन का एक बड़ा भाग धार्मिक प्रयोजनों पर ही व्यय करते रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि हम धर्म का विरोध नहीं करते बल्कि धार्मिक संप्रदायों के लिये किये गये किसी काम का विरोध करते हैं। यह और भी बुरी बात है। अब बताइये कि धार्मिक संप्रदाय की कहीं भी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। मेरे अनुसार, दलित वर्ग भी एक धर्मसंप्रदाय है। कोई भी सिख या ईसाई हरिजन हो सकता है। अतः हरिजन सेवक संघ को दिया गया दान भी सम्मिलित नहीं होता, और विमुक्ति-सूची में नहीं लिखा जायेगा। फिर भी यदि मैं एक आंग्ल भारतीय स्कूल चलाऊं तो वह विमुक्त होगा क्योंकि वह एक धर्म-सम्प्रदाय नहीं अपितु वर्ग-सम्प्रदाय है। इसी तरह यदि राज-महाराजे या मिल-

मालिक कोई स्कूल चलायें तो उसे विमुक्त किया जायेगा, किन्तु यदि मैं हरिजनों के लिये कोई स्कूल चलाऊं तो उसे विमुक्त नहीं किया जायेगा। यह सब पेचीदगी ग़लतफ़हमी से हो रही है और इस से हमारा देश बरबादी की ओर बढ़ जायेगा।

प्रत्येक सदस्य अपने अपने दृष्टिकोण से बात करता है। कल प्रधान मंत्री जी ने भी इसी तरह एक विचित्र-सी बात की कि हिन्दू महासभा और जनसंघ अशान्ति फैला रहे हैं, और मुझे मालूम है कि इन्हें कहां से पैसा मिलता है। स्वयं मैं नहीं जानता कि क्या वह यह सिद्ध कर सकते हैं कि हमें पैसा मिलता है। इस प्रकार के आरोपों का मुझे कोई भी अभिप्राय समझ में नहीं आया। यदि वह हमारी इस बात के जानने का दावा करते हैं तो मैं भी यह जानने का दावा करता हूं कि कांग्रेस को कहां से पैसा मिलता है। मैं जानता हूं कि मध्यभारत के राजप्रमुख तथा इंदौर के महाराज ने इंदौर में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अधिवेशन कराने के लिये १०,००० रुपये दिये थे। तो यदि हम इस तरह का वाद-प्रतिवाद चलायें तो इस का कोई भी अन्त नहीं होगा। स्वयं मैं संप्रदायवादी होने का दोष मानता हूं हमारे मित्र और विरोधी जब यह कहा करते हैं कि वे संप्रदायवाद से परे हैं तो ऐसा लगता है कि उन में कोई भी मनुष्यता नहीं रही है। आज प्रातः हम ने क़ैदियों के साथ किये जाने वाले बर्ताव पर प्रश्न पूछा था और हमें बताया गया कि कहीं से भी कोई शिकायत नहीं मिली है। किन्तु आप सभी जानते हैं कि किस तरह दिन दहाड़े सड़कों पर सम्मान्य व्यक्तियों को बन्द किया जाता है, और मारा-पीटा जाता है।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि क्या ये बातें वित्त विधेयक से संगत हैं ?

श्री वी० जी० देशपांडे : ....हां ठीक कह रहा हूं कि जब संसद्-सदस्यों को जम्मू व काश्मीर जाने की आज्ञा नहीं दी जाती। मैं पूछना चाहता हूं कि यहां की शान्ति-व्यवस्था की क्या दशा है।। मैं मध्यभारत का हूं, और अभी उस दिन मुझे अपने निर्वाचन-क्षेत्र का एक आवश्यक तार मिला। रिपोर्ट मिली है और मैं स्वयं देख चुका हूं कि वहां डाकुओं का आतंक बढ़ रहा है। वहां डाकुओं ने तहसील मुख्यालय पर दिन-दहाड़े आक्रमण किया और उनका शस्त्रागार लूट लिया। चुनांचि उन्होंने छः बन्दूकें और कुछ गोला-बारूद उड़ाया, और उड़ाते समय दो सिपाहियों को मार डाला। इसी तरह और जगहों से भी डकैती की रिपोर्टें आ रही हैं। चुनांचि एक जगह पर ३२,००० विक्टोरिया के सिक्के के रुपये, १०,००० रुपये के नोट और ८० तोला सोना चुराये गये और जब उन लुटे व्यक्तियों ने पुलिस के पास शिकायत की कि ये डाकू मान सिंह या अमृत लाल जैसे नहीं हैं। लोग कहते हैं कि वे छोटे छोटे व्यक्तियों को नहीं लूटते। और यह भी बताया गया कि थाना बामोरी का पुलिस इन्स्पैक्टर इस डकैती में स्वयं शामिल था, और वहां उपस्थित था। वह शिकायती दिल्ली आया और मैं उसे माननीय गृह मंत्री के पास ले गया। चुनांचि मैं ने मध्य भारत के गृह मंत्री के पास इस घटना का प्रतिनिधान भी किया, और इसमें ११ डाकुओं की पहचान भी हुई, और अब आप को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि उन में से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। देश में शान्ति-व्यवस्था की यह दशा है। और अब अगर कोई व्यक्ति नारा लगाये और उस को सम्प्रदायवादी समझा जाय तो उसके साथ बहुत ही बुरा, और अमानवीय बर्ताव होता है। आप संप्रदायवादी, राष्ट्रवादी अथवा

[श्री वी० जी० देशपांडे]

मानवतावादी भी नहीं हैं, और न हो सकते हैं। यह है यहां की शान्ति-व्यवस्था। जहां भी देख लें, वहां विधिविहीन वातावरण नज़र आता है।

दो ही दिन हुए कांग्रेस के भूतपूर्व सभापति ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि उस ने गोवध पूर्णतया बन्द कर देने का जो आश्वासन दिया था, वह पूरा नहीं किया गया है। यह दलील दी जाती है कि जब तक गोपालन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता तब तक गोवध बन्द करने का क्या लाभ है ? यह गलत दलील है क्योंकि यदि मनुष्यों को खाने को न मिलता हो तो क्या आप उन की हत्या होने देंगे ? दिल्ली में खुले आम गोमांस बिकता है। मेरा कहना यह है कि सरकार अपने वचनों को पूरा नहीं कर सकी और इसलिए मैं वित्त मंत्री को उन के कारनामों पर बधाई देने के लिए तैयार नहीं हूं।

डा० एम० एम० दास (बर्दवान---रक्षित ---अनुसूचित जातियां) : श्री चेट्टियार ने यह सुझाव दिया है कि श्रम-कर लगा दिया जाय। यह कोई नया सुझाव नहीं। उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब और मद्रास में नहरें खोदने वाले मज़दूरों पर यह कर लगा हुआ है। जिस ढंग से इस कर सम्बन्धी कानून को लागू किया जाता है और जिस प्रकार गरीब लोगों का शोषण होता है, उसे देखते हुए तो मैं इस कर के बिल्कुल विरुद्ध हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पटसन सम्बन्धी नीति में परिवर्तन होना चाहिए। पटसन की वर्तमान स्थिति यह है : कच्चे पटसन का मूल्य निर्माण लागत से कम है। सरकार पटसन के कम से कम मूल्य की हद निश्चित करने से इनकार करती है। पटसन के निर्यात पर से प्रतिबन्ध नहीं हटाया गया। भारत की पटसन मिलें पाकिस्तान से पटसन खरीद रही हैं और वे अपने करघों की प्रतिशतता कम कर के अपना उत्पादन कम करना चाहती हैं परन्तु पश्चिमी बंगाल तथा केन्द्रीय सरकार ने इस बात को नहीं माना है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का यह विचार कि पटसन उद्योग के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाय, अभी तक कार्यरूप में परिणत नहीं हुआ है। और केन्द्रीय सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है जो भारत में उगाए जाने वाले पटसन की प्रकार सुधारने के सम्बन्ध में कार्यवाही का सुझाव देगी।

मेरा सुझाव यह है कि सरकार को कच्चे पटसन पर से प्रतिबन्ध हटा लेना चाहिये और भारतीय पटसन मिल संघ की सलाह से एक बोर्ड बनाना चाहिये जो भारत में उगाए गए पटसन की खपत का प्रबन्ध करे और पाकिस्तानी पटसन के बांटने का भी काम करे।

सरकार को चाहिये कि पटसन की खपत के लिए प्रचार का प्रबन्ध करे जैसा कि चाय की खपत के सम्बन्ध में किया गया था। साथ ही पटसन उद्योग के सभी पहलुओं की जांच करने वाली समिति फौरन बनाई जानी चाहिए।

मैं वित्त विधेयक में प्रस्तावित अन्य परिवर्तनों को पसन्द तो नहीं करता परन्तु डाक के दरों में जो वृद्धि केवल घाटा पूरा करने के लिए और इसलिए की गई है कि उस के सिवा और चारा ही कोई नहीं, उस का समर्थन करना ही होगा। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कि डाक के लिफ़ाफ़ों और कार्डों का मूल्य बढ़ गया है समाचार पत्रों के लिए डाक की दरें वही हैं जो १९३७ में थीं। परन्तु शायद वित्त

मंत्री ने इस मामले पर और गहरा विचार किया होगा ।

आय-कर के सम्बन्ध में वित्त विधेयक तथा आय-कर (संशोधन) विधेयक के कुछ अच्छे परिवर्तन किए गए हैं परन्तु मुझे यह देख कर बड़ी निराशा होती है कि कोई ऐसा संशोधन नहीं है जिस के अधीन कर से बचने वालों के नाम बताए जा सकते हों ।

अब मैं कुछ लोगों की इस शिकायत की चर्चा करूंगा कि रक्षा विभाग ने उन के साथ अन्याय किया है । सदन को मालूम है कि नौ दस वर्ष पहले, युद्धकाल में रक्षा विभाग ने बड़े बड़े क्षेत्र, जिन में कई गांव आ जाते थे, अपने अधिकार में ले लिए थे । इन ज़मीनों के अभागे मालिकों को अभी तक पूरी क्षति पूर्ति नहीं दी गई है । आप इन लोगों की हालत का अनुमान लगा सकते हैं जिन की भूमि और मकान उन से ले लिए गए और जिन्हें उस के लिए पूरी क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं दी गई है ।

पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण मामला है जिस की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । वह है गंगा बांध योजना का पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाना । पश्चिमी बंगाल सरकार के कहने पर केन्द्रीय पानी तथा बिजली आयोग ने इस योजना की जांच की और वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वित्तीय तथा टेक्नीकल——दोनों दृष्टिकोणों से यह योजना व्यवहार्य है । पश्चिमी बंगाल की जनता को आशा थी कि यह योजना पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली जायगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ है । सरकार तथा वित्त मंत्री से हमारा सविनय निवेदन है कि वह इस योजना को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लें ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालन्धर) : उपसभापति जी, किसी देश के बजट या किसी देश के फाइनेन्सेज के लिये यह जरूरी है कि हम देखें कि देश के धन का विभाजन किस आर्थिक नीति के अन्दर कैसे हो रहा है ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

हमारे देश के लिये इस वक्त यह जरूरी है कि हमारी फाइनेन्स की पालिसी इस तरह की हो कि पहले तो हमारे देश के धन का नये प्रोडक्शन के लिये, ज्यादा पैदावार के लिये, इस्तेमाल हो सके । दूसरी बात यह कि उस धन का विभाजन ठीक हो । अगर हमारे देश के अन्दर धन ज्यादा उत्पन्न होगा तभी हम उस का ठीक विभाजन कर सकेंगे । अभी मुझ से पहले डा० मेघनाद साहा साहब ने इस बात पर विचार किया था कि हमारे देश के अन्दर कितना सरमाया उत्पन्न हो रहा है और कहां तक हमारे देश की फाइनेन्स की पालिसी इस बात में मदद देती है कि हमारे देश के अन्दर सरमाया ज्यादा पैदा हो । फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने पिछली मर्तबा अपने भाषण के अन्दर एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा था जिस में उन्हों ने कहा था "पुष्पं पुष्पं विचिन्वीत" यानी फूल फूल को ही चुनना चाहिये, लेकिन "मूलच्छेदं न कारयेत्" ऐसा न हो कि पौधा जड़ से उखड़ जाय । यह तो ठीक है कि पौधा जड़ से न उखाड़ना चाहिये, लेकिन अगर आप दरख्त के सब फूलों को तोड़ ले जायें तो उस में फल न लगेंगे । इसलिये आप को कुछ फूल भी छोड़ना होंगे । ऐसा न हो कि आप सारे फूल चुन लें और फल के लिये बिल्कुल न छोड़ें । अगर आप इस तरह से विचार करें तो हमारा जो भी बचट है उस में नेशनल इन्कम अर्थात् देश की राष्ट्रीय आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट के पास चला जाता है और वह सब हिस्सा जो है अगर फर्दर प्रोडक्शन के लिये, और अधिक पैदावार बढ़ाने के काम में आता है, 'प्रोडक्टिव"

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

कामों में खर्च होता है, तो हम उस का स्वागत करेंगे । हम कहेंगे कि यह धन ठीक से खर्च हुआ । हमारे देश में गरीबी बहुत है, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होतीं, देश की राष्ट्रीय आय का बहुत सा हिस्सा "कंज़म्पशन" में जाता है, लेकिन जो धन बाकी बचता है जिस को सरमाये के रूप में बदलना चाहिये था, और उस का फर्दर डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिये था, वह धन फर्दर प्रोडक्शन के लिये नहीं बचता, बल्कि सरकार के पास आता है और अगर सरकार के बजट को आप देखें तो हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, हमारी सरकार की आमदनी का कोई चालीस या पैंतालीस प्रतिशत हिस्सा, सरकारी नौकरों और अफसरों की तन्ख्वाहों में खर्च हो जाता है ।

जहां मैं यह कहता हूं वहां मुझे इस बात की शिकायत है कि सरकार के जो अदना मुलाजिम हैं उन के पास काफी रुपया नहीं जाता । उनके गुजारे के लिए काफी नहीं मिलता । लेकिन मेरा एक यह जनरल ऐतराज है कि जो भी गवर्नमेंट के खर्च हैं वह इतने ज्यादा हैं और हमारी मैशिनरी इतनी खर्चीली है कि देश का ज्यादा तर रुपया कंज़म्पशन में खर्च हो जाता है और बहुत सारे रुपये का "कैपीटल फारमेशन" नहीं हो पाता । हमारी पालिसी का पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि जितना रुपया हम इकट्ठा करें उसका बहुत बड़ा हिस्सा प्रोडक्टिव कामों में लगना चाहिए और इस वक्त जिस तरह से गवर्नमेंट का धन खर्च हो रहा है उस तरह से नहीं होना चाहिए । इस वक्त अनेक महकमे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं । एक रिवाज सा बन गया है कि जब एक महकमा बनता है तो उस के लिए बहुत से अफसर और क्लर्क रखे जाते हैं और वह एक लम्बा चौड़ा महकमा बन जाता है जिस पर काफी रुपया खर्च होता है और जब आम लोग यह देखते हैं तो वह हैरान होते हैं कि किस तरह से हमारा रुपया दूसरी तरफ जाता है । आप कह सकते हैं कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि अदना मुलाजिमों को ज्यादा रुपया मिलना चाहिए क्योंकि उनका गुजारा नहीं चलता और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि खर्च कम होना चाहिए । मेरा अभिप्राय है कि अगर अदना मुलाजिम को यह यकीन हो जाय कि जो ऊपर के आदमी हैं मिनिस्टरों से लेकर तमाम अफसरों तक, वह बहुत कम में गुजारा करते हैं और वह "आस्टेरिटी" के उसूल पर चलते हैं और देश के धन को कम से कम निजी इस्तेमाल में लाते हैं तो वह अदना मुलाजिम भी कम लेने को तैयार हो सकते हैं । अभी तो छोटे मुलाजिमों की यह शिकायत है कि जब वह दो चार पांच रुपये की वेतन वृद्धि चाहते हैं तो उन से कह दिया जाता है कि रुपये की कमी है । लेकिन जब वह देखता है कि बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल रही हैं दो दो तीन तीन हजार रुपया लोगों को मिल रहा है, बड़ी बड़ी कोठियों में बड़े बड़े अफसरान खस की टटियों में रह रहे हैं और आसानी से जिन्दगी बसर कर रहे हैं तो उन लोगों के दिलों में भी बजा तौर पर यह शिकायत पैदा होती है कि जब ये लोग काफी आराम के साथ जिन्दगी बसर कर रहे हैं तो हमें भी क्यों न उतना आराम मिले । इसलिये उन की मांग बढ़ती ही जाती है और उस को आप "सैटिसफाई" नहीं कर सकते । वह लोग जो कि देश के नेता हैं और देश को आगे बढ़ाने वाले हैं उन को सब से कम फायदा उठाना चाहिये और सब से ज्यादा "त्याग" करना चाहिये । अगर हम अपना "स्टैंडर्ड आफ लिविंग" बढ़ाते हैं और जनता का "स्टैंडर्ड आफ लिविंग" नहीं बढ़ा सकते हैं तो हम को कोई हक ऐसा करने का नहीं है । इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी यह

"फाइनेन्शल पालिसी" होनी चाहिए कि आम तौर पर हम तनखाहें कम करें औ थोड़े में गुजारा करें, ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा काम करें। अगर हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे मज़दूर कम वेतन ले कर ज्यादा से ज्यादा समय दे कर मेहनत से काम करें, जैसा कि दूसरे देशों में होता है, जिसकी मिसाल हमारे माननीय सदस्य मेघनाद साहा ने दी, तो वह तभी हो सकता है कि जब हमारे मज़दूर को यकीन हो जाय कि सभी लोग ऊपर के अफसर और देश के नेतागण वैसा करने को तैयार हैं। रूस में लोगों से अपील की गई कि ज्यादा काम करो और इस तरह से वहां मूवमेंट चलाया गया। हमारे देश का काम करने वाला भी काफी काम करता है लेकिन उस के दिल में उत्साह नहीं है। जब वह दो चार रुपये की तरक्की के लिये मांग करता है तो उसे जवाब मिल जाता है लेकिन दूसरी तरफ दूसरे बड़े बड़े अफसर काफी काफी तनख्वाह ले रहे हैं, तो उस के दिमाग में यह बात नहीं आती है कि कि यह कैसा "लाजिक" है। जब तक हम इस "लाजिक" को ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारे देश का बहुत ज्यादा रुपया खर्च होगा और ज्यादातर रुपया " कंज़म्पशन " में चला जायगा, और बहुत कम "कैपीटल फारमेशन" होगा। अगर मेरे अंक गलत हों तो फाइनेन्स मिनिस्टर साहब मुझे "करेक्ट" कर दें, लेकिन मेरा यह अन्दाजा है कि हमारी गवर्नमेंट के सालाना तनख्वाहों में हमारी नेशनल इनकम का ९ परसेंट रुपया चला जाता है।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं और जिन्हें इस वक्त एक तरह से हम अपनी पंच साला योजना को मिसाल के तौर पर रख रहे हैं, उस के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जहां तक जनता का ताल्लुक है उस के अन्दर काफी उत्साह है और वह काफी उत्साह के साथ काम कर रही है और काफी सहयोग देने को तैयार है। लेकिन जिस तरह से हमने आफिसर्स रखे हैं और जिस तरह से हम ने उन की लम्बी चौड़ी तनख्वाहें रखी हैं उस से लोगों में असन्तोष है। मुझे देहातों के अन्दर जाने का मौका होता है। लोग कहते हैं कि हम से तो फ्री काम करने को कहा जाता है लेकिन आप ने इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे कर लोगों को रखा है। ये दोनों चीज़ें साथ नहीं बैठती हैं। अगर हम को अपनी पंचसाला प्लान को पूरा करना है तो हम को उस के लिए एक 'स्पिरिट' पैदा करनी चाहिए। उस के लिये जो "साइकालाजी" हम पैदा करेंगे उसी पर बहुत कुछ निर्भर होगा। अगर वह साइकालाजी पैदा न हुई तो और बाकी तमाम बातें रह जायेंगी।

एक और बात मुझे कहनी है वह पाकिस्तान की जो सिक्योरिटीज़ हमारे यहां हैं उन के बारे में है। मैं ने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से इस सम्बन्ध में निवेदन किया था और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने काफी बातों का बहुत संतोषजनक जवाब दिया। मुझे अब जो कहना है वह सिर्फ यह है कि वह एक बात को भी ख्याल में रखें कि हमारे जो भाई पाकिस्तान से आये हैं उन में से कुछ के पास ऐसी सिक्योरिटीज़ थीं और कुछ ने ऐसी सिक्योरिटीज़ को खरीदा था। उन सब को इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि अगर वह उन को बेचना या हिन्दुस्तानी सिक्योरिटीज़ के साथ बदलना चाहें तो वैसा कर सकते हैं। उन को इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि वह १७ सितम्बर १९४९ की तारीख से पहले वाली सिक्योरिटीज़ तो बेची या बदली जा सकें लेकिन उस के बाद की नहीं। खुद तो बहुत कम लोग इन सिक्योरिटीज़ को ऐक्सचेंज कर पाते है ज्यादातर दलालों के जरिये

[श्री ए० एन०विद्यालंकार]

करते हैं । इस वजह से अगर कोई आज ट्रांस्फर करेगा किसी दलाल को तो वह १७ सितम्बर १९४९ तारीख के बाद की 'ट्रांस्फर' गिनी जायगी । इसलिए उन को यह सुविधा भी देना चाहिए कि वे १७ सितम्बर १९४९ तारीख के बाद हासिल की सिक्योरिटीज़ का भी तबादला कर सकें । अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत ज्यादा केसेज़ में ट्रांस्फर नहीं हो सकेगा जिस की कि आप उन को सुविधा देना चाहते हैं । इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में विचार करें और इस बात की पूरी सुविधा दें कि जहां भी ऐसी सिक्योरिटीज़ हों उन के डिसपोज़ल पर पाबन्दी नहीं होनी चाहिए । हां अगर कोई इन को नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो आप उस पर विचार करें, उसकी जांच करें और जो कोई ऐसा काम करे उसे सज़ा दें लेकिन इनके ऐक्सचेंज में किसी तरह की रुकावट न डालें ।

अगली चीज़ जो मुझे कहनी है वह गवर्नमेंट के मुलाजिमों के रिट्रचमेंट के मुताल्लिक कहनी है । मेरी इत्तला है कि बहुत से डिपार्टमेंट्स में और खास तौर से डिफ़ेंस डिपार्टमेंट में बहुत से मुलाजिमों को जवाब दिया जा रहा है । आज देश के अन्दर इंडस्ट्रियल हालत यह है कि बेकारी फैली हुई है और ऐसी हालत में जब आप लोगों को जवाब देते हैं तो देश के अन्दर और भी दिक्कत पैदा हो जाती है । जो लोग काफी अर्से से गवर्नमेंट के यहां काम करते रहे हैं जब उन को जवाब दिया जाता है तो उन को बड़ी दिक्कत हो जाती है । मैं चाहता हूं कि आप इस विषय पर विचार करें । आज कल बहुत से नये नये डिपार्टमेंट्स खोले जा रहे हैं और हमारी कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स शुरू की जा रही हैं जहां पर वह आदमी काम कर सकते हैं । क्या वजह है कि हम अपने पुराने आदमियों को निकालते जायें और जो नये आदमी हैं उन को भरती करते जायें । आज हो यह रहा है कि हम पुराने आदमियों को निकालते जाते हैं लेकिन दूसरे नये डिपार्टमेंटस में नये आदमी भरती करते जाते हैं । इसके अन्द र प्लानिंग होना चाहिए । हम को तमाम मैन पावर का प्लानिंग करना चाहिये और देश के अन्दर जितनी भी मैन पावर है उस को हमें पूरे तौर से इस्तेमाल करना चाहिये । उसमें से ज़रा भी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिये । गवर्नमेंट को यह प्लानिंग न सिर्फ अपने यहां करना चाहिये बल्कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में भी करना चाहिये जो मुलाजिम हैं उन का प्लानिंग हो और जिस वक्त नये डिपार्टमेंट्स खुलें तो उन में पहले उन आदमियों को ऐबज़ार्ब किया जाय जिन को जवाब दिया जा चुका है उस के बाद फिर नये आदमियों को भरती किया जाय । मैं समझता हूं कि अगर बाकायदा प्लानिंग करेंगे तो हमारा काम भी ठीक हो सकेगा और लोगों को भी हम राहत पहुंचा सकेंगे ।

अगली चीज़ जो मुझे अर्ज़ करनी है वह यह है कि जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं उनका हम को प्लानिंग करना चाहिये । हमारे यहां काफी 'वेस्ट' होता है । हम यह नहीं कह सकते कि हमारी कितनी दौलत है और देहातों के अन्दर, शहरों के अन्दर और दूसरी जगह हमारी कितनी दौलत वेस्ट जाती है । और हमें बाहर से कितना मंगाना पड़ता है । इसके लिए हमारे पास स्टैटिसस्टिक्स होने चाहिए । हम एक गरीब मुल्क के रहने वाले हैं और हमारे रिसोर्सेज़ कम हैं । हमारी मैनपावर बहुत ज्यादा हैं लेकिन रिसोर्सेज़ बहुत कम है।

तो हमें अपने तमाम रिसोर्सेज़ को देखना है । हमारा काफ़ी अनाज आज भी, जब कि हम बाहर से अनाज मंगाते हैं, वेस्ट जाता है ।

लेकिन हम ने जनता के अन्दर कोई ऐसी साइकालाजी पैदा नहीं की कि हम एक एक दाना बचायें, जैसे कि वह देश करते हैं जहां कि कमी है । इस बात की हम ने साइकालाजी पैदा नहीं की कि हम हर चीज़ को कम से कम इस्तेमाल करें और बचा कर ज्यादा से ज्यादा रुपया प्रोडक्शन के लिये लगावें । तो हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं, उन को ठीक तरह से मोबीलाइज करने के लिये और उन की रक्षा करने के लिये आवश्यक है कि हम को पता हो हम को अन्दाज़ा हो कि हमारे क्या क्या रिसोर्सेज़ हैं, क्या क्या हमारे पास रॉ मैटीरियल्स हैं । कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो वेस्ट जाती हैं और आम तौर पर लोगों को उन का पता नहीं है । हम देहातों में जाते हैं और और जगहों पर जाते हैं, लेकिन लोगों को बतला नहीं सकते कि क्या क्या दौलत है जो वहां बहुत अच्छी तरह से काम में आ सकती है । वह दस्तकारी के कामों में और दूसरी चीज़ों के इस्तेमाल में आ सकती है । हमारी प्लानिंग तो है, लेकिन अभी तक हमारे प्लानिंग के बीच में बहुत सारे गैप्स हैं । उन गैप्स को हमें पूरा करना है ।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि दर अस्ल हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिये । हम प्रोग्रैस कर रहे हैं । बहुत से सैक्टर्स ऐसे हैं कि जहां हम प्रोग्रैस कर रहे हैं । लेकिन सोसायटी की प्रोग्रैस इकट्ठी होती है । ऐसा नहीं हो सकता कि साइकल का एक हिस्सा आगे बढ़ जाये और दूसर हिस्सा पीछे रह जाय । इसी तरह ऐसा नहीं हो सकता कि सोसाइटी एक क्षेत्र में आगे बढ़े और दूसरे क्षेत्रों में सोसाइटी पिछड़ी रहे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि जिन में हम प्रोग्रैस कर रहे हैं । हमारी मौजूदा प्लानिंग के अनुसार और जिस स्पिरिट से गवर्नमेंट चलना चाहती है उस से बहुत सारे सैक्टर्स में हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने की उम्मीद है । लेकिन साथ ही बहुत बहुत से क्षेत्र ऐसे भी हैं कि जिन में हम स्टैटिक हैं, स्टैटिक ही नहीं, बल्कि हम काफ़ी कंज़र्वेटिव हैं । आज सुबह श्री हरिहर नाथ शास्त्रीजी ने मज़दूरों का ज़िक्र किया । मजदूरों के बारे में और किसानों के सम्बन्ध में जो पालिसी है, अपने रुपये के इस्तेमाल के सम्बन्ध में जो पालिसी है, गवर्नमेंट सरवैंट्स के ट्रीटमेंट के बारे में जो पालिसी है, ऐसी चीज़ों के मुताल्लिक़ हम बहुत स्टैटिक हैं और बहुत कम प्रोग्रैसिव हैं ।

मैं समझता हूं कि अगर तमाम क्षेत्रों में हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो जिन क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ेंगे, जहां पर स्टैटिक रहेंगे, वहां सोसाइटी का ढांचा हमारे लिये रुकावट बन जायगा । 'ब्रेक' बन कर हमारी उन्नति रोक लेगा । इसलिये हम कोशिश करें कि तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ें और जिन में आज तरक्क़ी नहीं कर रहे हैं उन में भी आगे बढ़ने के लिये और प्रोग्रैसिव पालिसीज़ को अपनाने की कोशिश करें ।

श्री वल्लाथ रास (पुदुकोटे) : इस अवसर पर मैं खाद्य तथा कृषि और मद्रास सरकार के स्थायित्व के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण मामले की चर्चा करूंगा । २० मार्च १९५३ को मद्रास के मुख्य मंत्री ने राज्य की विधान सभा में कहा था कि "मद्रास राज्य के बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में वर्षा की कमी तथा अकाल है जिस का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ा है और यह समस्या इतनी विकराल हो गई है कि इस समय मद्रास राज्य इसे सुलझा नहीं सकता "।

उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रीय योजना पूर्णतया असफल रही है । मेरा निवेदन है कि ये बड़े गम्भीर वाक्य हैं और मैं पूछना चाहता हूं

[श्री वल्लाथ रास]

कि केन्द्रीय सरकार ने इन की ओर कहां तक ध्यान दिया है ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र पुदुकोटै में, जिस की जनसंख्या १० लाख है, ५ वर्ष से स्थिति खराब है और पिछले दो वर्ष में तो स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई है । यदि इसे सुधारा न गया तो १९४३ के बंगाल दुर्भिक्ष की पुनरावृत्ति हो जायगी । तामिलनाड के १३ ज़िलों में, जहां की जनसंख्या ढाई करोड़ है, भुखमरी फैली हुई है । मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं बल्कि मद्रास के मुख्य मंत्री की कही हुई बात को ही दुहरा रहा हूं ।

समस्या अन्न के अभाव की नहीं है । अन्न की कुछ मात्रा अवश्य है और वह अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में भेजीं भी जा सकती है । समस्या यह है कि लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं है । मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री खाद्य तथा कृषि मंत्री और योजना मंत्री इस प्रश्न पर सहानुभूति के साथ विचार करें । या तो वे मद्रास राज्य की फौरन ही सहायता करें और या सदन में यह कह दें कि मद्रास के मुख्य मंत्री ने जो कुछ कहा है, ग़लत कहा है ।

मुझे तामिलनाड के सात ज़िलों– तिने वेल्ली, मदुरा, रामनद, त्रिचनापली, दक्षिण अरकाट, उत्तर अरकाट, सलेम और कोयम्बटूर— के सम्बन्ध में स्वयं ज्ञान है । इन के अधिकतर क्षेत्रों में दुर्भिक्ष है । दो या तीन प्रमुख कांग्रेसी सदस्यों ने यह माना है कि इन क्षेत्रों में कुछ लोग भूख से मरे हैं । मुझे आशा थी कि वे यही बात सदन में कहेंगे परन्तु उन्होंने चुप रहना ठीक समझा है । प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों होने दी गई है ? पंच वर्षीय योजना का उद्देश्य यह है कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाय । इस देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए साढे सात करोड़ टन अनाज उगाना होगा । २० या २५ वर्ष बाद जो भी हो, प्रश्न यह है कि क्या आज हम ऐसी किसी कार्यवाही का सुझाव दे सकते हैं जिस से कि तामिलनाड की स्थिति सुधारी जा सके ? सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मैसूर, केरल और कई अन्य क्षेत्रों में कभी ऐसी ही स्थिति थी । परन्तु खेद की बात है कि तामिलनाड में स्थिति को खराब होने दिया गया और आज यह हालत है कि मद्रास सरकार उसे ठीक नहीं कर सकती ।

मद्रास के तत्कालीन वित्त मंत्री ने १९५२-५३ का आयव्ययक रखते हुए कहा था कि तामिलनाड में पिछले पांच वर्षों से वर्षा नहीं हुई है और अन्नाभाव के कारण मृत्यु को रोकने के लिए सरकार को लंगर खोलने पड़े । उस के बाद मद्रास के राज्यपाल ने ऐसी ही बातें बताईं । हाल ही में तामिलनाड कांग्रेस के सदस्यों ने सरकार को एक स्मरण पत्र भेजा था जिस में उन्होंने कहा था कि सरकार ने स्थिति की गम्भीरता को नहीं समझा । राष्ट्र पति ने रामेश्वरम के दौरे से लौटते समय कहा था कि भारत के अन्य भागों की हालत सुधर गई है और अब सरकार का ध्यान मद्रास राज्य पर केन्द्रित हो जायगा ।

इस पर तुर्रा यह कि हमारे वित्त मंत्री ने पिछले मार्च के प्रारम्भ में कहा कि यह बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश में जहां के लोग बुद्धिमान तथा परिश्रमी हैं, अनाज की कमी हो । मैं पूछता हूं कि पिछले पांच छः वर्ष से उन जिलों में जिन के नाम मैं ने बताए हैं, लाखों एकड़ भूमि परती क्यों पड़ी है ? लाखों किसान बेकार क्यों हो गए हैं ? ये बातें तो स्पष्ट हैं । समस्या अनाज के अभाव की नहीं बल्कि यह यह है कि लोगों के पास पैसा नहीं है । पांच छः वर्ष से यही हालत चली आती है । अप्रैल, १९५२ में

अर्थशास्त्र के एक विद्वान् श्री घोष ने मद्रास सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि स्थिति को न सम्भाला गया तो १८७० वाला अकाल पड़ेगा । तब से लेकर मद्रास सरकार ने और १९५२-५३ में केन्द्रीय सरकार ने क्या किया है ?

यह ठीक है कि आप कहेंगे कि किसानों को बीज दिये गये, खाद दी गई । परन्तु उसने बीज बोया, खाद डाली परन्तु वर्षा ही नहीं पड़ी । फल यह हुआ कि फसल सूख गई । पिछले पांच वर्ष से यही हो रहा है । मद्रास सरकार तथा केन्द्रीय सरकार इन सात आठ ज़िलों में अपना सिर उठाने वाले खतरों को नहीं समझ सकी है । भारत सेवक समाज का कहना है कि यह कभी ठीक ठीक पता नहीं लगाया जाता कि लोग वास्तव में चाहते क्या हैं । आप वहां किसानों को चाहे कितना ही ऋण क्यों न देते रहे हों, वर्षा न होने के कारण सभी कुछ विफल हुआ है । जहां पानी की जरूरत थी, आप ने ऋण दे दिया । आप ने लोगों के लिए मांड खाने की व्यवस्था तो कर दी परन्तु इस से क्या ?

मैं जानता हूं कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल को इस संक्रांति काल में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । मैं उन को दोष भी नहीं देता । पर कलक्टरों ने इस विभीषिका को रोकने के लिये क्या किया है और दक्षिण की जनता की इस पुकार पर क्या ध्यान दिया गया है ? आपने १० से ३० लाख तक की खेतिहर आबादी को अकाल के मुख में अकेला छोड़ दिया है । सामुदायिक योजनाओं की दिशा में आपने अपने अधिकारियों के परामर्श से पग उठाए हैं । पर उन्होंने आपको सही जानकारी नहीं दी । सलेम से रामनद तक के किसानों को ही लें । पानी न बरसने पर ऋण या कृषिसार देने से क्या लाभ ? पुरानी जमीन की ओर ध्यान न दे कर नई जमीन तोड़ कर खेती वाली जमीन के आंकड़े दूने करने से क्या लाभ निकलेगा ? अधिकारियों ने मेरे क्षेत्र में मायानूर के पास कावेरी से नहर निकालने की योजना बनाई थी, जिस से कुलाथुर, थिरुमायाम और अलंगुडी ताल्लुक सींचे जाते, पर बाद में वह योजना छोड़ दी गई, यद्यपि ब्रिटिश भारत सरकार और पुद्दुकोटा सरकार के बीच काफी पत्र-व्यवहार चला था । १९४८ में हम ने अपने संबंधी राजा से उस राज्य का भारत संघ में संविलयन हो जाने के लिए संघर्ष किया, और लिखित लेखा-जोखा भले न हो, पर यह सच है कि हमें स्थायी सिंचाई की सुविधा मिलने का आश्वासन दिया गया था । वहां ३५०० तालाब कावेरी के पानी से भरे जा सकते हैं और उनसे १० लाख जनता के लिए जीवन निर्वाह योग्य पानी मिल जाएगा । आशा है, खाद्य उपमंत्री स्वयं उस क्षेत्र का पर्यटन कर के उचित कार्यवाही करेंगे । इसके लिए मद्रास सरकार को दिए गए धन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता । छोटे और बड़े सभी सिंचाई कार्यों के लिए सिंचाई की एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए । वह उत्तरदायित्व राज्यों का ही नहीं, आधा राजस्व लेने वाले केन्द्र का भी है । मैं अपनी ३० लाख जनता की ओर से कहता हूं कि सामुदायिक योजना के नाम पर तिरुवरम्बूर या कुलाथुर में कुछ करिए, या कम से कम इस नहर को तो रखिए, जिस की खुदाई हम स्वयं कर लेंगे । केन्द्र की सहायता के बिना हम मद्रास वासी निराशा में ही डूबे रहेंगे, क्योंकि लोगों की क्रयशक्ति अब रंचमात्र भी नहीं रही है । भारत पिछड़ा है, पर मद्रास राज्य और विशेषत: तामिलनाद और भी पिछड़ा है । तभी तो एक सर्वाधिक देशभक्त और कांग्रेस का एक महान शासक भी वहां से यह कह रहा है कि वह अकेला केन्द्र को कायल नहीं कर सकता । अत: हम सभी को कुछ न कुछ करना होगा ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं केन्द्रीय उत्पादन तथा लवण अधिनियम, १९४४ में पुनः संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"केन्द्रीय उत्पादन तथा लवण अधिनियम, १९४४ में पुनः संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक *को पुरःस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बुधवार १५ अप्रैल. १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।